राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ४० वां दिवस [संख्या २३

मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री दयाकृष्णविजय।

अर्द्ध-सरकारी तथा निजी संस्थाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन

९६२. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या अर्द्ध-सरकारी तथा निजी संस्थाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन सरकारी राज-कार्य हैं ?

उप वित्त मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल, मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : यह समारोह पर निर्भर है। ये सरकारी भी हो सकते हैं एवं गैर सरकारी भी हो सकते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : गैर-सरकारी की क्या परिभाषा है, सरकारी की क्या है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी परिभाषा तो कोई लिखी हुई नहीं है, लेकिन सरकारी तो वह है जो कि सरकार के किसी विभाग के द्वारा हो या ऐसा कार्यक्रम हो जिसके अन्दर सरकार के ऑफिसर पार्टिसिपेट करें और गैर सरकारी वही है जो प्राइवेट इन्स्टिट्यूशन्स करें।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जिन प्राइवेट इन्स्टिट्यूशन्स का उद्घाटन करने के लिये मंत्रिगण जाते हैं वे सरकारी फंक्शन होते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वे सरकारी होते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : चाहे कोई प्राइवेट संस्था हो ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री मूलचन्द डागा : क्या शिलान्यास या उद्घाटन का काम सेक्रेटेरियट के कार्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो उसके ऊपर निर्भर होता है कि कैसा कार्य है। अगर कार्य ऐसा हो कि उससे जनता में कुछ उत्साह बढ़ता हो तो वह महत्वपूर्ण हो सकता है। यह कार्य के ऊपर निर्भर होता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इस पर विचार कर रहो है कि जनता के धन का मंत्रिगण, दुरुपयोग करते हैं, जब वे प्राइवेट संस्थाओं का उद्घाटन करने जाते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं, यह आपका ख्याल होगा।

श्री अध्यक्ष : जन-सम्पर्क बढ़ता है।

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा : शिक्षण संस्थाओं का शिलान्यास या उद्घाटन का कार्य विद्वान् के लिए छोड़ दिया जाय तो अच्छा होगा।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

कमिश्नर जोधपुर द्वारा जालोर के इन्सपेक्टरों का इन्टरव्यु

६६३ **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि जोधपुर डिविजन के कमिश्नर ने सन् १६५२-५३ में बमुकाम जालोर इन्सपेक्टरों का इन्टरव्यू लिया था ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त इन्टरव्यू में श्री हीरसिंह उपस्थित न होते हुए भी उसका नाम सीनियोरिटी लिस्ट में आ गया और उसका नाम आखिर में दर्ज किया गया है ?

(३) क्या यह है कि कलेक्टर, जालोर ने भी यह लिखा था कि श्री हीरसिंह उस रोज उपस्थित नहीं था और श्री बिरधसिंह के एवज में श्री हीरसिंह का नाम दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : यह इन्टरव्यू सन् ५२-५३ में नहीं हुआ, बल्कि सन् ५४ में हुआ था।

(२) जी हां।

(३) कलेक्टर जालोर का यह कहना कि श्री बिरधसिंह के बजाय श्री हीरसिंह का नाम दर्ज किया गया, गलत है। क्योंकि तत्कालीन कमिश्नर ने श्री बिरधसिंह को रेवेन्यू इन्सपेक्टर के लिये अयोग्य माना था।

श्री लक्ष्मीचन्द : जिस रोज इन्टरव्यू हुआ उस रोज श्री हीरसिंह उपस्थित था या नहीं ?

श्री सम्पतराम : उपस्थित नहीं था।

श्री लक्ष्मीचन्द : उसका इन्टरव्यू कब हुआ और लिस्ट में कब आया ?

श्री सम्पराम : यह जरूरी नहीं कि इन्टरव्यू में न आये तो रिजेक्ट कर दिया जाय। उसका रेकॉर्ड, सर्विस बुक और रिकमन्डेशन ठीक है तो उसको बगैर इन्टरव्यू के भी लिया जा सकता है।

श्री लक्ष्मीचन्द : इसको इन्सपेक्टर में लेने के पहले यह पटवारी में कन्फर्म हुआ था या नहीं ?

श्री सम्पतराम : जी हां। जिस दिन सलेक्शन हुआ है उस दिन कन्फर्म पटवारी था।

श्री लक्ष्मीचन्द : श्री हीरसिंह पटवारी में कन्फर्म होने के पहले सिरोही स्टेट का पास शुदा था या नहीं ?

Page No.3

श्री सम्पतराम : यह सूचना नहीं है। यह एक अलग सवाल है।

प्रश्न संख्या ६६४

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६६५

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

जिला जालोर के सब-डिविज़नल ऑफिसरों का ऊंट पर दौरा

६६६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला जालोर के सब-डिविजनल ऑफिसरों को दौरा करने के लिये कितने-कितने शुतर सवार सौंपे गये हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि सब-डिविजनल ऑफिसर शुतर पर दौरा नहीं करते हैं ? यदि हां, तो शुतर सवार रखने की क्या आवश्यकता है ?

उप राजस्व मन्त्री : (श्री सम्पतराम) : (१) सब-डिविजनल ऑफिसर जालोर के पास एक शुतर सवार है। सब-डिविजनल ऑफिसर भीनमाल के पास २ सवार हैं।

(२) जब आवश्यकता होती है तो शुतर सवार पर दौरा करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आज कल हर जगह पर बस की व्यवस्था होने से शुतर सवार की उपयोगिता नहीं रही।

श्री सम्पतराम : रेवेन्यु अधिकारियों को प्रान्त के प्रत्येक हिस्से में जाना जरूरी है, क्योंकि बस सिस्टम इतना डवेलप्ड नहीं है कि हर जगह लोग कन्वीनियेन्टली जा सकें। इसलिये पब्लिक सुविधा की दृष्टि से यह व्यवस्था करना आवश्यक था।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सही है कि शुतर सवार के जरिये एक दफा भी दौरा नहीं किया गया ?

श्री सम्पतराम : यह सही बात नहीं है।

श्री तनसिंह : बता दीजिए कि कब हुआ दौरा ?

श्री सम्पतराम : कौन से एस. डी. ओ. के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री तनसिंह : जालोर, भीनमाल, जिस किसी के लिए आप पूछ रहे हैं।

श्री सम्पतराम : भीनमाल एस. डी. ओ. ने २२-३-५८ से २४-३-५८ तक, जालोर के एस. डी. ओ. ने १४-५-५८ से १६-५-५८ तक ऊंट पर दौरा किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मनरूपराम।

आदर्श पीचगा बनाने के लिए सहायता

६६७. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची-सु०) : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बूसी के भूत-पूर्व सरपंच को ५ वर्ष पूर्व १६४० रु० आदर्श पीचगा बनाने को दिये गये थे ? जो अभी तक नहीं बनाया गया है और हिसाब फर्जी पेश किया गया है ?

(श्री मनरूपराम परिहार)

(२) क्या यह सही है कि जनता की लम्बे समय से यह मांग है कि भूतपूर्व सरपंच श्री जसवन्तसिंह से रुपये वसूल कर, पीचगा बनवाया जाय, परन्तु आज तक राजकीय अधिकारियों ने गबन को छिपाने की कोशिश की है ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, अगली टर्न पर इसका जवाब दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

कब्रिस्तान के लिए भूमि का अलॉटमेंट

६६८. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कब्रिस्तान आदि का अलॉटमेंट करने को सरकार ने तहसीलदारों को आदेश दिये हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि गोलन्दाज का तकिया तहसील कोटपुतली में किसी को अलॉट किया है ?

(ग) क्या यह भी सच है कि वह व्यक्ति कब्रों के पत्थर निकाल कर जमीन जोतने की कोशिश कर रहा है ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी नहीं।

(ख) यह गोलन्दाज का तकिया उनकी जागीर में था और पाकिस्तान जाने से पहले जागीरदार उसमें स्वयं काश्त करता था। अन्य काश्तकार भी इसमें काश्त करते हैं और कुछ भूमि १६५७ में अलॉट की गई।

(ग) जी नहीं।

प्रश्न संख्या ६६६

श्री अध्यक्ष : श्री आनन्दसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जयचन्द्र मोहिल।

समाज कल्याण विभाग, चित्तौड़गढ़ के इन्सपेक्टर द्वारा अपने क्षेत्र का दौरा

६७०. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिन-सु०) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले के इन्सपेक्टर सिर्फ चित्तौड़ प्रोपर, मीरांनगर और स्टेशन बाउन्ड्री का ही दौरा करते हैं ?

(२) सहायता प्राप्त हरिजन सेवक-संघ ने इस जिले के किस हिस्से में कितने वर्ग मील पर और आज तक क्या क्या कार्य किये हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अगले सप्ताह में दे दिया जायगा।

श्री जयचन्द्र मोहिल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न उलझन भरा नहीं है कि जिसको आगे के लिए टाला जाय।

श्री अध्यक्ष : उलझन की आपको क्या मालूम है।

श्री जयचन्द्र मोहिल : कब उत्तर मिलेगा ?

Page No.5

श्री अध्यक्ष : आपने बताया कि अगले सप्ताह मिलेगा।

श्री रामकरणसिंह।

नायब तहसीलदार बनाने के लिये विभागीय कर्मचारियों के नामों की सूची

६७१. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि नायब तहसीलदारों की नियुक्त के लिये विभागीय कर्मचारियों के नामों की सूची रेवेन्यू बोर्ड सिलेक्शन कमेटी के सामने पेश करता है ?

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड में बहुत से प्रार्थना-पत्र दो साल से पड़े हैं, जिन पर कोई विचार नहीं किया गया ?

(ग) यदि हां, तो कितने कितने समय से ? पूरे डिटेल्स सहित सूची सदन की मेज पर रखें ?

(घ) क्या यह भी सही है कि ५ वर्ष से कम तजुर्बे वाले इन्स्पेक्टर्स के नाम बोर्ड ने, सिलेक्शन कमेटी के सामने पेश किये हैं और ५ वर्ष से अधिक तजुर्बे वालों के नाम पेश नहीं किये ?

(ङ) यदि हां, तो क्यों ?

(च) क्या जिन व्यक्तियों को उनके उचित अधिकारों से वंचित रखा है उनकी जांच करके अधिकार दिया जायगा ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) जो प्रार्थना पत्र नियम के अन्तर्गत थे, उन पर विचार किया गया, जो नहीं थे उन पर विचार नहीं किया गया।

(ग) इस विषय में कार्यवाही कर ली गई। समय आदि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) उचित कार्यवाही से किसी को वंचित नहीं रखा गया। ऐसी नियुक्ति सिलेक्शन से होती है, इसलिए जांच का सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री रामकरणसिंह : 'घ' प्रश्न का उत्तर आपने दिया, उसको फिर से दे दें, तो ठीक रहेगा।

श्री सम्पतराम : कौन सा ?

श्री रामकरणसिंह : 'घ'।

श्री अध्यक्ष : जी नहीं।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह माना जाय कि कोई भी व्यक्ति, जिसे ५ साल से कम का तजुर्बा था, इन्स्पेक्टर या नायब तहसीलदार के लिए रिकमन्ड नहीं किया गया ?

श्री सम्पतराम : जी हां, यह प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति जो लैंड रेकॉर्ड इन्स्पेक्टर पांच साल तक नहीं रहा है उसको नायब तहसीलदार का प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है।

प्रश्न संख्या ६७२

श्री अध्यक्ष : श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

Page No.6

ग्राम में मवेशियों की बैठने की भूमि को खाते बंधवाना

९७३. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पोलाई कलां, तहसील दीगोद, जिला कोटा के पटवारी श्री समीर मोहम्मद ने सैटलमेन्ट के समय ग्राम के मवेशियों की बैठने की तालाब व बांध के पेटे की भूमि को २०-२० बीघा खाते बंधवा दी ?

(२) क्या यह सही है कि इसी जगह का इस बार से पूर्व भी जनता की शिकायत पर इन्तकाल खारिज़ हो गया था ?

(३) क्या यह सही है कि वर्तमान पटवारी अब्दुल मज़ीद उक्त जमीन के नम्बरों की नकल जनता को मांगने पर भी नहीं दे रहा है ?

उप-राजस्व-मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) सैटलमेन्ट रेकॉर्ड में यह भूमि पड़त दर्ज है। यह भूमि तीन खातेदारों के नाम दर्ज हुई है। जांच से मालूम हुआ है कि यह भूमि पहले तालाब थी, परन्तु वह जगह अब भर चुकी है। श्री समीर मोहम्मद पटवारी के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है। यह जांच के बाद ही बतलाया जा सकेगा कि वह कहां तक सत्य है कि भूमि समीर मोहम्मद पटवारी ने बंधवा दी।

(२) जी नहीं। पहले कोई इन्तकाल खारिज़ होना नहीं पाया जाता है।

(३) जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : उन तीन आदमियों के नाम बताने की कृपा करें ?

श्री सम्पतराम : तीन आदमियों के नाम हमारे पास नहीं हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : जिनके खाते बांधी गई हैं उनके कृपया नाम बतायें ?

श्री सम्पतराम : जिन आदमियों के नाम बांधी गई है, उनके नाम हमारे पास नहीं हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि तालाब की जमींन में पहले पानी भरा रहता है और पानी सूखने के बाद तालाब के पेटे की जमींन थी वह आजकल काश्त पर दे दी गई है ?

श्री सम्पतराम : यदि वह तालाब का पेटा है और वहां पानी भरा रहता है तो वहां पर काश्त करने का प्रश्न नहीं है। पहले वह तालाब था और अब धीरे धीरे मिट्टी भर जाने से अब वह तालाब नहीं रहा।

श्री भैरोंसिह : वह अलॉटमेन्ट किसके द्वारा हुआ था ?

श्री सम्पतराम : इसमें अलॉटमेन्ट का तो सवाल ही नहीं है।

श्री भैरोंसिह : खाते में बांधने के लिए अलॉटमेन्ट होना जरूरी है। वह किसी के नाम तो अलॉट हुआ होगा।

श्री सम्पतराम : रेग्युलर अलॉटमेन्ट हुआ है या नहीं। इसमें सही क्या है और गलत क्या है, इसकी इन्क्वायरी चल रही है ?

श्री भैरोंसिह : क्या सरकार अभी इस नतीजे पर नहीं पहुँची है कि अलॉटमेन्ट हुआ है या नहीं ?

Page No.7

श्री सम्पतराम : अलॉटमेन्ट नहीं हुआ है। इन्क्वायरी चल रही है। सैटलमेन्ट रेकॉर्ड में ठीक तरह से दर्ज होना चाहिए। तो सैटलमेन्ट में उनको ट्रेसपासर्स या राइटफुल होल्डर हैं, इसकी इन्क्वायरी चल रही है। जिस आदमी का कब्जा होता है सैटलमेन्ट रेकॉर्ड में, उसको दर्ज करते हैं। किसी को लॉ फुल्ली दी गई है या नहीं, और सैटलमेन्ट में दर्ज हुआ, वह सही है या नहीं, यह इन्क्वायरी करने की बात है।

प्रोफेसर एम० सी० गुप्ता, वार्डन, महाराजा कॉलेज होस्टल

१७४. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है प्रोफेसर एम० सी० गुप्ता, वार्डन, महाराजा कॉलेज होस्टल ने सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार से लोन लेकर बंगला बनवाया है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उस मकान को उन्होंने किराये पर दे रखा है ?

(३) क्या उनसे कई सीनियर प्रोफेसरों ने मकान किराये पर दे रखे हैं ? यदि हां, तो सरकार उनमें से किसी को वार्डन क्यों नहीं बनाती ?

(४) प्रोफेसर एम० सी० गुप्ता को एयर, एन० सी० सी० अलॉउन्स मिलते हुए तथा उसका घर का होते हुए भी उन्हें वार्डन बना कर वार्डनशिप का अलॉउन्स क्यों दिया गया ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां, राजस्थान सरकार से लोन लिया है।

(२) जी हां।

(३) जी हां। क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि सीनियर को ही वार्डन बनाया जाय।

(४) वार्डनशिप का कोई अलॉउन्स नहीं दिया जा रहा है। जिस समय उन्हें वार्डन नियुक्त किया था, उनका जयपुर में कोई मकान नहीं था।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि इस समय उनका बंगला भी तैयार हो गया है और किराये पर चल रहा है और वे स्वयं सरकारी मकान में रहते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री रामकरणसिंह : क्या सरकार एक आदमी को जो कि तीन तरफ से फायदा उठा रहा है, जिसने सरकार से लोन लिया है, बंगला सरकार ने दे रखा है और खुद के मकान का फायदा उठा रहा है, इस बात का विचार रखती है कि वह नाजायज़ फायदा नहीं उठावे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें किन्हीं नियमों का उल्लंघन नहीं है। ऐसा किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अलॉटमेन्ट ऑफ गवर्नमेन्ट हाउसेज़ के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के अनुसार एक सरकारी अफसर जिसका बंगला जयपुर में हो सरकारी बंगले में रहे तो सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes.

श्री भैरोंसिंह : तो क्या उक्त प्रोफेसर महोदय ने इस प्रकार की अनुमति प्राप्त की है ?

श्री पूनमचद बिश्नोई : यह वार्डनशिप का सवाल है। वार्डन का बंगला होस्टल से लगा हुआ है, इसलिए आवश्यकता नहीं रहती है पर्मिशन लेने की।

श्री मूलचन्द डागा : कितना लोन दिया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह अलग प्रश्न है।

दौसा में शीतला माता के मन्दिर की नाल व बरामदा टूटने की जांच

६७५ **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि दौसा में शीतला माता के मन्दिर की नाल व बरामदे को किसी व्यक्ति-विशेष ने तोड़ा है ?

(२) क्या धर्मार्थ विभाग, जयपुर द्वारा नाज़िम (सब-डिविज़नल ऑफिसर) दौसा की मार्फत तहकीकात कराने के बाद इस विषय की शिकायत पर निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) मंदिर प्राइवेट है। इसलिये देवस्थान विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। राजस्थान रिलिजियस प्लेसेज़ एण्ड बिल्डिंग एक्ट, १९५२ में कोई प्रावधान नहीं है, जिससे इसमें कार्यवाही की जाय, लेकिन सब-डिविज़नल ऑफिसर दौसा को लिखा गया है कि अगर आवश्यक समझा जाय तो कसूरवार को ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ के तहत प्रोसीक्यूट किया जा सकता है।

श्री सूरजमल : यह मन्दिर की नाल कब और किसने तोड़ी थी ?

श्री सम्पतराम : माधोलाल नाम का व्यक्ति था, उसने तोड़ी थी ?

श्री सूरजमल : क्या अभी तक उसके खिलाफ इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री सम्पतराम : जी नहीं। यह देवस्थान डिपार्टमेंट के अन्दर नहीं था और जिस एक्ट के तहत कार्यवाही होनी चाहिए थी, उसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं, था, इसलिए ऑर्डिनरी लॉ के तहत कार्यवाही करने का आदेश एस० डी० ओ० को दिया गया है।

गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर के प्रोफेसर श्री मोहम्मद इलियास

६७६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के प्रोफेसर श्री मोहम्मद इलियास की नियुक्ति राज्य सेवा में कब और किस पद पर हुई थी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त प्रोफेसर इससे पूर्व महाराजा कॉलेज जयपुर में इलियास मोहम्मद ज़ाफरी के नाम से प्रोफेसर थे ?

(३) क्या यह सही है कि इनको महाराजा कॉलेज से बर्खास्त किया गया था ? यदि हां, तो क्यों और कब ?

(४) अजमेर में प्रोफेसर की नियुक्ति के समय क्या उक्त प्रोफेसर ने अपने प्रार्थनापत्र में इस बर्खास्तगी का उल्लेख किया था ? यदि हां, तो फिर नियुक्ति क्यों की गई ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) इनकी नियुक्ति लेक्चरार के पद पर निम्न तिथियों पर हुई थी :

१५-६-४५, ६-४-५७, १५-७-५८।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां, सन् १६५१ में, क्यों कि इन्हें धारा ३७६ आई० पी० सी० में सजा हुई थी और इन्हें इन्टेडिंग इवेक्वी करार दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : इनको कितनी सज़ा हुई थी ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : दो महीने की।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है सज़ा होने के बाद ये डिसमिस कर दिये गये थे ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डिसमिसल के बाद वह रिएम्प्लॉयड हुए ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रिएम्प्लॉयमेंट की दरख्वास्त जब पेश की तो इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उन्होंने पिक पॉकेटिंग के बारे में सज़ा पाई है और बरख्वास्त भी हुए हैं ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : इसका उत्तर भाग (४) के उत्तर में दिया जा चुका है।

श्री भैरोंसिंह : उत्तर नहीं आया है।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : मैंने दे दिया है इसका उत्तर।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि क्या रिएम्प्लॉयमेंट के लिए एप्लीकेशन दी, उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि उनको पिक पॉकेटिंग के बारे में सज़ा मिली है, डिसमिस हुए हैं, और उसके बाद में रिएम्प्लॉयमेंट की उन्हें आवश्यकता है।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : भाग (४) में उत्तर दिया है कि उन्होंने उल्लेख नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि वे सजायाफ्ता और डिसमिस्ड शुदा व्यक्ति है और इस तरह के व्यक्ति को रिएम्प्लॉयमेंट करने के लिए सरकार के नियम नहीं थे ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : यह सब हाल मालूम था कि वे डिसमिस किये गये हैं और सज़ायाफ्ता हैं, उसके बाद में सोच विचार करही, एज ए स्पेशल केस उनको रिएम्प्लॉयड किया गया था।

श्री भैरोंसिंह : आयन्दा लोगों की जेब नहीं काटेंगे और किस स्पेशल सरकम्स्टान्सेज के कारण रिएम्प्लॉयमेंट हुआ ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : उनकी मुसीबत को देखते हुए। यह हमको मालूम था कि पिक पॉकेटिंग के बारे में एक प्रोफेसर को सज़ा हो जाय और वे इन्टेन्डेड इवेक्वी हो गये और उनकी स्थिति दयनीय थी। 'एज ए स्पेशल केस' उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके, उसको ट्रीट करके, उनका रिएम्प्लॉयमेंट हुआ। वे पी० एस० सी० से सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बावजूद यह निर्णय नहीं लिया गया है कि इनका अपॉइन्टमेंट करना पर्मानेन्टली उचित होगा या नहीं। जांच पूरी हो जायगी, उस पर निर्णय लिया जायगा।

Page No.10

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान हाईकोर्ट में जब उन्होंने अपील की थी अपने डिसमिसल के अगेन्स्ट में, तो यह जजमेंट दिया था कि एक लेक्चरार लड़कों की जेब काटता है, इस प्रकार के व्यक्ति को किसी भी सर्विस में नहीं रखना चाहिए।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : डिसमिसल हो जाने के बाद भी अमूमन तो नहीं, लेकिन एग्ज़ीक्यूटिव को अधिकार है कि सर्टेन केसेज़ में जुडिशियल फैसलों से भी किसी को एग्जेम्प्ट कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि लॉ डिपार्टमेंट को कन्सल्ट किया था सरकार ने कि इस प्रकार के अपॉइन्टमेंट देने के लिए वे अधिकृत हैं या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां। लॉ डिपार्टमेंट ने यह राय दी कि अमूमन रिएम्प्लॉयमेंट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है। इसलिए स्पेशल केस ट्रीट करके रिएम्प्लॉयमेंट दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि लॉ डिपार्टमेंट से राय ली थी क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : तो लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी क्या राय दी थी।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : लॉ डिपार्टमेंट की राय यह थी कि अमूमन तो रिएम्प्लॉय में नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्ज़ीक्यूटिव चाहे तो कर सकती है और इसको स्पेशल केस ट्रीट करके रिएम्प्लॉय किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सर्विस रूल्स के अन्दर कोई ऐसा रूल है कि इस प्रकार से जब तक इमर्जेन्सी नहीं हो तब तक सरकार को उन क्लासेज़ को वेव नहीं करना चाहिए जिसके कारण से डिसमिस्ड शुदा कर्मचारी को रिएम्प्लॉयमेंट दिया जा सके।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : यह सरकार के डिस्क्रीशन की बात है। उसी आधार पर वेव किये गये हैं और सारा देख कर, विचार करके बात की गई है।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसमें सरकार ने क्या डिस्क्रीशन समझा ? क्या जेब कतरने की ट्रेनिंग लड़कों को देनी थी ?

श्री अध्यक्ष : It is really a serious matter, if the Government accepts a man.

श्री भैरोंसिंह : हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद भी जेबकतरों को गवर्नमेंट सर्विस में रखने के लिए, राजस्थान गवर्नमेंट को जेब काटने की और जेब भरने की क्या कठिनाई आ गई थी कि उनको रिएम्प्लॉयमेंट दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : I don't think there can be any other ruling which go against these facts.

एक माननीय सदस्य : क्या वे किसी मंत्री के रिश्तेदार हैं।

श्री भैरोंसिंह : कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें, माननीय मंत्री महोदय। क्या यह सही है कि महाराजा कॉलेज में उनका नाम इलियास मोहम्मद था और अजमेर में उन्होंने अपना नाम मोहम्मद इलियास बदल लिया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं, यह ठीक नहीं है।

Page No.11

श्री भैरोंसिंह : आप फिर जांच कर लें। डिपार्टमेंट ने आपको गलत सूचना दी है। मैंने इन सारे कागज़ात को देखा है और हाई-कोर्ट का फैसला देखा है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मेरे पास सारी फाइल है। मैंने उसको देखा है। उसकी ओरिजिनल सर्विस और एप्लीकेशन देखी है। कोर्ट का फैसला भी देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आप जो फर्मा रहे हैं वह ठीक नहीं फर्मा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस बात की आवश्यकता नहीं समझती है कि हाई कोर्ट ने जिस व्यक्ति के लिए इस प्रकार का जजमेंट दिया है, उस सारे को इवेड करके रिएम्प्लॉय-मेंट दिया है, उसकी जांच करायें ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : हाईकोर्ट से फांसी की सज़ा होने के बाद भी एग्ज़ीक्यूटिव को सर्टेन केसेज़ के अन्दर फांसी की सज़ा को भी मुआफ करने का अख्तियार है। एग्ज़ी-क्यूटिव को सर्टेन मामलों के अन्दर ऐसा अख्तियार दिया गया है।

श्री जनार्दनराय नागर : तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : उनका सिले-क्शन पी० एस० सी० से हुआ है, फिर भी उस सिलेक्शन के आधार पर अपॉइन्टमेंट नहीं किया गया है। उनके एन्टीसिडेन्ट्स की जांच हो रही है, जांच होने के बाद निर्णय लिया जायगा।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरा प्रश्न यह था, जांच होकर, तमाम हालत को देख कर सरकार किस नतीजे पर पहुंच सकी है।

श्री अध्यक्ष : I think they will have a better wisdom after all these discussions.

तहसील किशनगढ़ के नरवर तफे में पटवारी का अभाव

९७७. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़): क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या किशनगढ़ तहसील के नरवर तफे में करीब एक साल से ज्यादा समय से पटवारी नहीं है और इस वज़ह से उस पटवार खाने के गांव का राजस्व लगान वसूल नहीं हुआ, न वहां गश्त-गिरदावरी ही हुई है और न काश्तकारों को स्लिपें ही काश्त की दी गई ?

(२) अगर हां, तो क्यों ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) :
(१) जी नहीं। वहां केवल १३-२-५८ से १३-१०-५८ तक पटवारी नहीं रहा। सं० २०१४ का ११४ लगान वसूल हो गया था, बाकी अब वसूल किया जा रहा है। काश्त गिरदावरी समय पर हो गई। स्लिपें कुछ पहले दी गई और जो बाकी रह गईं वे अब दी जा रही हैं।

(२) वहां के पटवारी ने त्याग पत्र दे दिया था और उस स्थान पर नये पटवारी की नियुक्ति की आज्ञा २३-८-५८ को ज़ारी की गई, किन्तु उसने १४-१०-५८ को कार्य-भार संभाला।

बेरांवास काना, तहसील पदमपुर का मु० नं० २५ बिना मंजूरी के काश्त

९७८. **श्रीमती सतवन्त कौर** (करणपुर): क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्रीमती सतवन्तकौर)

(१) बेरांबास काना, तहसील पदमपुर, ज़िला गंगानगर का मु० नं० २५ बारानी पिछले पांच वर्षों से किस-किस को आराज़ी काश्तपर मिला आ रहा है, तथा अब तक कितनी रकम वसूल की जाती रही है ?

(२) यदि मु० नं० २५ बिना मंजूरी काश्त होता रहा है तो उस पर कितना तावान कायम हुआ ?

(३) उपरोक्त भूमि का इस वर्ष अभी तक अलॉट नहीं किये जाने का क्या कारण है?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) यह नम्बर २५ नहीं बल्कि २१ है । श्री भाबर हरिजन को अलॉट किया गया । २ वर्ष की रकम बाकी है ।

(२) विचाराधीन है ।

(३) इस साल १९५८-५९ के लिये पड़ता नीलामी पर दी गई है ।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या यह सही है कि यह चक बिना मंजूरी एक आदमी के पास ५ साल तक रही ?

श्री सम्पतराम : नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बगैर मंजूरी के रही हो । उनको अलॉट की गई थी, लेकिन उस पर कुछ फसलों में काश्त नहीं की गई ।

श्री गिरधारीलाल : प्रश्न के भाग (२) का जवाब दिया गया है 'विचाराधीन है'; तो विचाराधीन क्या है ?

श्री सम्पतराम : तावान का सवाल विचाराधीन है, कितना लेना है, और कितना नहीं लेना, यह विचाराधीन है ।

श्री गिरधारीलाल : यह कब से विचाराधीन है ?

श्री सम्पतराम : जब से नोटिस में में आया कि काश्त ठीक तरह से नहीं की है ।

श्री गिरधारीलाल : कब तक निश्चित कर लेंगे कि कितना तावान लगाना है ?

श्री सम्पतराम : विचाराधीन है, जल्दी ही लिख दिया जायगा तहसीलदार को कि जल्दी फैसला कर दे ।

एस० डी० आई० द्वारा प्राथमिक स्कूलों का निरीक्षण

९७६. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) शिक्षा विभागीय नियमानुसार एक एस. डी. आई. को एक माह में कितनी प्राथमिक शालाओं का निरीक्षण करना चाहिये ?

(२) सहायक उप-निरीक्षक, लालसोट (जयपुर-पूर्व) ने १ दिसम्बर ५७ से ३० सितम्बर ५८ तक कितनी स्कूलों का निरीक्षण किया ?

(३) प्राईमरी शाला मयपुर, अमराबाद, देवली, टोडा ठेकला (लालसोट) कौन सी तारीख को खुले और इनके कितने निरीक्षण हुए ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : नम्बर निर्धारित नहीं हैं ।

(२) ४१

Page No.13

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(३) विवरण निम्न प्रकार है :

जगह का नाम	स्कूल खुलने की ता०	सं०नि०
मयपुर	४-१-५४	१
अमराबाद	८-११-५६	कोई नहीं
देवली	१-५-५७	५
टोडा ठेकला	२-७-५६	१

ग्राम काठोदा, तहसील रूपनगढ़ (अजमेर) में खातेदारी अधिकार

९८०. **श्री भैरोंसिंह** (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल की अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम काठोदा, तहसील रूपनगढ़, ज़िला अजमेर में किस-किस किसान को कितनी कितनी भूमि के खातेदारी अधिकार के पर्चे तहसीलदार द्वारा दिये गये ?

(२) उक्त किसानों में किस-किस के पास पहले से कितनी-कितनी काश्त की भूमि मौजूद है ?

(३) जिस भूमि के पर्चे दिए गए हैं, उस भूमि में ऐसी कितनी भूमि है, जो चारागाह के काम में आती रही है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त भूमि के पर्चे बिना अलॉटमेंट कमेटी की स्वीकृति के दिए गए हैं ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : ग्राम काठोदा, तहसील रूपनगढ़ में किसी काश्तकार को तहसीलदार द्वारा कोई खातेदारी अधिकार के पर्चे नहीं दिए गये ।

(२), (३) और (४) का प्रश्न नहीं उठता ।

ज़िला अजमेर में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम

९८१. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या अजमेर ज़िले में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम सन् १९५२-५३ को रद्द कर दिया गया है ?

(२) अगर नहीं, तो इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ने वाले छात्रों से फीस क्यों ली जा रही है ?

(३) क्या सरकार अन्य राज्यों की तरह अनिवार्य शिक्षा के मातहत अलग स्टाफ रखना चाहती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या राज्य सरकार अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् की सिफारिश के अनुसार राज्य में अनिवार्य तथा मुफ्त प्राथमिक शिक्षा ६ से ११ वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू करने के लिए इस वर्ष कोई व्यवस्था कर रही है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) जी नहीं ।

(२) कोई ट्यूशन फी (शुल्क) नहीं ली जाती है ।

(३) इस कार्य के लिये निम्नलिखित एन्फोर्समेन्ट कर्मचारी अजमेर जिले में कार्य कर रहे हैं :

१.	एन्फोर्समेन्ट ऑफिसर	१
२.	,, असिस्टेन्ट	३
३.	उपस्थिति अधिकारी	६

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(४) जी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : अब तक जो फीस ली जा रही है क्या उसको रिफंड करेंगे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ट्यूशन फीस नहीं ली जा रही है और न ली गई है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं जानकारी के आधार पर कहता हूं कि ट्यूशन फीस लीगई है और अगर ली गई है तो क्या आप उसे वापिस देंगे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरे पास सूचना है कि ट्यूशन फीस नहीं ली गई है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको कहता हूं कि ट्यूशन फीस ली गई है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अगर किसी से ली गई है, तो आप उनके नाम बताइए रिफंड के ऑर्डर दे देंगे ।

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर का उदघाटन

९८२. **श्री सूरजमल** (फलोदी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर के स्थापित होने के कितने समय बाद केन्द्रीय मन्त्री माननीय डा० वी. वी. केसकर द्वारा उसका उद्घाटन हुआ ?

(२) इस अकादमी के उद्घाटन के शो में कितने नृत्य कलाकार व संगीतज्ञ वेश्याओं के घराने के थे व कितने नागरिक ?

(३) इसके उद्घाटन नाटक में कुल कितनी रकम किस किस कार्य में किसकी खर्च हुई

(४) क्या उक्त उद्घाटन समारोह पर खर्चा सरकार द्वारा किया गया था ?

(५) यदि हां, तो यह खर्चा क्यों किया गया जबकि सरकार गांवों में जनता के लिये छोटी सी स्कूल का भवन भी बनवाने में असमर्थ है ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) (१) करीब डेढ़ माह बाद ।

(२) सभी भारत व राजस्थान के उच्च कलाकारों में से थे । विभिन्न विद्यालयों के छात्र व छात्राओं ने भी भाग लिया था ।

(३) कुल ३९८२ रु० १८ नये पैसे सरकार के खर्च हुए । यह खर्चा निम्न कार्यों पर हुआ :

१. छविग्रह का किराया (२) रोशनी व सजावट ३. छपाई ४. सामान व कलाकारों के लिये किराया (५) कलाकारों को प्रदर्शन हेतु ६. श्रम ७. ट्रन्क व टेलिफोन ८. फुटकर खर्च ।

(४) जी हां ।

(५) संगीत, नृत्य एंव नाटक स्वयं शिक्षा का ही अंग है । इसका उत्थान करना भी सरकार का कर्तव्य है । अतः केन्द्रीय सरकार के आदेश पर ही अकादमी की स्थापना की गई ।

श्री तनसिंह : प्रश्न के भाग (२) का उत्तर ठीक प्रकार से नहीं दिया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें वेश्याओं के घराने का कोई नहीं था।

श्री मूलचन्द डागा : यदि कोई कलाकार वेश्या हो, तो क्या ऐतराज़ है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कोई ऐतराज़ का सवाल नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : यह अकादमी निजी तौर पर संस्था है या सरकारी तौर पर ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अभी तक तो सरकारी संस्था का स्तर है, लेकिन अब इसे बदलने की कोशिश की जा रही है

काकड़ काश्त करने वाले किसानों को खातेदारी अधिकार

९८३. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने काकड़ काश्त करने वाले किसानों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आदेश दिये हैं ?

(२) यदि हां, तो सलूम्बर तहसील में काकड़ काश्त के कितने खाते हैं और खातेदारी प्राप्त करने के ऐसे कितने मामले चल रहे हैं तथा उनमें से कितने फैसले हुए हैं ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं।

(२) सन् १९५८ में अब तक १४० मिसलें तरतीब हुई हैं जिनमें ४२ मिसलों पर ताज्दीद बन्दोबस्त खातेदारी हक मंजूर किये गये। २० मिसलें अदम पैरवी में खारिज़ हो गईं और शेष ७८ मिसलें अभी जेर कार्यवाही हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : जिन्होंने दरख्वास्त दी हैं उनमें से कितने बाकी हैं। एन्ट्रीज़ में नाम चला आ रहा है, उनकी संख्या कितनी है ?

श्री सम्पतराम : यह लंबा-चौड़ा सवाल था, सूची माँगी गई थी, लेकिन समय पर नहीं आई।

श्री सोहनलाल भटनागर : अध्यक्ष महोदय, एक ही तहसील की सूचना मांगी थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

सोजत में गाडोलिया लुहारों को बसाने हेतु मकान

९८४. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सोजत, ज़िला पाली में गाडोलिया लुहारों को बसाने हेतु कितने मकान बनाये गये और उन पर कितना रुपया व्यय हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सभी मकान गत पहली वर्षा में ही गिर गये ?

(३) यदि हां, तो मकानों के बनाने वाले ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त गाडोलिया लुहारों के मकान इतने गलत और दूर स्थान पर बनाये गये हैं कि वहां कोई भी व्यक्ति रहना पसन्द नहीं करता ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

उपाध्याय) : (१) सोजत में गाडोलिया लुहारों को बसाने हेतु १०४ मकान बनाने की स्वीकृति थी, उनमें १०२ मकान बनाये गये थे। उन पर कुल ३३, २५० रु० व्यय हुए हैं ।

(२) जी नहीं। १७ मकान गत वर्षा में गिरे ।

(३) ये मकान ज़िलाधीश पाली के जरिये ठेकेदार द्वारा बनाये गये थे। इस संबंध में सरकार ने एस. डी. ओ. सोजत एवं संचालक, समाज कल्याण विभाग को जांच करने के आदेश दिये थे। जांच की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है, जो व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी ।

(४) गाडोलिया लुहारों के १०४ मकान एवं कॉलोनी के रूप में सोजत सिटी से २ मील दूरी पर बनाये गये हैं। सोजत सिटी के पास इतनी बड़ी कॉलोनी के बसाने के लिये भूमि उपलब्ध नहीं थी, इसलिये उनको इस जगह बसाया गया था। प्रायः नई बस्तियां अन्यत्र भी इतनी ही दूरी पर बसाई गई हैं जहां लोग रह रहे हैं। सदियों से घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने के आदी होने के कारण वे लोग आते-जाते रहते हैं; दूरी के कारण बसने का प्रश्न नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या अब तक वहां कोई बसा है ? उस कॉलोनी में कितने लोग बसे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १५ परिवार।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि वहां पर ज्यादा लोग इसलिए नहीं बसे कि उनको इस बात का भय था कि कहीं वहां जाकर रहने लगें और छतें गिर जायं तो दब जायेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अब इस बात का डर नहीं रहा, सरकार ने और पैसा दिया है।

श्री भैरोंसिह : जो छतें बनी हुई थीं उनके बारे में जांच की है कि वे टूटने वाली नहीं हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : छतों में खामी थी इसलिए दुबारा मरम्मत करने की कार्यवाही की गई है। वहां पर और रुपये लगाने की मंजूरी दी गई है ।

श्री भैरोंसिह : जितने लुहार और बसेंगे वे एडिशनल होंगे, लेकिन जो छतें टूट रही हैं उनका क्या होगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं जानकारी करके कहूंगा।

श्री आनंदसिंह कछवाहा : दुबारा मरम्मत में कितना खर्चा हो रहा है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ४०० रुपये प्रति मकान स्वीकार किये गये ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि इसकी जांच एस. डी. ओ. से करवाई गई जो कि कलेक्टर के मातहत है और कलेक्टर व ठेकेदार ने मिलकर उसमें गड़बड़ी की है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जांच हो गई है ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि जांच नीचे के अफसर कर रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जांच एस. डी. ओ. और समाज कल्याण अधिकारी ने की है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह समझती है कि एस. डी. ओ. जो कलेक्टर के मातहत है, सही रिपोर्ट देगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहले वहां पर कलेक्टर दूसरे व्यक्ति थे, अब दूसरे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या कलेक्टर से नीचे के अफ़सर एस. डी. ओ. द्वारा कलेक्टर के खिलाफ जांच करवाना उचित है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो जनरल जानकारी थी कि किस की गलती से ऐसा हुआ।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, अवलोकन हो रहा है, निरीक्षण हो रहा है या जांच हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : जांच की रिपोर्ट की जांच हो रही है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : किसकी गलती से छतें कमज़ोर रहीं, इसकी जांच हो रही है। किसी व्यक्ति-विशेष के विरुद्ध नहीं है।

श्री आनन्दसिंह कछवाह : जब ये मकान बने थे तो कितना रुपया प्रति मकान खर्च पड़ा था जब कि रिपेयर्स के लिये ४०० रुपया प्रति मकान खर्च किया जा रहा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : रिपेयर्स की ही बात नहीं है, यह भी है कि जहां एक्स्टेन्शन की जरूरत हो वहां बढ़ाया भी जाय।

श्री आनन्दसिंह कछवाह : ये मकान बने थे तो प्रति मकान ढ़ाई सौ रुपया खर्च हुआ था, वहां रिपेयरिंग के ४०० रुपया प्रति मकान खर्च हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, यह रिपेयरिंग है या रीमोडलिंग है ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और पूछना है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र : इस पर मेरा भी एक प्रश्न है कि पाली से दो मील दूर बस्ती बसाने के लिये क्या वहां के कार्यकर्ताओं की राय ली गई थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक कमेटी बनाई गई थी, उसकी सलाह से ही यह कार्य किया गया था।

श्री मूलचन्द डागा : उस कमेटी ने रिपोर्ट क्या दी है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कि मकान अच्छे नहीं बने हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मकान अच्छे नहीं बने हैं, इसके लिये किसको कसूरवार ठहराया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कुल मिला कर ठेकेदार की ही ज्यादा गलती है और किसी की नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : इस तरह के मकान बनाने के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट की

Page No.18

(श्री पी० के० चौधरी)

ओर से पैसा मिलता है या स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से दिया जाता है ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि यह मकान बनाये जा रहे थे तो उस कमेटी ने शिकायत की थी कि जो मेटिरियल इन मकानों में लगाया जा रहा है वह खराब है, जो मेटिरियल लगाना चाहिये वह नहीं लगाया जा रहा है ? पर कलेक्टर ने कोई कार्यवाही नहीं की और खुद भी दोषी बना ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बाद में जब कमेटी को मालूम हुआ तो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि मकान ठीक नहीं बन रहे हैं ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : ये मकान सोजत रोड पर क्यों नहीं बनाये गये, जो स्टेशन के पास है ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ९८५ का उत्तर मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : पहले इसका उत्तर दे दें ।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट वेचने के लिये एजेंट

९८६. **श्री भैरोंसिह** (श्रीमाधोपुर) : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि रेवेन्यु विभाग के अधिकारियों को नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट बेचने के लिये एजेन्ट के रूप में काम करके, कमीशन प्राप्त कर सकने का अधिकार दिया गया है ?

(२) क्या सरकार को मालूम है कि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट जबरन जनता को दिये जा कर उनसे पैसे वसूल किये जाते हैं और सर्टिफिकेट न खरीदने की सूरत में उनका वाजिब काम नहीं किया जाता है ?

(३) सन् १९५७–५८ में किस किस अधिकारी ने कितना कितना कमीशन प्राप्त किया है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उप वित्त मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) हां, ऐसी आज्ञा फरवरी ५८ में जारी की गई थी ।

(२) नहीं । ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई है । राजस्व विभाग के कर्मचारियों के एजेंट बनने की स्वीकृति देते समय यह साफ आज्ञा दे दी गई थी कि यदि किसी ने जबर्दस्ती की तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी । सरकार ने यह योजना दो उद्देश्यों से जारी की है । प्रथम इसके द्वारा जनता में बचत की आदत डाल कर फजूलखर्चियों को रोके, दूसरे इस योजना का ध्येय राष्ट्र निर्माण के लिये धन जुटाना है । सरकार इस योजना में धन चन्दे के रूप में नहीं परन्तु ऋण के रूप में जनता से अच्छी ब्याज दर पर उनके और परिवार की सुरक्षा तथा भविष्य के हित में प्राप्त करती है ।

(३) यह जानकारी सरकार के पास में उपलब्ध नहीं है । कमीशन एजेंट सीधे ही प्राप्त कर लेते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस कमीशन के लालच में स्थानीय तहसील-दार, जब तक कि किसी व्यक्ति द्वारा सर्टिफिकेट नहीं खरीदे जाते, उसका कोई काम नहीं करते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार की शिकायतें राजस्थान के सचिवालय में, राजस्थान के मंत्रियों के पास तथा सेक्रेटरीज़ के पास आई हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि एजेंट पर सरकारी अधिकारियों द्वारा नेशनल सर्टिफिकेट खरीदने के लिये किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : केवल नैतिक दबाव डालते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कोशिश करेंगे कि दबाव डाल कर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट खरीदने की झूंठी शिकायतें दूसरी पार्टियां कराती हैं ?

श्री तनसिंह : जी नहीं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस बात के आंकड़े इकट्ठे नहीं कर सकती कि किस अधिकारी को कितना कमीशन नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट बेचने से मिला है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे नहीं कर सकती कि अमुक अधिकारी ने कितने नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट दिये और कितना कितना कमीशन उसको मिला ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

(अनवरत हंसी)

श्री अर्जुनदास : जब मन्त्री महोदय ने कहा कि ऐसी कोई शिकायत आई ही नहीं है तो फिर ज्वालाप्रसादजी ने कैसे कह दिया कि विरोधी दल की तरफ से झूंठी शिकायतें कराई जाती हैं...

श्री अध्यक्ष : ऐसी संभावना भविष्य में हो सकती है।

श्री अर्जुनदास : मन्त्री महोदय ने कहा है कि इस तरह की शिकायतें आई ही नहीं है....

श्री अध्यक्ष : यह हिन्दी का मामला है

(अनवरत हंसी)

श्री मोहरसिंह

तहसील राजगढ़ (चूरू) में खातेदारी अधिकार के दावे

१८७. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) चूरू ज़िले की राजगढ़ निज़ामत में टिनेन्सी एक्ट की धारा १९ के अन्तर्गत खातेदारी लेने के कुल कितने दावे दायर किये गये थे ?

(श्री मोहरसिंह)

(२) आज तक कितने दावों का निपटारा किया गया और कितने पेंडिग हैं ?

(३) ये दावे ज्यादा से ज्यादा कितने समय से पेन्डिग हैं ?

(४) इनके पेन्डिग रहने के क्या कारण हैं ?

(५) क्या यह सही है कि कुछ दावों में प्रतिवादी को बार बार तलब करने पर भी हाज़िर नहीं होते ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) ३१११ प्रार्थनापत्र पेश हुए।

(२) १७४१ प्रार्थनापत्रों का निपटारा किया का चुका है, १३७० पेन्डिग हैं।

(३) १-४-५६ से पेन्डिंग हैं।

(४) इन दावों के पेन्डिग रहने का कारण यह है कि कई केसेज़ में प्रार्थियों ने अभी तक मुताबिक कायदा तकमील पूरी नहीं कराई है, जिससे देर हो रही है।

(५) यह बात आम तौर से सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

बोर्डिंग हाउस, सांचोर की मरम्मत पर खर्च

९८८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ज़िला जालोर के सांचोर बोर्डिंग हाउस को सरकार ने अपनी संरक्षकता में लिया है ? यदि हां, तो उस पर मरम्मत के, सन् १९५५ से आज तक प्रति वर्ष कितने २ रुपये खर्च हुए हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त बोर्डिंग हाउस में सभी कमरों में पानी बहुत गिरता है जिसके कारण छात्रों को ठहरने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां।

(२) सन् १९५५-५६ में—४८६ रु०
सन् १९५६-५७ में—३०६ रु०
सन् १९५७-५८ में— ६३ रु०

(२) केवल एक भाग में जो कच्चा है और जिस पर टाइल्स की छत है पानी टपकता है। इसकी मरम्मत के लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कितने साल से यह कार्यवाही हो रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि साल का सवाल ही नहीं उठता, पिछले तीन सालों में बराबर रुपया मंजूर होता रहा है।

श्री लक्ष्मीचन्द : सिर्फ कागज़ों में मंजूर होता रहा है या खर्च भी होता रहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने सवाल पूछा कि कितना-कितना रुपया खर्च हुआ। मैंने उत्तर में जी हां, करके खर्चा बताया।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस बात का नोट है कि इतना खर्च हो गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने उत्तर दे दिया। माननीय सदस्य ने न सवाल पढ़ा है और न उत्तर ही समझने की कोशिश की।

Page No.21

श्री भैरोंसिंह : आपकी समझ का भी ध्यान है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

ढ़ानी बड़ी ग्राम की जमीन

६८६. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजगढ़ तहसील, डिस्ट्रिक्ट चूरू के ढ़ानी बड़ी ग्राम की जमीन खसरा नंबर ३५४, ३२५, १७६, व १८० में से ६० बीघा रकबा जोहड़ ताल व कुओं की भरवाई के लिये कमिश्नर बीकानेर के हुक्म से छोड़ा गया है ?

(२) यदि हां, तो कौन सी तारीख से छोड़ा गया है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त रकबे को लोगों से अभी तक नहीं छुड़ाया गया है, और इस साल भी यह रकबा काश्त किया गया है ?

(४) यदि हां, तो इतने समय के बाद भी कमिश्नर के आदेश का पालन न किये जाने का क्या कारण है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) बहुक्म कमिश्नरी दिनांक १०-१०-५६, दिनांक ४-१२-५७ को कागज़ात पटवार में अमल-दरामद किया गया है। मगर अभी कब्जा नहीं छोड़ा गया है।

(३) जी हां।

(४) कब्ज़ा छुड़ाने की कार्यवाही चालू है ?

श्री मोहरसिंह : कब्जा छुड़ाने की कार्यवाही कब से ज़ारी है ?

श्री सम्पतराम : जब से पटवार कागज़ात में अमल-दरामद हुआ ?

श्री मोहरसिंह : तारीख बताइये, तारीख पूछी है ?

श्री सम्पतराम : ४-१२-५७ से।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय ४-१२-५७ से अब तक काफी अर्सा हो गया है, अभी तक उससे कब्जा नहीं छुड़ाया गया है, इस साल उस आदमी ने उस जमीन पर और काश्त की है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, बाकायदा ऑर्डर ज़ारी हो गया है कि उस काश्तकार से सम्बन्धित जमीन को छुड़ा दिया जाय। इस पर भी किसी काश्तकार ने उस जमीन पर कब्जा किया है तो कानूनी कार्यवाही होगी। हमारे द्वारा जमीन को छुड़ाने की कार्यवाही करने के बाद भी यदि वह अपील में जाता है तो इसमें और भी देरी हो सकती है।

श्री मोहरसिंह : इस साल फिर उसने काश्त की है तो क्या उस पर तावान किया जायगा ?

श्री सम्पतराम : उसके खिलाफ टिनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। इस पर भी वह अपील करेगा तो और भी ज्यादा समय लग सकता है।

श्री मोहरसिंह : अपील का समय तो निकल गया। अगर यह साबित हो जाय कि उसने इस साल भी उस जमीन पर काश्त की है तो क्या उस पर तावान किया जायगा ?

Page No.22

श्री सम्पतराम : अगर कानून के खिलाफ कार्यवाही की है तो जरूर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न संख्या ६६०

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री गिरधारीलाल।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बाद में ले लेंगे।

श्री गिरधारीलाल।

ज़िलों में हाउस लोन के लिये स्वीकृति धन-राशि

६६४. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

सन् १६५५ से आज तक राज्य भर में हाउस लोन के प्रत्येक ज़िले को कितनी-कितनी धन-राशि सहायता स्वरूप दी गई ? कृपया ज़िलेवार बतलाना। इसकी एक सूची सदन की मेज पर रखें।

उप योजना मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत धन राशि सहायता के रूप में नहीं दी जाती है, किन्तु ऋण के रूप में दी जाती है। सन् १६५५-५६ से १६५८-५६ तक राज्य के विभिन्न ज़िलों में उक्त योजना के अन्तर्गत जो रकम दी गई उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : कौन से ज़िले में सबसे ज्यादा रकम दी हुई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : तालिका मुलाहिज़ा कर लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : तालिका सदन में सब माननीय सदस्यों के पास नहीं है, प्रश्नकर्त्ता के पास ही है।

श्री अध्यक्ष : किस साल का पूछ रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : चार साल में सबसे ज्यादा किस जिले में मिला है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जयपुर।

श्री भैरोंसिंह : जिला या डिविज़न ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : डिस्ट्रिक्ट।

श्री गिरधारीलाल : हाउस लोन की धनराशि किस आधार पर वितरित करते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रूल्स बने हुए हैं, रूल्स के अनुसार कलेक्टर उनको देता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि १६५७ में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज्यादा धन-राशि मिली हुई है ?

श्री रिखबचद धारीवाल : उदयपुर को १६५७ में ३,७५,०००) रुपये और जयपुर को मिली है १५४०००) रुपये।

श्री गिरधारीलाल : मेरा प्रश्न यह है कि ज़िलों में जो यह धन-राशि वितरित की जाती है, उसके लिये आधार क्या है, किस आधार पर यह वितरित की जाती है, जन-

(श्री गिरधारीलाल)

संख्या के आधार पर या और किसी आधार पर ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि फन्ड्स जितने होते हैं, दरख्वास्तें आती हैं, उनके अनुसार, जो रूल्स बने हुए हैं उनके अनुसार धन-राशि वितरित की जाती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि जब सरकार विभिन्न ज़िलों में वितरण करती है तो किस आधार पर करती है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह जन-संख्या के ऊपर भी करती है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट अनडवेलप्ड है तो उसको ज्यादा भी रुपया दे दिया जाता है ये ही आधार होते हैं। कुछ और भी दूसरे आधार हैं।

श्री गिरधारीलाल : अगर जनसंख्या के आधार पर करती है तो........

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा यह जरूरी नहीं है कि जनसंख्या के आधार पर ही वितरण होता हो, बल्कि और भी दूसरे आधार हैं जिन पर पैसा वितरित किया जाता है।

श्री गिरधारीलाल : तो जब कि मांग के ऊपर और जनसंख्या के आधार पर वितरण होता है तो सन् ५५-५६ में उदयपुर को ११ लाख और बीकानेर को ६ लाख दिया गया, जब कि उदयपुर की बीकानेर से कम पॉपुलेशन है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि जनसंख्या ही आधार रखा जावे। वैसे जनसंख्या भी देखी जाती है। कहीं पर अगर हाउसं कम बने हुए हैं और जरूरत ज्यादा है, तो उसके आधार पर भी दिया जाता है, कोई डिस्ट्रिक्ट अनडवेलप्ड हो उसके आधार पर भी दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत से कन्सीडरेशन्स होते हैं।

श्री मोहरसिंह : आपने दो आधार बताये हैं कि एक तो जनसंख्या और दूसरे कोई अनडवेलप्ड हो उनको दिया जाता है तो इन दोनों आधारों पर चूरू ज़िले को एक पैसा भी नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने दो ही आधार नहीं कहे और भी बहुत से ऐसे कारण और आधार हो सकते हैं जिनमें से दो यह भी हो सकते हैं।

श्री मोहरसिंह : फिर तीन साल में चूरू ज़िले को नहीं दिया जाना, कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष : इस साल तो मिला है।

श्री गिरधारीलाल : ये दस-बारह ज़िले ऐसे हैं कि जिनको एक पैसा भी नहीं मिला है ?

श्री अध्यक्ष : इस साल तो सारे ज़िलों को मिला है।

श्री गिरधारीलाल : पिछले साल।

श्री भैरोंसिह : (श्री गिरधारीलाल की ओर संकेत) आपके डिविज़न का एक भी मन्त्री कैबिनेट में नहीं है।

प्रश्न संख्या ६६५

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री आनन्दसिंह कछवाह।

खनिज क्षेत्रों का दौरा करने की जीपें

६६६. श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर) : क्या मन्त्री, खनिज विभाग, निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) खनिज क्षेत्रों का दौरा करने के लिये राजस्थान खनिज विभाग के पास कितनी जीपें हैं ?

(२) क्या इन दौरों की लॉग बुक रखी जाती है ?

(३) इन जीप कारों में पिछले तीन वर्षों में कितना पैट्रोल प्रति वर्ष खर्च हुआ है ?

उप खनिज मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) एक जीप है ।

(२) जी हां ।

(३) सन् १९५५ में १६४ गैलन
सन् १९५६ में ३६६ ,,
सन् १९५७ में १७७ ,,

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : क्या यह सही है कि जीप अधिकतर डाइरेक्टर के अपने निजी काम में लाई जाती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : १० मील से अधिक डाइरेक्टर ने कितने दौरे किये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो सूचना नहीं है कि डाइरेक्टर ने १० मील से अधिक कितने दौरे किये और ५ मील से अधिक कितने दौरे किये । यह तो दूसरा सवाल है ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : आपको यह कैसे मालूम हुआ कि निजी काम में नहीं लाई जाती ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो विभागीय सूचना आई है निजी काम में नहीं ली गई, जहां कहीं भी गये वे सरकारी काम से गये ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या जीप की कोई लॉग बुक रखो जाती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां ।

श्री जनार्दनराय नागर : यह निजी काम में और सरकारी काम में क्या अन्तर है, क्या इसकी कोई रेखा खिंची हुई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : निजी काम में जैसे तरकारी लाना है और भी दूसरे काम हैं ।

श्री जनार्दनराय नागर : यह काम तो बहुत कम दीखते हैं । निजी काम में और सरकारी काम में डिस्क्रिमिनेशन की क्या लाइन है ? क्योंकि निजी काम भी सरकारी हो सकते हैं और सरकारी काम भी निजी काम हो सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : समाजवाद के युग में कोई फर्क नहीं होना चाहिए ।

श्री आनदसिंह कछवाहा : क्या बच्चों को स्कूल पहुंचाना भी सरकारी काम है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : क्या सब्जी लेने के लिए जो जीप जाती है, वह भी सरकारी काम है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री आनन्दसिंह।

मारवाड़ सिरेमिक इन्डस्ट्रीज लि०, जोधपुर में बकाया रकम

६७२. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर) : क्या व्यापार व उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि मारवाड़ सिरेमिक इन्डस्ट्रीज लि०, जोधपुर में जमीन व पट्टा फीस की रकम अभी तक बकाया है जबकि कम्पनी सम्पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है ?

(२) यदि हां, तो कितनी रकम बकाया है और उसे अब तक क्यों नहीं वसूल किया गया ?

उप-व्यापार व उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां ।

(२) पट्टाफीस के १६, ३४० रुपये वसूल करने बाकी हैं। वसूल के लिए नोटिस जारी किया गया परन्तु रुपये की वसूली के पहिले ही कम्पनी दिवालिया घोषित कर दी गई।

अब डेवलपमेन्ट ऑफिसर ने रुपये की वसूली के लिए पुन : पार्टी को नोटिस दिया है।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : यह रुपया किस तारीख से बाकी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह सन् ५३ से है करीब करीब ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : यह कम्पनी दिवालिया कब हुई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दिवालिया होने की डेट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि लिक्विडेशन में गई है।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : अन्दाजन किस वर्ष में हुई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह भी नहीं बता सकता । इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : अध्यक्ष महोदय, करीब करीब दस साल तक रही है और जब से अब तक कोई कार्यवाही सरकार के पास से नही हुई है और तहसीलदार के पास में कागजात दबा कर रखे गये हैं, तो क्या सरकार तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह ।

झुन्झुनू जिले में विकास खंडों की संख्या

६८४. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या झुंझुनू जिले में १९५८-५९ में विकास खंड खोले गये ? यदि हां, तो कितने ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या झुंझुनू जिला विकास समिति ने झुंझुनू तहसील में विकास खंड खोलने की सिफारिश की थी ?

(४) यदि हां, तो सरकार अब कब तक खोलने का विचार रखती है ?

उप सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं ।

(२) अन्य जिलों में जहां विकास खण्ड कम थे, विकास खण्ड खोलने के कारण ।

(३) जी हां ।

(४) सन् १९६३ तक समस्त राज्य में विकास खण्ड खोलने की योजना हैं । तब तक सम्भवत: झुंझुनू तहसील में भी विकास खण्ड खोल दिया जायेगा ।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, यह योजना है या खुल जायेंगे । आपने जवाब दिया है कि सन् १९६३ तक समस्त राज्य में विकास खण्ड खोलने की योजना है तो यह केवल योजना ही है या खुल जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष: योजनानुसार खुल जायेंगे ।

श्री जनार्दनराय नागर : फिर अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या योजना है और योजना तो आगे भी बढ़ सकती है । खुल जायेंगे भी या नहीं ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इसका संबंध केन्द्रीय सरकार से है और यह पहले सन् ६१ तक ही सारे देश में खोलने थे लेकिन गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की पॉलिसी के मुताबिक ६३ कर दिया गया है । अगर गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की तरफ से कोई चीज नहीं हुई और ऑल इन्डिया पॉलिसी यही रही तो सन् ६३ तक यह काम सारे देश में पूरा हो जायेगा । अगर कोई चैंजेज हुई तो हो सकता है कि इससे भी आगे चला जाये ।

श्री जनार्दनराय नागर : ऐसी आपको सम्भावना हो सकती है कि यह टार्गेट ६३ के आगे जा सकता है । यह तो कोई उत्तर नहीं हुआ कि गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया की नीति के अनुसार होगा, जिस नीति का पता ही नहीं है हमारी सरकार को । मैं यह मानता हूं कि हमारी सरकार को इसका पता होना चाहिये । इसका कुछ न कुछ तो अनुमान हो सकता है ?

श्री सम्पतराम : यह तो देश के सोर्सेज़ के ऊपर डिपेन्ड करता है, इसलिए सारी बातों के ऊपर विचार करके कितना रुपया हमारे पास है और कितना रुपया दूसरे देशों से मिल सकता है, इन सब बातों को देखकर इस चीज को देखा जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : अब जिन जिन जिलों में विकास खण्ड खोले जायेंगे उनके बारे में विचार कर लिया गया है कि कहां कहां विकास खण्ड खोले जायेंगे ?

श्री सम्पतराम : नहीं, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री अध्यक्ष: श्री किशनाराम ।

अकालग्रस्त ग्राम-क्षेत्र जिला चूरू

९९०. **श्री भैरोंसिंह** (श्री किशनाराम की अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पिछले साल चूरू जिले में कुछ ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित किया गया था और उन ग्रामों की लगान वसूली भी सरकार द्वारा न करने का आदेश हुआ था ? यदि हां, तो फिर भी ऐसे कितने ग्राम हैं जिनको अकालग्रस्त घोषित होने के बाद भी उनका लगान पिछली साल का वसूल हो चुका है ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें ।

(श्री भैरोंसिंह)

(२) क्या सरकार पिछली साल के अकालग्रस्त घोषित ग्रामों की लगान वसूली माफ करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तथा किन किन ग्रामों की ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां । लगान स्थगित किये जाने के आदेश तहसील में पहुंचने के पूर्व १२ ग्रामों में वसूली हो चुकी थी । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की आज्ञा के विपरीत भी लगान वसूल हुआ है और जो लगान वसूल किया जा चुका है उसको क्या वापिस दिलाने के लिए सरकार आदेश जारी करेगी ?

श्री सम्पतराम : यह प्रश्न अभी सरकार के सामने विचारणीय है ।

श्री भैरोंसिंह : इस बारे में सरकार का निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री सम्पतराम : जब इसके कागजात बनकर फाइनल रूप से आ जायेंगे, गश्त गिरदाबरी पूरी हो जायेगी और इस बात का पता चल जायेगा कि कितना नुकसान हुआ है ? ये सब चीजें बनकर तैयार हो जाती है तो यह रिकमन्डेशन गवर्नमेन्ट के पास आयेगी तब इस पर विचार किया जायेगा और निश्चित आज्ञायें दी जावेंगी ।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय ये गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये थे तो सरकार के पास इसके पूरे आंकड़े आ चुके थे तो फिर इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री सम्पतराम : अकाल तो वहां की जनरल कन्डीशन्स को देखकर घोषित किया जाता है । यह सवाल नहीं है कि उसमें कितना रेमीशन दें, यह तो फसल की कन्डीशन के ऊपर निर्भर करता है । तो फसल का तो एग्जेक्ट नुकसान बाद में मालूम होता है और उसी के बाद में रेमीशन की कार्यवाही की जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह समझा जाये कि अभी तक सरकार रेमीशन के निर्णय पर नहीं पहुंची है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): यह निर्णय तो उसी समय लिया जाता है जब कि कोई क्षेत्र अकालग्रस्त घोषित कर दिया जाता है । लेकिन टोटल रेमीशन होगा, पार्श्यल होगा या फिर सस्पेन्शन के ऊपर ही छोड़ दिया जायेगा, यह बात तो बाद में ही तय की जाती है । फसल की गश्त गिरदावरी की रिपोर्ट भी देखी जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन बारह गांवों के अलावा जो आसपास के बाकी के गांव थे उनमें लगान सस्पेन्ड किया गया था और उनमें लगान वसूल नहीं हुआ और उनको लगान रेमिट कर दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिन १२ गांवों का हो गया उसका टोटल रेमीशन होगा, पार्श्यल होगा और बाद में एडजस्ट कर दिया जायेगा । वह तो गलती से हो गया क्योंकि ऑर्डर अकालग्रस्त घोषित करने के बाद में हुए और लगान वसूल पहलें ही हो गया ।

श्री भैरोंसिंह : इन १२ गांवों के आस-पास के जो गांव थे और जिनमें रेमीशन हो चुका है उनकी गश्त गिरदावरी देखकर रेमीशन के ऑर्डर्स हुए हैं तो इन १२ में से अब कौन-सा विचाराधीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सारे के सारे हैं। ऐसा था कि इन गांवों में लगान इन गांवों को अकालग्रस्त घोषित होने के पहले ही वसूल कर लिया गया था। अब क्या होगा कि गश्त गिरदावरी की रिपोर्ट पूरी हो जाती है, उसके बाद प्रपोजल्स कलेक्टर की मार्फत गवर्नमेन्ट के पास आते हैं और तब एक्शन लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसके रेमीशन के आदेश दिये जा चुके हैं इस तहसील में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस तहसील में अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है तो अलग अलग साल के अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह जिस साल का मामला है उस साल में इन गांवों के रेमीशन के ऑर्डर्स हो चुके थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(विराम)

१२ मध्यान्ह

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७

(अग्रेसर खण्डशः विचार विमर्श)

राजस्थान म्युनिसिपल बिल। क्लॉज ५९। माननीय मंत्री महोदय का अमेन्डमेंट है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : I move the amednment "that in sub-clause (2) after the words 'has been rejected' the following words be inserted 'or by any member".

My submission is, Sir, that as in ordinary elections, the right of filing an election petition should be given to every member of the Municipal Board, otherwise the whole object will be frustrated...

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का कारण खासकर एक है। जैसे म्युनिसिपल चुनावों के अन्दर इलेक्शन पिटीशन का हर एक व्यक्ति को, जो वोटर है, अधिकार दिया गया है, उसी तरह से चेयरमैन के चुनाव के विरुद्ध पिटीशन लाने का हर एक वोटर को अधिकार दिया जावे तो अच्छा रहेगा। जैसा अभी बताया गया है कि इलेक्शन पिटीशन चेअरमैन के चुनाव में उसके विरोधी केन्डीडेट के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। मगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जितने....

भोंपू की आवाज से कुछ सुनाई नहीं देता।

श्री अध्यक्ष : आपको इससे नहीं डरना चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपकी आवाज बहुत तेज है।

श्री अर्जुनदास : It is possible that the other candidate contesting for chairmanship may be won over and in that case there will be no one left to file an election petition. Therefore, we should not stifle with law and we

(श्री अर्जुनदास)

should give this opportunity to every member of the Board to file an election petition if they feel aggrieved by the election of the Chairman or Vice-Chairman.

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं मूव करना नहीं चाहता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : I have an amendment. "For sub-clause (1) sebstitute the following ;

"(1) The elction of a chairman or vice-chairman under section 57 shall not be called in question except by an election petition presented to :

(a) the District Judge sitting at the place where the municipal office is situated, or..."

एक माननीय सदस्य : कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री अर्जुनदास : मुझे कतई सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपकी बात मेरे दिल में है इसलिये सुनाई देता है । मैं तो अपना अमेन्डमेंट नम्बर २१ मूव कर रहा हूं और इसमें जो सब क्लॉज (१) है, उसके लिये "substitute the following:-

"...(b) where there is no such District Judge, the Civil Judge so sitting, or

(c) any other Judge specially appointed by the State Government for the puroose ,

Provided that where an election petition is presented as aforesaid to a District Judge, he may for reasons to be recorded in writing, transfer the same for hearing and disposal to a Civil Judge subordinate to him and sitting at the place where the municipal office is situated,

Explanation"......

इसमें एक्सप्लेनेशन मेरे खयाल से "Explanation :- The District Judge or Civil Judge or any other Judge to whom an election petition is presented or transferred and by whom it is heard in accordance with the provisions of this Section is hereinafter referred to as the Judge."

श्री श्रीभानसिंह : कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : लिस्ट नम्बर १, सीरियल नम्बर २१; अब आप उत्तर दे दीजिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी जो अमेन्डमेंट मूव किया है, मैं समझता हूं कि आपने जो अमेन्डमेंट मूव किया है वह तो मेरे अमेन्डमेंट से कवर-अप हो जाता है ।

श्री अर्जुनदास : Your amendment does not cover my amendment. My amendment is to sub-clause (2) Therein I said that the election petition may be presented by a candidate who has been defeated or whose nomination has been rejected , and then I added 'or by any member of the Board'.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मब-क्लॉज (२) में है। एक तो कवर हो जाता है। इलेक्शन पिटीशन करने का राइट किसको है या तो चेयरमैन के खिलाफ जो हार जाता है उसको या जिसका नोमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया है या दोनों ही कर सकते हैं। जो एग्रीव्ड पर्सन्स हों वे ही कर सकते हैं। जहां तक चेयरमैन का सवाल है इसमें कोई केन्डीडेट हार गया हो उसके अलावा और किसको करने का सवाल पैदा होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि आप इसे मंजूर करेंगे।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुन्झुनू) : I may submit, Sir, if it is not by way of reply, that there may be other exigencies, e.g. a member contesting an election for chairman-ship may proceed to withdraw and the other candidates or other members of the municipal board have an objection to that, then there cannot be any way but to file a petition against the election of Chairman or Vice Chairman as the case may be. So all the members who can vote for the election of the Chairman or Vice-Chairman may be given an opportunity to challenge that election. I think that is the idea of the amendment tabled by the Hon'ble Member from Nasirabad or Ajmer.

श्री अर्जनदास : I am from Ajmer, not from Nasirabad.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें मेरा यह कहना है कि चेयरमैन के इलेक्शन के लिये दो आदमी ही खड़े होते हैं। उसमें से जिनको फार्म भरने का राइट था दोनों ने फार्म भरे और एक ने विदड्रा कर लिया। उसमें तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बाद में एक आदमी हार जाता है और उसके बाद पिटीशन का प्रश्न पैदा होता है तो या तो जिसका फार्म रिजेक्ट हुआ उसको राइट होना चाहिये या हारने वाले को राइट होना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो प्रोविजन है वह ठीक है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कोई भी वोटर इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सके ऐसे अधिकार होने चाहिये। अभी बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि नकल रखेंगे उसके अनुसार करेंगे तो हमारा जनरल इलेक्शन का नियम है उसके अनुसार हमको रखना होगा कि किसी वोटर को भी अधिकार देना चाहिये। क्योंकि हर एक वोटर उसके चुनाव से प्रभावित होता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जहां मैंने यह बात कही थी वहाँ ऑलरेडी रख दिया गया है। हर एक वोटर पिटीशन कर सकता है, लेकिन जहां चेयरमैन का इलेक्शन होता है तो हर एक वोटर थोड़े ही उसको चेलेन्ज करेगा। That is already provided. अब तो केवल यही सवाल है कि चेयरमैन के इलेक्शन के बारे में किसको एतराज करने का राइट है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह निवेदन करूंगा कि कभी भी मतदाता उससे इफेक्टेड होते हैं। जो मतदाता इससे इफेक्ट होते हैं, मतदाताओं को वोट देने का राइट है, इसलिए वह केन्डीडेट नहीं हार रहा है बल्कि मतदाता हार रहे हैं। इसलिए जिन मतदाताओं ने वोट दिये हैं उनको भी कॉन्टेस्ट करने का अधिकार होना चाहिये।

Page No.31

श्री अर्जुनदास : माननीय अध्यक्ष, मैं तो एक ही उदाहरण दूंगा मन्त्री जी को। फर्ज करो कि दो उम्मीदवार हैं। एक तो लखपति और दूसरा गरीब है। लखपति रुपया देकर खरीद लेता है। जिसने पैसा ले लिया वह तो इलेक्शन पिटीशन नहीं करेगा। जब वह इलेक्शन पिटीशन नहीं करता है तो लखपति को तो बहुमत नहीं चाहता, लेकिन लखपति आकर उस स्थान पर विराजमान हो जाय तो जनता तो उसके खिलाफ ही होगी। इसलिए आप हर एक मेम्बर को अधिकार दें इलेक्शन पिटीशन का; जिससे कि उस लखपति को हिदायत तो हो कि वह इस तरह से पैसा देकर न खरीदे। मैं समझता हूँ कि इस उदाहरण के बाद मन्त्रीजी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ! जाता तो इसमें कुछ नहीं किन्तु कुछ अधिकार ज्यादा ही तो मिलेंगे। आज अधिकारों को बढ़ाने की चेष्टा है न कि अधिकारों को कम करने की। इसलिए मैं मन्त्रीजी से अर्ज करूंगा कि इसको दुबारा सोचें और इस छोटे से संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके पीछे भी प्रिन्सिपल है। म्यूनिसिपेलिटी ने एक बार चुन लिया और जो हार गया उसको शिकायत नहीं है। फिर कोई आदमी पिटीशन करे और दो-तीन साल वह पिटीशन चलती रहे, इस तरह से हेरेसमेन्ट हो इसलिए इस संशोधन को स्वीकार करना उचित नहीं होगा।

श्री अर्जुनदास : मैंने जो उदाहरण दिया उसका आपने जवाब नहीं दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अच्छा आदमी खड़ा कीजिये, कॉन्टेस्ट कराइये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन मन्त्री महोदय ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री अर्जुनदास ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५६ संशोधनानुसार स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ६०

(विराम)

मन्त्री महोदय का इसमें संशोधन है : "In part (e) after "for the time being in force", insert "and to the provisions of Chapter XIII." यह फॉर्मल सा ही है। I take it to be moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६० संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६० संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ६१, श्री ज्वालाप्रसाद ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन क्लॉज़ ६१ पर प्रस्तुत करता हूँ । नं० १६१ ।

श्री अध्यक्ष : १६३ ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : "कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड" । यह सेक्शन का हैडिंग है । अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा गया है :

"The Chairman shall be responsible for the custody of all the records of the board including all papers and documents connected with the proceedings of the board and all the committees, and shall arrange for the performance of such duties relative to the proceedings of the said bodies as they my respectively impose." मैंने इसमें संशोधन पेश किया है कि "चेयरमैन" की जगह "Commissioner or Exceutive Officer as the case may be." सीधा मसला यह है कि जो रिकॉर्ड म्युनिसिपल कमेटी में रहता है, उस रिकॉर्ड की नागरिकों के लिए बहुत बड़ी कीमत है । रिकॉर्ड की कस्टडी बहुत ही सोलेम ड्यूटी है उस म्युनिसिपल बोर्ड की या म्युनिसिपल कमेटी की और उसके एक चेयरमैन को उसका कस्टोडियन बनाना, जो कि एक इलेक्टेड आदमी है, एग्जीक्युटिव ऑफिसर या जो पेड हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट है, जो सारे ऑफिस को चलाता है उसके बजाय चेयरमैन को, जो घर रहता है, उस रिकॉर्ड का कस्टोडियन बनाना बहुत गलत होगा । म्युनिसिपल कमेटी के लिए जो भी रिकॉर्ड रहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि चेयरमैन उसका जिम्मेदार नहीं हो सकता । हां, कोई अफसर उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिये जो कि सारे क्लर्क, सारे लोग, चपरासियों के ऊपर जिनका एक्सेस है उस रिकॉर्ड पर, उसको उसकी कस्टडी के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिये । नहीं तो होगा यह कि दो पेपर, चार पेपर, कोई फाइल जिसमें हजारों का मामला है किसी तरह जो लोग नौकर होते हैं उनके जरिये से निकलवाये जावेंगे और उसके लिए सीधा चेयरमैन को जिम्मेदार ठहराया जावेगा और मिस कन्डक्ट के केसेज चलाये जावेंगे और कोई पार्टी नाराज हो सकती है चेयरमैन से, वे इस तहर की हरकतें शुरु करेंगी क्योंकि सर्विस क्लास में ऐसे लोग होते हैं जो प्रोटेक्शन सीक करते हैं और चेयरमैन से, यदि उनका फायदा नहीं होता है तो उनके खिलाफ हर बोर्ड में कुछ न कुछ दिक्कतें उनको कन्ट्रोल करने में चेयरमैन को आती हो हैं, चूंकि रिकॉर्ड रहता है नौकरों के पास और उसके लिए इस तरह की कार्यवाही होगी उसके लिए चेयरमैन को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा । मैं आज सदन में यह बात कहना चाहता हूं कि ५८ वीं धारा बहुत महत्वपूर्ण धारा थी, लेकिन वह जल्दबाजी में पास हो गई क्योंकि कल खत्म हो रहा था आपने चेयरमैन को क्या इमोल्युमेन्ट्स दे रहे हैं जिसके ऊपर इस तरह से जिम्मेदारी सौंपना

(श्री ज्वालाप्रसाद)

चाहते हैं। क्या ७५) से १५०) तक देना बेईज्जती नहीं है इस जिम्मेदारी के लिए ? ३५ लाख रुपयों का बजट म्युनिसिपल कमेटी का हो और उसके चेयरमैन को १५०) देना एक बेईज्जती है उसकी। हर एक बड़ी म्युनिसिपेलिटी का होगा वह १५०) कभी स्वीकार नहीं करेगा, वह अपनी बेईज्जती समझेगा। उसको बजट का कन्ट्रोल करना पड़ता है। उसको रिकॉर्ड का कस्टोडियन बनाना गलत होगा चेयरमैन किसी तरह जिम्मेदार आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। वह किसी अफसर को इन्क्वायरी करके सजा देने का काम करता है।

आज जो है चीफ मिनिस्टर साहब को जिम्मेदार बना दिया जाय कि जितनी फाइलें राजस्थान गवर्नमेन्ट की हैं उन सब के कस्टोडियन चीफ मिनिस्टर हैं तो एक अजीब बात होगी। वे सारे रेकॉर्ड के लिये जिम्मेदार ठहरा दिये गये तो फाइलों में खोमचेंवालों की रेवड़ियाँ बंटती दिखेंगी और बड़े बड़े चीफ मिनिस्टरों के तख्ते हिल जायेंगे। इसलिये इस तरह के इलेक्टेड आदमियों पर इस तरह की जिम्मेदारी डालना गलत होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मंत्रीजी इसे स्वीकार करेंगे। एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर वगैरह जो पर्मानेन्ट लोग वहां पर हैं वे ही सब-रिकार्ड के लिये जिम्मेदार होने चाहिये। चेयरमैन पर जो ड्यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन, सुपर्विजन आदि की डाली गई हैं, वे ही काफी हैं। सुपर्विजन आदि की जो ड्यूटीज लादी गई हैं उनके अलावा पेपर्स और रिकॉर्ड के लिये उसको कस्टोडियन बनाना और रेस्पोन्सिबल ठहराना गलत होगा। इन पर उसका ताला नहीं होता, उनके पास चाबी नहीं होती। वह दफ्तर जाता है और वर आता है। इसके रिकॉर्ड को कहां भेजना पड़ता है, फाइलें कहां जाती हैं इसका उसको पता नहीं रहता। लेकिन फाइलों आदि के मूवमेन्ट किताबों में दस्तखतों पर चलते हैं और कोई बीच में ही गायब हो जावे तो चेयरमैन को कहां तक उसके लिये रेस्पोन्सिबल ठहराया जा सकता है ?

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, श्री ज्वालाप्रसादजी के अमेन्डमेन्ट का मैं विरोध करता हूं। क्योंकि बोर्ड में जितने डॉक्युमेन्ट होते हैं वे इम्पोर्टेन्ट होते हैं और उनके बेसिस पर ही मुकदमे चलते हैं। इसलिये इस प्रकार के डॉक्युमेन्ट किसी रेस्पोन्सिबल आदमी के पास ही रहने चाहिये। बोर्ड में सबसे अधिक रेस्पोन्सिबल व्यक्ति चेयरमैन ही होता है इसलिये उन्हीं के पास रिकॉर्ड रहना चाहिये। इसलिये मैं संशोधन प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इसका विरोध करें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मैं नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य के अमेन्डमेन्ट का विरोध करता हूं। उन्होंने अपने अमेन्डमेन्ट को रखते हुए जो आॅग्युमेन्ट्स दिये हैं वे ये दिये हैं कि चेयरमैन जो है वह क्योंकि वहां नहीं रहता है अपने घर पर रहता है इसलिये चेयरमैन पर रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं डालनी चाहिये और दूसरा आॅग्युमेन्ट यह दिया है कि चेयरमैन इलेक्टेड मेम्बर है इसलिये पर्मानेन्ट सर्विस के आदमी के पास यह रिकार्ड रहना चाहिये जो कि हमेशा वहां पर रहता है। इनका लोजिक लिया जाय तो वहाँ का चौकीदार जो है उसको इसके लिये रेस्पोन्सिबल बना दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वह कमरे के

(श्री पी० के० चौधरी)

सामने ही हमेशा बैठा रहता है। उन्होंने जो लोजिक सप्लाई किया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं तो इस राय का नहीं हूं कि चेयरमैन पर रिकार्ड की रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं हो। यह कानून यदि आप बना देंगे तो एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर, कमिश्नर का आपने जिक्र किया है, हालांकि कमिश्नर कौन है इसका जिक्र बिल में नहीं है, बिल में कमिश्नर जैसी चीज नहीं है, उसमें एग्जीक्युटिव ऑफिसर या सेक्रेटरी है कमिश्नर जैसी चीज है ही नहीं। आज यदि हम सेक्रेटरी पर ऑफिस रिकॉर्ड की जिम्मेदारी डालते हैं तो उसका मतलब यह होगा कि सेक्रेटरी पेपर दिखाने में हिच पैदा करेगा। मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि ऐसा कानून जिस दिन पास करेंगे तब से डे टू डे वर्किंग या रूटीन वर्किंग में दिक्कत पैदा हो जायगी। हर बात में कमिश्नर सेक्रेटरी या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चौकीदार जिसके पास रिकार्ड रहेगा वे चेयरमैन या सदस्यों के कहने के माफिक रिकार्ड से पार्ट विद नहीं होंगे और चेयरमैन देखने को मांगेंगे तो भी नहीं देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद : सुपर्विजन और एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकार उनको दिये गये हैं वे उनके पास काफी हैं। कस्टोडी ऑफ रिकार्ड के लिये मेरे मुहं में यह बात नहीं रखी जाय कि मैंने चौकीदार को अधिकार कस्टोडी के लिये देने का कहा हो। फाइलों के मूवमेन्ट के लिये दस्तखत दिये जाते हैं। एक डिपार्टमेन्ट से दूसरे डिपार्टमेन्ट में जो फाइलें जाती हैं या हैन्ड-ओवर करते हैं तो उनके दस्खत लिये जाते है। मेरा मतलब यह नही है कि चौकीदार के पास रिकार्ड रहना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जिन्होंने इस संशोधन को मूव किया है उनके रेस्पोन्सिबिलिटी के ख्याल परवर्टेड हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद : मुझे यह बात नहीं चाहिये, आप अपनी बात कहिये परवर्टेड आप ही हैं।

श्री पी० के० चौधरी : क्योंकि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्युशनल गवर्नमेन्ट है उसमें रेस्पोन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्युशनल मानी जाती है। कानूनन किसी की रेस्पोन्सिबिलिटी होती है या नहीं लेकिन कॉन्स्टिट्युशनल रेस्पोन्सिबिलिटी इलेक्टेड मेम्बर्स की होती है। इसकी मिसाल आपने देखी होगी एल. आई. सी. (लाइफ इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन) का केस हुआ था। हालांकि सेन्ट्रल फाइनेन्स मिनिस्टर टी. टी. कृष्णमाचारी डाइरेक्टली उसमें इन्वोल्ड नहीं थे फिर भी जब उस केस की जांच हुई तो छागला कमीशन ने यह ठहराया था कि मिनिस्टर हेज कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पोन्सिबिलिटी। आपने चीफ मिनिस्टर की मिसाल दी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर भी इस बात के लिये नहीं होंगे कि फाइल की रेस्पोन्सिबिलिटी उन पर न हो। आज म्युनिसिपेलिटी का एक्जीक्युटिव हैड जो है कमिश्नर, सेक्रेटरी या एक्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं होगा, लेकिन हमारे एक्ट के मुताबिक एग्जीक्युटिव का हैड म्युनिसिपल चेयरमैन है, उसी तरह से हमारी केबिनेट के भी एग्जीक्युटिव हैड चीफ मिनिस्टर हैं। उनके दफ्तर से भी कोई फाइल गायब हो जाय, डिस्प्लेस्ड या मिस प्लेस्ड हो जाय या कुछ भी हो जाय तो वे उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी से शर्क नहीं कर सकते। उनको रेस्पोन्सिबिलिटी शर्क करने का मौका

Page No.35

(श्री पी० के० चौधरी)

देंगे तो जो एफिशियेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने काफी दिक्कत पैदा होगी। इसलिये मेरी यह राय है कि अमेन्डमेन्ट जिन्होंने पेश किया है उन्होंने बारीक ढंग से इस चीज को नहीं देखा है कि कॉन्स्टिट्युशनल रेस्पोन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिये। हमेशा जो रखते हैं उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी उनकी होनी चाहिये यह जो एप्रोच है उसको मैं ठीक नहीं समझता और इसमें जो कमी नजर आती है वह यह है कि यदि यह अमेन्डमेन्ट पास करेंगे तो डे टू डे वर्किंग में दिक्कत होगी एंड एफिशियेन्ट वर्किंग ऑफ दि बोर्ड विल सफर इसलिये इसे नामंजूर करना चाहिये।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनू) Mr. Speaker Sir, through you I want to draw the attention of the Hon'ble Minister that this amendment is of very vital importance, specially in the infant stage of democracy in which we are working our local self government. The term of the Chairman is only for three years. After three years many municipal boards may be superceded as has been happening in Rajasthan and many municipal boards life may be extended. Many chairmen will come and go and a scrutiny of the records later on will show that some papers are missing, then it will be very difficult to locate as to who was the chairman who was responsible for the loss of these papers.

So in my opinion the amendment which has been tabled by the Hon'ble Member from Nasirabad is of a very vital importance. The chairman is an elected man and he is not a permanent man who will work in the municipality for a life time. He is there only for a short period and during his term of office he will have to superwise the working of the municipal board, the working of the various heads of the office who are employed by the municipal board, and he cannot be held responsible for the maintenance of record or any papers of the municipal boards. He is there only to lay down the policy to work the various development schemes and projects which are taken in that area and he is there only to safeguard the interests of the city.

There have been cases in which records of the municipal boards have been checked later on after 4-5 years and it is very difficult to locate as to the time when these records were lost. So the main responsibility lies not with the Chairman but on the Executive Officer, Secretary or the Commissioner of the board who are permanent employees of the municipality. In my opinion it is very essential that the responsibility of maintaining records should be on the permanent members of the staff, the Chairman holds a very high post and he is not expected to keep records and be responsible for them.

As a matter of fact, legally, the Chairman, being the Head of that body, is responsible for all the actions of the municipal board but he is only constructively responsible. The main responsibility will lie on

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

the executive officers. I can cite instances where the chairman pleaded no responsibility and their plea may be genuine. In most cases they are genuine as the Chairman is not expected to see and look into all the files and papers when he hands over the charge to another chairman. In cities like Jaipur where the records are so many years old, it is not expected that the Chairman will see all the papers. So the Executive Officer, secretary or the Commissioner, as the case may be, should be responsible Even these officers are not expected to look into all the files of the board but the concerned members of the staff have to maintain them.

I think this amendment is very vital importance and we should accept it.

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : Mr. Speaker Sir, I think the amendment moved by the Hon'ble Member from Nasirabad is worth accepting. As I listen to the debates, I feel that the difference of outlook lies only between those who have practical experience and those who have no practical experience of working as Chairman of any municipal board or even as a municipal commissioner. The Hon'ble mover of this amendment has enough experience of municipal chairman and, therefore, he is able to suggest this amendment which we should accept.

How can we possibily hold the Chairman responsible for the whole record when he does not keep them under his lock and key. He has other one onerous duties to perform like presiding over the meetings of the board, looking to the working of the various department of the board and such things. He can not be expected to preserve the records. So I request the Hon'ble member-in-charge of the Bill to look it over again and he should accept this amendment.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ ।

इस सम्बन्ध में जो भी दलीलें इस समय तक दी गई हैं, मैं समझता हूं, वे सिद्धान्त के आधार पर आधारित हैं । इतना ही नहीं, मेरी ऐसी मान्यता है कि केवल सिद्धान्त के आधार पर ही नहीं, व्यवहार की दृष्टि से भी वे कुछ समुचित प्रतीत होती हैं । म्यूनिसिपल बोर्ड या इस प्रकार की किसी भी संस्था का सारा रिकॉर्ड और सारा ऑफिस एक ऐसे अधिकारी के आधीन होना चाहिये जो कार्यालय से हर समय संबंधित रहता हो ।

चेयरमैन जनता का निर्वाचित व्यक्ति होता है । जिनमें बहुत से तो ऐसे होते हैं कि जो नियमित रूप से कार्यालय भी नहीं जाते । जिस दिन बैठक होती है या किसी कमेटी की बैठक होती है तब जाते हैं, नहीं तो आम तौर पर अपनी वकालत, डॉक्टरी या अपने अन्य धन्धों में लगे रहते हैं । इसलिये वे नित्य प्रति रिकार्ड के सम्पर्क में भी नहीं रहते । कोई कोई होते हैं जो नियमित रूप से रोज एक, दो या चार घंटे वहां जाकर काम करते हैं ।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

आजकल प्राय इस प्रकार की संस्थाओं में यह भी देखने में आता है कि उसमें कुछ दलगत भावनाएं भी रहती हैं। दो भिन्न भिन्न विचारों और संस्थाओं के लोगों में नहीं, बल्कि एक ही संगठन के सदस्यों में भी दलबन्दी होती है इससे कभी कभी ऐसा होता है कि विचारों वाला या विरोधी दलबन्दी वाला व्यक्ति किसी रिकॉर्ड को या किसी कागज को देखना भी चाहे और कार्यालय से सम्बन्धित किसी भी चीज को जानना चाहे, जिसके लिये इस कानून में भी अधिकार दिया गया है तो वह सेक्रेटरी से जाकर कहता है और सेक्रेटरी इस आधार पर उनको कहता है कि क्योंकि यह सारा रिकार्ड तो चेयरमैन साहब के आधीन है इसलिये उनकी आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते और न कुछ दिखला सकते हैं। अब चेयरमैन को चाहिये कि वह इसके लिये तुरन्त अनुमति दे पर व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि वह कभी कभी अपने विरोधी विचारवालों को, विरोधी गुट्ट वालों को नहीं दिखाने देता।

इस दृष्टि से अगर हम सेक्रेटरी को यह अधिकार देते हैं तो क्योंकि अधिकांशतः वह एक राज्याधिकारी समझा जाता है और एक वैतनिक अधिकारी होता है और गुट्ट विशेष का भी वह नहीं समझा जाता, इसलिये इस स्थिति में वह इस योग्य हो सकता है कि किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कोई भी कागज अगर वह देखना चाहे तो दिखला सकता है।

तीसरी बात यह भी है कि आम तौर पर आजकल म्युनिसिपल बोर्डों और इस प्रकार की कुछ अन्य संस्थाओं के कागजात, रिकॉर्ड वगैरह एवं फाइलें वगैरह किन्हीं किन्हीं अवसरों पर इधर उधर कर दी जाती हैं, गायब कर दी जाती हैं या नष्ट कर दी जाती हैं। इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, हम सुनते रहते हैं। ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं कि यदि सेक्रेटरी जो वहां का वैतनिक और गुट्ट से अलग जो अधिकारी होता है उसको अधिकार हो तो वह इस कार्य को करने वाले को सजा दे सकता है। और अगर उसकी गलती पाई जावे तो चेयरमैन इसके खिलाफ भी कार्यवाही कर सकता है, जांच पड़ताल करवा सकता है और बहुत सी ऐसी चीजें करवा सकता है जिससे वह सेक्रेटरी, चेयरमैन, कमिश्नर या एग्जीक्युटिव ऑफिसर, जो कुछ भी उसके पद का नाम न हो, विशेष सतर्क रह सकता है। पर यदि यह दायित्व स्वयं चेयरमैन पर ही डाल देते हैं और उस स्थिति में अगर कोई फाइल या कोई कागज इधर उधर हो जाता है तो सेक्रेटरी तो जिम्मेदार होगा नहीं उसके खिलाफ डी०एल०बी० (डाईरेक्टर ऑफ लोकल बॉडिज़) के पास शिकायत की जा सकती है और उस शिकायत पर कार्यवाही करने में उनको बहुत कठिनाई और बहुत ही चक्कर और देरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि हर दृष्टि से वहां के रिकॉर्ड का, वहां के पत्रादि का दायित्व वहां जो भी एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर या सेक्रेटरी होता है उस पर रखा जाये तो यह सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन सुझाया गया है, केवल आवश्यक ही नहीं, बल्कि बहुत ही सामयिक है। इसका होना व्यावहारिक दृष्टि से भी बहुत उचित है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस आवश्यक और उचित संशोधन को स्वीकार करेंगे और यही वह देखेंगे कि यह व्यवहार में सबसे ज्यादा अच्छा पाया जावेगा।

Page No.38

श्री भोलानाथ (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन श्री ज्वालाप्रसादजी की तरफ से आया है वह बहुत ही व्यावहारिक है और इसकी वजह यह है कि चेयरमैन को रेस्पोन्सिबल. नहीं माना जाय बल्कि उसकी जो मन्शा मालूम होती है वह कुछ और ही है। उसको एक प्रकार से कस्टोडियन मानने की मन्शा मालूम पड़ती है। जहां तक इलेक्टेड बॉडी का कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उससे कोई जबाब तलब किया जाये जैसे कि असेम्बली में सवाल पूछे जाते हैं, मैं इसको मानता हूं। लेकिन इसकी मन्शा यह है कि वह कस्टोडियन की हैसियत से कुछ डॉक्युमेन्ट्स का जिम्मेदार हो, गलत बात है। खास तौर से इसलिए कि जब आपके चैप्टर १३ में आप एक म्युनिसिपल सर्विस कैडर बनाने जा रहे हैं तो वह राजस्थान वाइड सर्विसेज़ का कैडर बनेगा और इस बात को हम मानते हैं और गवर्नमेन्ट के काम करने वाले भी जानते हैं कि वैसे मिनिस्टर्स सारी कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जितने भी एग्ज़ीक्युटिव काम होते हैं, लेकिन ऑफिस के रिकॉर्ड से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता है और जब कि वह चीज उनके चार्ज में होती है तो उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। उनके किसी डॉक्युमेन्ट पर या कागज पर दस्तखत होते हैं और इसी तरह से छोटी म्युनिसिपेलिटीज़ और बड़ी असेम्बली के द्वारा जो हुकूमत बनती है वह बड़ी हुकूमत या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का मामला है वहां भी किसी कैबिनेट के मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को डॉक्युमेन्ट के ऊपर दस्तखत करने के अधिकार होते हैं और जब वह चार्ज देते हैं, तो कोई सभी चीजें सम्भलाई नहीं जाती हैं। तो वह एक प्रकार से चार्ज नहीं देते हैं और इसी तरह न म्युनिसिपल चेयरमैन डॉक्युमेन्ट वगैरह के चार्जेज़ देते हैं। वहां की जो सर्विसेज़ होती हैं उनकी जिम्मेदारी कागजों वगैरह की होती है। तो मैं समझता हूं कि जहां तक रेस्पोन्सिबिलिटी का वर्ड है उस दृष्टि से तो ठीक है लेकिन वह रेस्पोन्सिबल केवल जबाब देने के लिए है। लेकिन जैसे प्रॉसीडिंग्स का रखना या डॉक्युमेन्ट्स का रखना तो पर्मानेन्ट सर्विसेज़ जो आप क्रियेट कर रहे हैं उसके लिए आपने प्रॉविज़न किया है चेप्टर १३ में अगर यह आपने बनाई हैं और पर्मानेन्ट कैडर रखने जा रहे हैं तो उस हालत में उनको रेस्पोन्सिबल रखना चाहिए और चेयरमैन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं मालूम होता। वह तो जिम्मेदार इतना ही है कि कमेटी में चेयरमैन की हैसियत से उससे कोई जबाब तलब किया जाये, उससे कोई सवाल पूछा जाये उसके लिये तो वह जिम्मेदार है, यह तो बात ठीक भी लगती है। लेकिन वह बाकायदा उसका कस्टोडियन हो, यह व्यावहारिक बात नहीं मालूम होती है। किसी भी चुने हुए अधिकारी को पर्मानेन्ट सर्विस वालों का काम देना ठीक नहीं है और इसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अमेन्डमेन्ट को व्यविहारिक दृष्टि से स्वीकार करें।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। इसके बारे में सदन के और भी माननीय सदस्यों ने अपनी विचारधारा बताई है वह है responsibility of keeping records. लेकिन इस क्लॉज़ को पढ़ा जाये तो रेस्पोन्सिबिलिटी दो तरह की दी गई हैं। एक तो रिकॉर्ड को रखने की और दूसरे shall arrange for the performance of such duties relative to the

(श्री सोहनलाल भटनागर)

proceedings of such bodies as may be respectively imposed. तो दूसरी रेस्पोन्सिबिलिटी जो दी है वह यह दी है कि जो कुछ ड्यूटीज़ इम्पोज़ करते हैं उसको कार्यान्वित कराना। तो उस दृष्टिकोण से अध्यक्ष का ही अधिकार और कर्त्तव्य होना चाहिए, उसको कार्यान्वित कराने का अधिकार उसी को देना चाहिए। वैसे इस क्लॉज को रखने से वहां के जो पर्मानेन्ट एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर्स या कमिश्नर्स हैं उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी समाप्त नहीं होती है। उन पर तो रूल्स के अन्तर्गत जैसी रेस्पोन्सिबिलिटी होगी वह लाई करेगी। इसके बावजूद भी प्रेसीडेन्ट को जो कि एग्ज़ीक्युटिव हैड माना गया है क्योंकि सारे एग्ज़ीक्युटिव पॉवर्स वह ले लेता है तो उसको कार्यान्वित कराने का अधिकार देना कोई बुरी बात नहीं है। वैसे अपने यहां भी जनरल एक्ट में यह नहीं दिया हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी रिकॉर्ड के रेस्पोन्सिबल होते हैं। वह तो रूल्स के मातहत होता है। इसलिए जो कुछ इसमें दिया हुआ है वही होना चाहिए। इसको हटाना ठीक नहीं होगा कि रेस्पोन्सिबिलिटी उनके ऊपर से हटा दी जाये।

दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसमें यह रखा है कि चेयरमैन की जगह कमिश्नर और एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर रखा जाये। लेकिन इस पूरे एक्ट को देखेंगे तो मालूम होगा कि कहीं तो एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त होंगे और कहीं नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत में यह काम में नहीं आ सकेगा। हां, सेक्रेटरी का रखना बहुत जरूरी था लेकिन जो कारण मैंने बताये हैं इनको देखते हुए इसको मंजूर करना ठीक नहीं होगा।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I rise to support the amendment tabled by the Hon'ble Member from Nasirabad. As regards this clause, it has been said by the Hon'ble Member speaking just now that the chairman shall have functions besides keeping of records, papers and documents connected with the proceedings of the Board and the committees. I think there has been a very great confusion regarding the powers, functions and duties of the chairman. To reduce the chairman to the position of, say, a clerk or a record-keeper or, if I may say so, to the position of a watch dog of the municipality is not proper. He has his elected position and he has some definite jobs which he has to perform and these are supervision, control of the municipal administration, conduct of the business etc. which are distinctly given elsewhere in the Bill. But to make a municipal chairman responsible for papers and documents kept within the precincts of the municipal office while he lives five or ten miles away from the office cannot be understood. The stealing or tampering of the records will be done at the instance or instigation of certain members and through staff of the municipality or board, but the responsibility will be that of the Chairman......

श्री अध्यक्ष : Is it at all necessary to have a clause like this ? Such things are more or less understood.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It may be deleted.

श्री श्रीमानसिंह : Keeping of records and these things, we may delete them here and incorporate it where powers of Executive Officers or Commissioners are given. The clause is mis-placed. It is the duty of the Executive Officers to maintain records and it is not consistent with the functions of the Chairman. Nor it is practicable for a chairman to look after the records. With this view, the amendment tabled by Hon'ble Member is very necessary. It may be that the amendment is also at present out of place here because it should have been where the functions of the Executive Officers are given.

To say that certain municipalities will not have a Secretary, a Commissioner or an Executive Officer and the Chairman will have to work as such, then if we start from the lowest rung, some municipalities may not have a clerk or even a sweeper. Then why should not the chairman may work as a scavenger and a clerk The position will be very unfortunate, indeed, of the Chairman of such a municipality having no administrative organisation and no office. So this is not an argument. It is an argument for the sake of argument. It cannot be supported by reasons, and I hope the Hon'ble Minister will accept this amendment.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर शहर, पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन सदन के समक्ष है, इसके संबंध में सीधासादा अर्थ जैसा कि इसकी भाषा का निकलता है उसको देखते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत गलतफहमी से इस संशोधन पर विचार किया जा रहा है । जहां तक मैं समझ पाया हूँ, क्लॉज ६१ की भाषा है उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि चेयरमैन सब कागजों को कस्टडी में अपने पास रखेगा, ऐसी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है । मैं कहता हूं कि कहीं धोखा नहीं है, इस भाषा में । इसमें कहीं नहीं है कि अपने ताले कूंची में रखना चाहिए, खुद अपने पास कस्टडी में रखे । इसकी भाषा में ऐसा कहीं नहीं है कि Chairman shall keep custody of the records इसमें सिर्फ इतनी भाषा है कि The Chairman shall be responsible for the custody of the records, यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि अपनी कस्टडी का इन्तजाम करें । एक बोर्ड के पास हजारों तरह के कागज हो सकते हैं, मकानों की रजिस्ट्री के हो सकते हैं, मकानों के नक्शे के रिकॉर्ड हो सकते हैं, प्लान्स हो सकते हैं और जो दूसरे मकान तोड़ने के हैं जो कि रहने के काबिल नहीं हैं, उनसे खतरा है लोगों के लिए, उनको तोड़ने की कार्यवाही हो सकती है, पानी की स्कीम के संबंध में कागज हो सकते हैं । यह सब एक जगह नहीं रहेंगे । अलग अलग व्यक्ति होंगे उनके चार्ज में होंगे और हरएक म्युनिसिपल बोर्ड का प्रशासनिक ढांचा एक सा हो, यह भी आवश्यक नहीं है । एक म्युनिसिपल बोर्ड के ऑफिसर्स और क्लर्कस दूसरे ढंग के होंगे, बड़ी म्युनिसिपल कमेटी की शासन व्यवस्था दूसरे ढंग की होगी, अर्थात् हर एक म्युनिसिपल बोर्ड में उनकी कस्टडी के अलग अलग तरीके हो सकते हैं । तो उन तरीकों को कौन पैदा करेगा, कौन इन्ट्रोड्यूस करेगा, यह जिम्मेदारी चेयरमैन को दी गई है कि उस म्युनिसिपैलिटी का चेयर-

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

मैन इस बात का जिम्मेदार होगा। रिकॉर्ड की कस्टडी की व्यवस्था करने का कि फलां तरह के कागज फलां ऑफिसर के पास रहेंगे, फलां महकमे में रहेंगे और इस तरह से रहेंगे। वह जिम्मेदारी चेयरमैन को दी गई है, उस कस्टडी का प्रबन्ध करने का जिम्मेदार वह है। उनकी कस्टडी में अपने पास रखने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो चीफ एग्जीक्युटिव हैड होता है किसी इन्स्टीट्यूशन का उस पर हमेशा इसकी जिम्मेदारी रहती है। तो म्यनिसिपल बोर्ड में यह जिम्मेदारी चेयरमैन के पास है। दूसरे प्रान्तों में आप देखेंगे तो यह जिम्मेदारी हमेशा चेयरमैन की रहती है। He is responsible for the custody of the records of the board, but he does not keep the custody himself. He only arranges for the custody.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Member says that he is responsible for arranging the custody but the word 'arranging' is not there in the Bill.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : That word is most effectively there. The Chairman shall be responsible for the custody of all the records of the board including all papers and documents connected with the proceedings of the Board and all the committees......

श्री श्रीभानसिंह : Where is the word 'arranging' ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : But it does not say that he should keep custody. He should be responsible for the custody, that is the clear meaning of it. If you read the earlier clause, sub-clause (e) of clause 60, that will make it more clear: "(e) to exercise supervision and control over the acts and proceedings of all officers and servants of the board in matters of executive administration and in matters concerning the accounts and records of the board ......"

So in connection with the matters concerning accounts and records, administrative control has to be exercised over various officers by the Chairman. So it is clear that the custody is not to be kept by the hairman himself but he is responsible for its custody.

Further functions are entrusted to the chairman which cannot be entrusted to any other member and they legitimately belong to the chairman. These are in regard to proceedings of various committees, presiding over the board itself. There will be so many decisions of the various bodies of the board and they will have to be carried out. He will be responsible to see that these orders contain in various resolutions are duly carried out and executed. The chief responsibility is thrown over the chairman for this and that is quite correct. No other Executive Officer can be made responsible for this. The various Executive Officers will carry out the decisions of the board under the supervision and control of

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

the chairman. So I think this clause is very nicely drafted and the Hon'-ble Member from Nasirabad has rather mis-conceived this amendment.

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, I am sorry, क्लॉज ६१ इस वक्त चल रहा है। इसके जो शब्द हैं :

"The Chairman shall be responsible for the custody of all the records of the board including all papers and documents......"

The chairman shall be responsible for all the records of the Board while there is a difference that the Chairman shall be responsible for all the records including papers etc. यही एक थोड़ा सा झगड़ा है। अब इसमें ग्रामेटिकली देखा जाव तो और इसमें से यह शब्द निकाल दिये जाते हैं तो बड़ा अन्तर पड़ जाता है :

So here atleast the law shall give some sort of responsibility on the Chairman as well, because he is responsible for the fair conduct of the proceedings of the Board itself.

तो इसलिए इसमें जो ये शब्द हैं, इन शब्दों को देखते हुए तमाम रेस्पोन्सिबिलिटी, यदि कोई डॉक्युमेंट चला गया है अलमारी में से तो यह रेस्पोन्सिबिलिटी क्लर्क कन्सर्न्ड की होगी। लेकिन जहां तक क्लर्क कन्सर्न्ड की रेस्पोन्सिबिलिटी का प्रश्न है वह रेस्पोन्सिबिलिटी सीधी चेयरमैन के ऊपर जाती है। क्योंकि अरेन्जमेंट व्यवस्था बिटाने का जहां तक ताल्लुक है; वह रेस्पोन्सिबिलिटी चेयरमैन की होती है। इन सर्कमस्टान्सेज में ग्रामेटिक्ली देखा जाय तो जो संशोधन आया है उस संशोधन की जरूरत नहीं रह जाती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६१ पर जो वाद विवाद हो रहा है, और अमेंडमेंट पेश किया गया है उसके बारे में मेरी अर्ज यह है कि इस तरह का प्रोविजन मौजूदा ५१ के एक्ट में मौजूद है और उससे ही लेकर यहां रखा गया है।

एक माननीय सदस्य : That is a model Act ?

श्री सोहनलाल भटनागर : उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप भी तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यू० पी० का क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस पर, अध्यक्ष महोदय, कन्ट्रोवर्सीज़ ज्यादा हो गई हैं, इसकी लैंग्वेज के बारे में भी कि Chairman shall be responsible for custody of all the records of the Board......... मन्शा तो यही है।...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : 'फॉर अरेन्जिंग दी कस्टडी' जैसा कि कहा गया है वह एक्सेप्ट करलें तो मामला साफ हो जायगा।

श्री आबिदअली : I think 'for the custody' is allright. That is the governing clause. मैं कहता हूं कि कस्टडी की वही एक गवर्निंग क्लॉज है इसमें।

Page No.43

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक्चुअल कस्टडी चेयरमैन की हो, यह मन्शा नहीं है।

श्री अर्जनदास : गवर्निंग क्लॉज है तो दुबारा 'shall arrange' की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझता हूँ कि 'The Chairman shall be responsible for the custody of all the records......' इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि चेयरमैन खुद अपने ताले के अन्दर अलमारी के अन्दर रिकॉर्ड को रखेगा और ताला खुद लगायेगा। उसकी कस्टडी के अरेन्जमेंट की उसकी जिम्मेदारी होगी, मैं इसका मतलब यह समझता हूं। लेकिन अब चूंकि इस मामले में गलतफहमी हो रही है और मेरा ख्याल है कि ऐसी स्थिति में इस मामले पर इतनी बहस हो गई तो मैं समझता हूँ कि इसको डेफर कर दिया जाय। फिर बात कर लेंगे कि चेयरमैन को पावर देना है या एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर या कमिश्नर को जिम्मेदार बनाना है। अगर एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर या कमिश्नर को पावर्स देने में यह क्लॉज यहां से ओमिट होकर जहां उनका चेप्टर है इस क्लॉज को अमेंड करके वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। चेयरमैन को वहां पर पावर्स नहीं देते हैं तो वह ओमिट हो जायगा। फॉर दी टाइम बीइंग इस संबंध में और बात कर लेंगे। डेफर कर दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ६२, श्री ज्वालाप्रसाद लिस्ट नं० ७, सिरियल नं० १६०.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : I do not want to move it.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६२ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(विराम)

क्लॉज़ ६२ विधेयक का अंग बना।

श्री अर्जनदास : what about 56, sir ?

श्री अध्यक्ष : We will come back to it.

क्लॉज़ ६३

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : मेरा पहला अमेन्डमेन्ट है :

"In parts (4), (11) and (19) substitute 'clause' for 'sub-section.'

In part (5) omit the explanation.

In part (17) substitute 'is carried' for 'be carried'.

In part (18) substitute 'takes place' for 'took place.'"

इसके बाद एक और नया अमेन्डमेन्ट रखा है :

"1. In sub-clause (1), part (a) insert 'whichever is the longer period' after 'general meetings'.

2. In sub-clause (2), for the words to a tribunal consisting of a chairman and not less than to members constituted by the State Government in the prescribed manner substitute by judicial officer of the rank of a District Judge to be appointed by the State Government for the purpose."

श्री अध्यक्ष : यह कौनसा अमेन्डमेन्ट पढ़ रहे हैं, आप?

Page No.44

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं ५६ पढ़ गया I am very sorry इसमें दूसरे अमेन्डमेन्ट ये हैं The amendments are-

"1- In part (5)

(a) substitute 'emergency' for 'great urgency' in line 2.

(b) Omit 'or some other public building in the municipality' in line 6, and

(c) Insert 'clear' before 'ten' int line 8.

2. In part (11), omit 'and shall at all reasonable times be open to inspection by any inhabitant of the municipality."

श्री ज्वालाप्रसाद : यह कौन सा है

श्री अध्यक्ष : लिस्ट नं० ११, सीरियल नं० २२२.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो अभी सक्युर्लेट हुई है।

श्री ज्वालाप्रसाद : हमारे पास आई नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सक्युर्लेट हो गई है।

श्री अध्यक्ष : इसमें एक संशोधन श्री पी. के. चौधरी का है। You don't want move it ?

श्री पी० के० चौधरी : I have got two amendments- One is in part (6) "that the words 'except for......... the meeting,' be deleted."

श्री हरिप्रसाद : हिन्दी में बोलने की कृपा कीजिये।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : And my second amendment is in part (9) line 6. "After the words 'Municipal office' insert the words 'and a copy thereof sent to all the members."

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रोविज़न रखा गया है कि "every meeting of a board shall, except for reasons to be specified in the notice convening the meeting be held in the building used as municipal office by such board."

अब म्युनिसपल बोर्ड की जो मीटिंग्ज हैं वे एग्ज़ीक्युटिव बोर्ड की मीटिंग्ज की जैसी हैं और म्युनिसिपल बोर्ड की मीटिंग्ज़ होती हैं वे एक्जीक्युटिव पर्पज़ के लिए होती है और कुछ एग्ज़ीक्युटिव फंक्शन्स परफोर्म करने के लिये डिसीज़न्स लेने के लिये होती हैं और हमेशा मीटिंग का ताल्लुक रेकॉर्ड वगैरह से होता है। अब यदि केबिनेट की मीटिंग किसी दूसरे स्थान पर करना चाहें तो ऐसा नहीं करना चाहिये केबिनेट की मीटिंग वहीं करनी चाहिये जहां पर रिकॉर्ड अवेलेबल हो। फाईल्स या डिपार्टमेन्टल इन्फॉर्मेशन इज़ीली अवेलेबल हो। आज तक हमने देखा है कि केबिनेट या म्युनिसिपल बोर्ड की मीटिंग्ज़ हमेशा दफ्तर में ही होती हैं क्योंकि जलसा करने के लिये मीटिंग नहीं करते या और किसी कारण से नहीं करते, बल्कि एग्ज़ीक्युटिव निर्णय लेने के लिये, किसी मसले पर फैसला करने के लिये मीटिंग करते हैं तो दफ्तर में ही मीटिंग होनी चाहिये। आपने एक्सेप्शन रखा है कि दूसरी जगह पर भी मीटिंग बुला सकते हैं। जिन्होंने क्लॉज़ फ्रेम किया है उन्होंने उसको इशारा किया है कि आप चाहें तो म्युनिसिपल दफ्तर में मीटिंग नहीं बुलाकर दूसरी जगह पर भी बुला सकते हैं। चेयरमैन कहेगा कि

Page No.45

(श्री पी० के० चौधरी)

मेरे घर पर मीटिंग बुलाइएगा और दूसरे मेम्बर कहेंगे कि हमारे घर पर बुलाओ। जयपुर म्युनिसिपल बोर्ड की मीटिंग जयपुर में न होकर आमेर में कर सकेंगे या पुष्कर में कर सकेंगे क्लॉज फ्रेम किया है उसमें इशारा किया है, इसका मतलब क्या है ? मैं समझता हूं कि ऐसे कोई सर्कम्सटान्सेज नहीं हैं कि जिससे एक्सेप्शन का प्रोविजन रखा जाय। एक्सेप्शन इसलिये रखते हैं कि ऐसे एक्सेप्शनल सर्कम्सटान्सेज पैदा हो सकें, ऐसा हो, तभी जाकर एक्सेप्शन प्रोवाइड करते हैं वरना कानून बनाते समय कभी एक्सेप्शन नहीं रखा जाता। म्युनिसिपल दफ्तर गिर जाय या जल जाय तो कह नहीं सकते........

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : तब भी उसी में बुलानी पड़ेगी।

श्री पी० के० चौधरी : उसके बाद तो आपका कोई दफ्तर नहीं रहेगा। The Office will shift to some other place, जब मेन बिल्डिंग गिर जाता है तो it will be deemed that that office has shifted to some other place. लेकिन यहां एक्सटेन्शन रखा है वह, मैं समझता हूँ, अन्नेसेसरी है और म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर्स या चेयरमैन से कहा जाता है कि आप चाहे तो आमेर में या दूसरी जगह मीटिंग बुला सकते हो। जैसा अभी केबिनेट ने नया सिलसिला डाला है, कभी जोधपुर में मीटिंग करते हैं तो कभी आबू में करते हैं और कभी कोटा में करते हैं, वहां उनका दरबार लगता है। तो म्युनिसिपेलिटी अगर आमेर में जाकर मीटिंग करेगी तो उसका कोई दरबार नहीं लगने वाला है। दफ्तर में मीटिंग न होकर दूसरी जगह होगी और सैर के लिए आमेर, गलता या पुष्कर जायेंगे लेकिन वहां भी उनका दरबार नहीं लगने वाला है, इसलिए मेरा ख्याल है, फर्म बिलीफ है, कि ऐसा एक्सेप्शन रखने की कोई जरूरत नहीं है और मीटिंग म्युनिसिपल बोर्ड में ही होनी चाहिए सिवाय इसके कि दफ्तर गिर जाय, जल जाय और ऐसी हालत में तो ऑफिस ही वहां से शिफ्ट हो जायगा, It will be deemed to have been shifted. इसलिए जो एक्सेप्शन रखा है : "Every meeting of a board, except for reasons to be specified in the notice convening the meeting shall be held in the building used as municipal office by such board."

तो नोटिस में मेन्शन करके आप कहीं भी मीटिंग बुला सकते हैं। यह क्या कानून बनाया कि नोटिस देकर कहीं भी बुला सकते हैं ? नोटिस देकर कहीं भी बुलाने का जो एक्सेप्शन दिया है, मैं उस एक्सेप्शन के हक में नहीं हूं और इस राय का हूं कि मीटिंग हमेशा दफ्तर में ही होनी चाहिये।

दूसरा मेरा अमेंडमेंट पार्ट (९) की लाइन ६में है। Part (9) reads as under.

"If less than one-third of the whole number of members be present at a meeting at any time from the beginning to the end thereof, the presiding authority shall, after waiting for not less than fifteen and not more than thirty minutes, adjourn the meeting to such hour on the following or some other future day as he may reasonably fix...... Provided that not less than one fifth of the whole number of members or three members, whichever is greater, be present. Any subject not

Page No.46

(श्री पी० के० चौधरी)

disposed of at such an adjourned meeting shall be deemed to have lapsed and may be brought up before the next ordinary general meeting, or if necessary or expedient, at a special general meeting."

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेंडमेंट है वह सिर्फ यह है कि 'after the word Municipal office यह एड करने का है 'And a copy thereof sent to all members' मौजूदा जो क्लॉज है उसमें रखा गया है कि कोई मीटिंग एडजोर्न हो जाती है तो नेक्स्ट डे या उसके बाद किसी दिन मीटिंग बुला सकते हैं और उसके लिए जो नोटिस इश्यू करते हैं उसको आप वहां दफ्तर के बोर्ड पर टांग दीजिए। जो मीटिंग में मेम्बर गैरहाजिर रहे, उनको इन्फॉर्म करने का उसमें प्रावधान नहीं है। आज आप यह क्लॉज हम से पास करवाते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि मीटिंग कॉल करते हैं, उसमें कोरम नहीं होता है तो एडजोर्न कर देते हैं, मीटिंग एडजोर्न करते हैं, उसके बाद कल या परसों के लिए मीटिंग को होल्ड करते हैं तो मीटिंग ठीक मानी जायगी विदाउट कोरम। यानि जो मीटिंग होती है, कोरम की वजह से एडजोर्न होती है, नेक्स्ट टाइम जब मीट करती है तो कोरम नहीं होता है तो भी वह कानूनन मानी जाती है, लीगल मानी जाती है। लेकिन हमने पब्लिक इन्स्टिट्यूशन में देखा है कि ऐसे मीटिंग एडजोर्न होती है, तो एडजोर्न मीटिंग की इत्तला, जो मेम्बर मौजूद नहीं होते हैं, उनको देते हैं। यह जो प्रोविजन है, उसमें जो मेम्बर मौजूद नहीं हो, उनको इत्तला देने का प्रोविजन नहीं है। यह प्रोविजन है कि बोर्ड पर नोटिस टांग देगें, म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर में। मान लीजिये कि कोरम नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, यह मालूम नहीं है, हो सकता है कि किन्हीं मेम्बर्स के पास इत्तला नहीं पहुंची हो, तो क्या एडजोर्न्ड मीटिंग का नोटिस लगा देंगे, उससे इतला मिल जायगी, यह नहीं मिल सकती है। दूसरी बात जो मैंने अभी तक देखी है कि म्युनिसिपेलिटीज में चेयरमैन फंक्शन कर रहे हैं, उनके लिए लोग शंका प्रदर्शन करते हैं कि रिकॉर्ड बराबर नहीं रखा जाता है, कई बातें देखी हैं, अगर कोई सदस्य रेजिग्नेशन देगा तो उसे मजिस्ट्रेट से दस्तखत कराने होंगे ये बातें हैं जिनसे मालूम होता है कि स्टेन्डर्ड ऊंचा नहीं है, वे रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर देंगे, इस्तीफे में गड़बड़ी कर देंगे, तो क्या प्रस्ताव को पास न कराने के लिए डेलीबरेटली मीटिंग को एडजोर्न करने के लिए सिचुएशन क्रियेट नहीं करेंगे ? और बोर्ड की मीटिंग की इत्तिला उन लोगों को देंगे जो उनसे सहमत हों और बाकी के नहीं आये तो मीटिंग को एडजोर्न कर देंगे और नोटिस बोर्ड पर इत्तला टांग देंगे और दूसरे दिन मीटिंग कर लेंगे। उस मीटिंग में जो निर्णय होगा वह म्युनिसिपल बोर्ड का निर्णय माना जायगा। इसलिए मैंने जो अमेंडमेंट रखा है, वह इस बात के लिए रखा है कि एडजोर्न्ड मीटिंग की इतला सब सदस्यों को मिल जाय, एडजोर्न्ड मीटिंग की सब सदस्यों को इतला भेज दी जाय, जो भी तरीका हो, चाहे चपरासी के हाथ भेजिये या बाई पोस्ट, जो कन्वीनियेन्ट हो, लेकिन इत्तला भेजने की व्यवस्था कर दी जाय। मैं चाहता हूं कि जो मेरा अमेण्डमेंट है इत्तला भेजने का, उसको माननीय मंत्रीजी मंजूर करेंगे और इसके ऊपर ज्यादा बहस करने की जरूरत महसूस नहीं करता हूँ।

श्री अर्जनदास (अजमेर पश्चिम): Sir, I move an amendment in sub-clause (5) of clause 63, the following words be deleted:—"or, in cases oc great urgency, notice of such shorter period as is reasonable". And the words "and place" be also deleted. अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में कानून बनाने का काम तो सिर्फ एक ही होता है कि कोई भी आदमी जो सत्य का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हो और असत्य का रास्ता अख्तियार करने के लिए तैयार हो, उसको कम से कम रोकें, किसी को मौका न मिले कि वह ईमानदारी का रास्ता छोड़कर बेईमानी का रास्ता अख्तियार कर सके। इस तरीके से हम कानून बनायें। मेरे ख्याल में माननीय मंत्रीजी की मन्शा यही है कि स्पेशल मीटिंग के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना चाहिए, परन्तु आपने इस बिल में लिख दिया है कि अगर चेयरमैन, खास-तौर से कोई कारण अपने रेकार्ड पर सिर्फ लिख दें तो उसको अधिकार होगा कि एक घंटे के बाद मीटिंग बुला सकता है, आधा घंटे के बाद मीटिंग बुला सकता है। मेरे ख्याल में ऐसी स्थिति का प्रोविजन रखें तो उसमें काफी गड़बड़ हो सकती है। मान लो थोड़े टाइम के लिय कि एक चेयरमैन देखता है कि कुछ सदस्य उस शहर से बाहर चले गये हैं और शाम तक वापिस नहीं आये, जैसे कि आप समझ लें कि मैं अजमेर म्युनिसिपल कमेटी का सदस्य हूं। चेयरमैन सोचता है कि अर्जनदास विधान सभा में बैठा है, उसके पीठ पीछे मीटिंग क्यों न कर लें, क्योंकि कमेटी में चुनाव करना है, कन्वीनर्स ऑफ दी सब-कमेटीज का चुनाव करना है। चेयरमैन अगर देखता है कि अगर अर्जनदास या दूसरे सदस्य जयपुर से लौट आये तो उसका पार्टी पर असर हो सकता है। तो वह ११ बजे नोटिस निकाल देगा और कहेगा कि मीटिंग दो बजे होगी और रिकॉर्ड को खुश करने के लिए लिख दे कि क्योंकि सात सदस्यों ने मुझे यह अर्ज की या यह कह दे कि मुझे बाहर जाना है, इसलिए आज मीटिंग कॉल करना चाहता हूँ। रिकॉर्ड पर लिख दे, चाहे वह दुरुस्त लिखे या गलत लिखे, सही लिखे या गलत लिखे, वह ऑर्डर दे देगा, चाहे आपको पसन्द होवे या नहीं हो, फिर भी इस कानून के मातहत वह मीटिंग लीगल मानी जायगी। इसलिए हो सकता है कि कोई भी चेयरमैन इस क्लॉज का सहारा लेकर ऐसी कार्यवाही करे जो कार्यवाही मेरे ख्याल में और मंत्री महोदय के ध्यान में गलत हो। इसलिए हम ऐसा रास्ता नहीं पकड़ें, क्योंकि इससे हमें रास्ता मिलेगा बेई-मानी करने का। कानून को हमें ऐसा बनाना है कि हम बेईमानी को रोक सकें न कि सिर्फ हम शरीफ को रोकें और बेईमान को रास्ता दें। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जैसा आपने कह दिया था कि त्याग पत्र देने के टाइम मजिस्ट्रेट की तसदीक होनी चाहिए तो कम से कम इस विषय पर, जहां चेयरमैन चाहे कि मीटिंग शोर्टर नोटिस से होनी चाहिए, कलेक्टर की सहमति ले ले There must be some check upon an unscrupulous chairman. So far in the provisions which the Hon'ble Minister wants to lay down in the Bill, there is no check on him and he is the master of all he surveys. He can do anything and proceedings will be legal and no court of law can over-rule it.

I have given you examples and if the Hon'ble Minister does not

Page No.48

(श्री अर्जुनदास)

agree with me, he should tell me the reasons why this particular situation cannot be created by an unscrupulous person? We should do away with any provisions of which he can make any unwanted use.

Another amendment of mine which is already covered by the amendment moved by Hon. Member from Phulera is that the meeting should be held only at a place which is within municipal limits or which is being used as municipal office. I think to keep a provision, as the Hon ble Member tries to keep in sub-clause (6) is again giving a big rope to any scoundrel to play an unfair game. He can conveniently say that the meeting will be held outside the town at 12 midnight at a building owned by a private person and then he so arranges that none of the unwanted members will be allowed to enter in that private building. He can convene a meeting at a building owned by a Seth and the servants of the Seth will be there to keep away the unwanted members and if a member raises a hue and cry, nobody will help him. He can even convene a meeting in the jungle where nobody can come. You have not prescribed the limit of time even and he can convene a meeting at 2 A.M. All that is required is that he should put reasons on the record. Let us keep some concrete check upon the man so that he may not act on his whims and idiosyncrasies.

So, if you must have a provision like this you must atleast say that he can do it with the approval of the Collector or other biggest executive officer there. There must be some kind of check.

Therefore, I will request the Hon'ble Member-in-charge of the Bill to accept the amendment and if he is not able to understand and he can only look back for inspiration, then I will request the House that they may look into the wisdom of this amendment and accept it.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन क्लॉज ६२ के सब-सेक्शन ५ में इस प्रकार है : "The words "two clear days notice" occuring in line 2 be substituted by the words "twelve hours' notice" and the words "or in case of great urgency, notice of such shorter period as is reasonable" occuring in lines 2 and 3 be deleted."

श्रीमन्, इसमें वक्त की बात लिखी गई है वह निश्चित होनी जरूरी है, स्पेसिफिकली जो इन्टिमेशन होनी चाहिए, उसके लिये १२ घंटे का नोटिस मिलना चाहिये। फिर २०-२१ आदमियों को खबर करने के लिये शॉर्टर पीरियड रख दिया और कोई रीजन नहीं। सोलली डिस्क्रिशन ऑफ चेयरमैन पर हो तो यह उचित नहीं। ट्वेल्व आवर्स रखने से दो-तीन बातें हो जाती हैं। एक तो यह कि ट्वेल्व आवर्स का नोटिस दिया गया है तो किसी मीटिंग में मेम्बर्स को जाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती इसलिये ट्वेल्व आवर्स या एट आवर्स रख लीजिये जिससे कि काम भी नहीं रुके और मेम्बर्स को भी मालूम हो कि काम के लिये एट आवर्स का नोटिस मिलेगा उस टाइममें

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

नहा-धोकर खाना खाकर मीटिंग में जायेंगे। इतना स्पेसिफिकली नोटिस तो होना चाहिये ताकि वह वहां जाने के लिये सब प्रोग्राम को केन्सिल करके जाने का निश्चय कर सके। १२ घंटे का नहीं रखते हैं तो ८ घंटे तो लगभग अपनी दुकान पर ही बैठा रहता है, शॉप्स एक्ट के माफिक, दुकान पर आठ घंटे बैठे रहने के बाद घर पहुंचा तो मीटिंग खत्म हो गई। चाहे जैसी अर्जेन्ट मीटिंग हो, उसके लिये १२ घंटे का नोटिस देना मैं जरूरी समझता हूं।

इसके बाद मैंने इसमें........

नाइन को ले लूं, साहब ?

श्री अध्यक्ष : जी हां, ले लीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद : The following sub-clause be substituted for the existing sub-clause :—

"(9) If there be no quorum before the lapse of 15 minutes from the time fixed for the meeting by the chairman, the meeting shall be declared adjourned by him. The date and time of the adjourned meeting shall be fixed by the Chairman, a notice whereof shall be given to all the members atleast twelve hours before the time fixed for that meeting. At such an adjourned meeting quorum shall not be necessary but this shall not authorise a single member to dispose of the business on the agenda."

१.२३ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सवाल यह है कि मीटिंग्स के बारे में एग्ज़िस्टिंग लॉ में इस तरह है कि एडजॉर्नमेंट मीटिंग का, मीटिंग में कोरम नहीं हुआ यही कारण हो सकता है। या तो सब मेम्बर्स को आने के लिये सूचित किया जाय या उसी एडजॉर्न मीटिंग को बुला लिया जाय। रूटिन काम में तो दिक्कत नहीं पड़ती पर इसमें चुनाव करना हो या रुपयों-पैसों का मामला पास करना हो, उसके लिये इस तरह का क्लॉज होना जरूरी है कि उसके कोरम के लिये ५० पर्सेन्ट से ज्यादा मेम्बर्स अटेन्ड करें, इतनी अटेन्डेन्स रखना जरूरी है। जिस वक्त बजट या नो-कॉन्फीडेन्स मोशन हो, तो इस बात की जरूरत होनी चाहिये कि नेसेसरी अटेन्डेन्स रखनी चाहिये, मेजॉरिटी से ज्यादा मेम्बर्स होने चाहिये। काम की इंम्पोर्टेन्स को देखकर नोटिस का पीरियड रखना जरूरी है। अगर इस तरह नहीं रखेंगे, नोटिस का पीरियड नहीं रखेंगे, कोरम के सवाल को नहीं देखेंगे और किस तरह का कोरम माना जाय, मीटिंग बुलाने के लिये नोटिस दिया जाय या नहीं दिया जाय, मियाद दी जाय या नहीं दी जाय, इस तरह के आर्बीट्रेरी पावर्स चेयरमैन को दी गई तो कमेटी के काम में बहुत रुकावट होने वाली है।

अभी एक केस जोधपुर हाई कोर्ट से सिर्फ इसलिये तय हुआ है कि एक मेम्बर ने कह दिया कि प्रोपर नोटिस नहीं दिया, चेयरमैन ने हाई कोर्ट में रिट किया और स्टेऑर्डर ले लिया। वही चेयरमैन नोटिस देने वाला और वही रिट कर दे और वहां से हुक्म ले आये कि नो कॉन्फीडेन्स मोशन पास कर दिया, तो भी चेयरमैन मौजूद है। चेयरमैन

Page No.50

(श्री ज्वालाप्रसाद)

को चुनने की बात हो, कोई नो-कॉन्फीडेन्स मोशन आया हुआ हो तो इनके लिये जो मीटिंग बुलाई जाय उसमें आपकी मेजोरिटी से ज्यादा मेम्बर्स की अटेन्डेन्स होना जरूरी रखा जाना चाहिये और इन सब कामों के लिये टाइम लिमिट रखना चाहिये। क्योंकि म्युनिसिपेलिटी के कामों के अन्दर बहुत से काम रूटीन नेचर के होते हैं पर बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जिनका असर सारे शहर पर पड़ता है, सरकार पर पड़ता है। ऐसी मीटिंगों के लिये नोटिस, टाइम और कोरम की निश्चितता बहुत जरूरी है।

आप इस सिलसिले में कल्पना करके देखिये कि किस तरह आप इस निज़ाम को चलाना चाहते हैं, हर मेम्बर सोचने की कोशिश करे कि इस कोर्पोरेट बॉड़ी के अन्दर सभी मेम्बर्स की जिम्मेदारी है, वे सब इकट्ठे होकर कोई बात तय करते हैं तो उस बात का असर सारे शहर पर, शहर के सारे निवासियों पर होता है। जिस मीटिंग के लिये कोरम नहीं हो उसके लिये जरूरी है कि नोटिस लगा दिया जाय, सभी मेम्बर्स को आगाह कर दिया जाय कि आपका फर्ज है कि आप इस मीटिंग में आयें और अपने हक का इज़हार मीटिंग में आकर करें। कोरम नहीं होने के बाद मीटिंग हो, यह इसलिये रखा जाता है कि काम नहीं रुके पर नोटिस का मतलब यह है कि सब को आगाह कर दिया जाय। एडजॉर्न्ड मीटिंग के लिये २४ घंटे से ज्यादा रखा जाता है। कुछ कार्य ऐसे हैं कि उनको तय करते समय कोरम हो ही। शहर के हित के लिये, बोर्ड के हित के लिए २४ घंटेसे ज्यादा नोटिस दिया जाना चाहिये जिससे सभी सदस्यों को पता हो और सब सदस्यकामकरने की जिम्मेदारी उठावें। केवल दफ्तर में चिपका देने से सारे सदस्यों को पता नहीं चलेगा और उस काम को कमेटी द्वारा किया हुआ माना जावे कि यह सारे सदस्यों के जरिये सारे शहर के लिये किया गया है, यह इस बिल की मंशा के खिलाफ होगा। इसलिये मैंने जो अपना अमेन्डमेंट मूव किया है उसमें मेरा मकसद यही है कि इसमें कोई खामियां न रहें। हो सकता है कि मैंने जो अमेन्डमेंट मूव किया है उसमें भी कमियां हों मगर मेरा यह जो डर है क्योंकि उस पर सारा दारोमदार है। आप किसी तरह से माइनोरिटी से काम करा कर दूसरों पर नहीं रख सकते। इस तरह का hide and seek का कोई खेल होना नहीं चाहिये। इन सब बातों को देखते हुए सदन इस तरह से कल्पना करके देखे जिससे वे किसी तरह अपनी ड्यूटी को पूरा करें।

मैं इसके साथ साथ एक और बात की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं और वह यह कि जब चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन दोनों ही नहीं हों तो मीटिंग के लिये अपने आप वे उस दिन के लिये चेयरमैन चुन लें। मेरे ख्याल से यह ठीक है लेकिन इसके बाद प्रश्न यह पैदा होता है कि कौन चुन लें ? आदमी इकट्ठे होते हैं वे आपस में दिक्कत पैदा करते हैं; इस प्रकार की दिक्कत अजमेर में हुई। चेयरमैन की गैर मौजूदगी में जिसके नाम पर वोट ज्यादा आ गये वह होगा, लेकिन वोट लेने वाला कौन होगा ? उस मीटिंग में काम चलाने के लिये प्रेसिडेन्ट चुनना है मगर प्रश्न यह है कि उसको चुनेगा कौन ? जो चुनेगा उसको धक्का दे देंगे, दूसरा आकर उस स्थान पर बैठ जावेगा; इस तरह की स्थिति पैदा होगी। हालांकि इसके लिये कोई मेरा अमेन्डमेंट नहीं है मगर

(श्री ज्वालाप्रसाद)

फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि इस कमजोरी को भी पूरा किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेंट मूव किया गया है उसके बारे में मेरा यही निवेदन है कि यह तीन प्रोविजन्स क्लॉजेज ५, ६ और ६ में हैं ये तीनों इमर्जेन्सी के समय के लिये प्रोविज़न हैं। ऑर्डिनेरी कोर्स ऑफ-वे में क्या होगा, २४ घंटे या ४८ घंटे का नोटिस देकर बुलाई जावे। अगर बहुत ही ज्यादा अर्जेन्सी का काम हो तो शोर्ट नोटिस देकर बुलाई जा सकती है। अगर माननीय सदस्य इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ४८ घन्टों का मीटिंग का वगैर........

श्री ज्वालाप्रसाद : मैंने २४ घन्टों का कहा है।

श्री अर्जुनदास : You agreed to 12 hours.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (स्वायत शासन मंत्री) But there can be an urgency dispute that 12 hours... लेकिन १२ घन्टों का नोटिस के बावजूद भी कोई अर्जेन्सी हो तो उस सूरत में बोर्ड की मीटिंग बुलाने का अधिकार होना चाहिये। उनको शहर का इन्तजाम करना है, यह उनकी जिम्मेदारी है और उसके लिये उनको यह राइट होना चाहिये। जब कभी चेयरमैन चाहे या वे लोग चाहें कि इमर्जेन्सी है तो उसी हालत में बुला सकते हैं। इसमें खतरे की कोई बात आ रही हो, ऐसी बात मैं नहीं समझ पाया। अजमेर और नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो बातें अपने अनुभव की कहीं, उसके लिये मैं भी यह कहूंगा कि उनसे पहले मुझे भी इसका अनुभव होगा। मैं बड़े अदब से निवेदन करूंगा कि सदस्यों के राइट्स को कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिये और अगर इमर्जेन्सी हो तो उसके लिये रीजनेबल समय का नोटिस रखना चाहिये। तो इमर्जेन्सी की हालत में...

श्री ज्वालाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन रखा है उसका मतलब यह है कि इस प्रकार शोर्ट नोटिस से की गई मीटिंग की प्रोसिडिंग्ज को फाइनल नहीं करना चाहिये दो घन्टों के नोटिस से हुई कार्यवाही को बोर्ड की मीटिंग नहीं मानी जानी चाहिये। इसलिये उसका बाद में कन्फर्मेशन होना जरूरी है। यदि ऐसा होता है तो कोई एतराज नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कन्फर्म तो होगी ही। नेक्स्ट मीटिंग में उसको कन्फर्म करते ही हैं। प्रोसीडिंग्ज लिखी जाती हैं और दूसरी मीटिंग में कन्फर्म की जाती है। यह तो हर एक बोर्ड में प्रोविजन है।

श्री ज्वालाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से निवेदन करूंगा कि यह मेरे अनुभव की बात है कि म्युनिसिपेलिटीज में डिसिजन लिखने के बाद कन्फर्मेशन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और उसी वक्त उसको बांट देते हैं। गवर्नमेंट को यह लिख देते हैं कि यह होना चाहिये। अगर ऐसा है तो आपको निकालना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : That will do Hon'ble Member.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (स्वायत शासन

Page No.52

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मत्री) मैंने कहा कि प्रस्ताव पास होता है उसको लिखा जाता है और उसके लिये मिनट बुक हर एक म्युनिसि- पेलिटी में होती है। हमने यहां पर क्लॉज ११ में किया है : " There shall be kept minutes of the names of the Members and of the Government officers , if any present under,the provisions of sub-section (21) and of the proceeding at each general meeting and special general meeting in a book to be provided for this purpose, which shall be signed by the presiding authority of such meeting..."

श्री ज्वालाप्रसाद : वे मेन्टेन करेंगे। जो ऐसे शोर्ट नोटिस पर कार्यवाही होती है उसको होल मेम्बर्स की मीटिंग में कन्फर्म होनी चाहिये। अगर उसको केरी कर लेते हैं तो आप इमरजेन्सी में एक्शन ले सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझता हूं कि आप जो इसका मतलब समझते हैं वह नहीं आता। इसमें शार्ट नोटिस का पीरियड रखा है वह १२ घन्टे या २४ घन्टे या ८ घन्टे या ६ घन्टे का समय ...

श्री ज्वालाप्रसाद : On a point of information ...

श्री उपाध्यक्ष : No, I will not allow any more interruptions.

श्री ज्वाला प्रसाद : On a point of information only.

श्री उपाध्यक्ष : The Honble Member will kindly resume his seat.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (स्वायत्त शासन मंत्री) एक छोटा सा कस्बा है, जल्दी सूचना पहुंच जाती है; it is sufficient for the purpose. यह तो इमर्जेन्सी मीटिंग की बात है। मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार करना चाहिये। बाकी मैं समझता हूं कि स्वीकार करने के लायक नहीं है। "... except for reasons to be specified in the notice convening the meeting, be held in the building used as municipal office ..."

प्रश्न यह है कि बोर्ड की मीटिंग कहां पर हो? ऑर्डिनरी कोर्स में साफ है कि म्युनिसिपल बोर्ड के ऑफिस में होगी। लेकिन यदि कोई अन-वारन्टेड मीटिंग हो या इमर्जेन्सी हो या चेयर-मैन इल हो , supposing the chairman is ill and Vice chairman is out और बोर्ड की मीटिंग होने जा रही हो तो for reasons to be recorded in writing...

श्री ज्वालाप्रसाद : वो घर पे करे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Yes, he can do it.

मान लें की हड़ताल करने वालों ने ताले लगा दिये हों और म्युनिसिपल ऑफिस में नहीं हो तो दूसरी जगह भी हो सकती है। म्युसिसिपल हॉल के बाहर भी म्युनिसिपेलिटी की प्रोपर्टी हो वहां पर भी बुलाई जा सकती है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए for reasons to be recorded in writing. अगर ऐसी बात होती है तो इमरजेंन्सी का प्रोविजन है। रोज होने वाली बात नहीं है। फिर इसके लिए यह कहना कि बहुत बड़ा नुकसान हो जायगा मैं उससे एग्री नहीं करता। मैं समझता हूं कि यह जिस तरह से हैं वैसा पास करना चाहिये।

सब-क्लॉज़ (९) की बात है वह एडजोर्न

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मीटिंग के बारे में है। यदि मीटिंग का कोरम पूरा नहीं होता है और मीटिंग एडजोर्न हो जाती है तो दूसरी मीटिंग का नोटिस हो जाना चाहिये। इसमें जो लिखा है वही काफी नहीं होगा, इसलिए फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य का जो अमेन्डमेन्ट है वह मैं स्वीकार कर लेता हूँ। उसमें यह प्रोवाइड किया गया है कि नोटिस दुबारा दे देना चाहिये। यह बात मुनासिब है, लेकिन उसके बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिये। इमर्जेन्सी मीटिंग के लिए लिखा है कि कोरम १।५ हो या ३ हो। कोरम में ही बोर्ड की कार्यवाही हो सकेगी। बोर्ड के मेम्बर आते नहीं हैं, पहले तो गलती यह करते हैं और आते नहीं हैं तो मीटिंग को एडजोर्न करना पड़ता है। इसलिए यह रख दिया कि १।५ या ३ मेम्बर होने चाहिये, इसलिए यह इमर्जेन्सी का प्रोविजन है। ऑर्डिनरी कोर्स में मेम्बरों को जाना चाहिये। जहां तक नोटिस की बात है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिये और बाकी का जैसा प्रोविजन है वैसा मंजूर कर लेना चाहिये।

श्री अर्जुनदास : उपाध्यक्ष महोदय, I think after the reply of the Hon'ble Member-in-charge of the Bill, we will have to evolve some agreed formula on sub-clause (5). I think the agreed sub-clause (5) should read this way :-

"Four clear day's notice of an ordinary general meeting, and two clear day's notice, or in case of great urgency, notice of atleast 12 hours of a special general meeting......"

श्री उपाध्यक्ष : This is your amendment in sub-clause (5) ?

श्री अर्जुनदास : No agreed formula between the Hon'ble Minister and the House. "Four clear days notice of an ordinary meeting, and two clear days notice or, in case of great urgency, notice of at least 12 hours...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैंने यह कहा कि In case of urgency 12 hours' notice for reasons to be recorded...
२ क्लियर डेज के बारे में नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन था; १२ घन्टे रख दिये हैं। बाकी वैसा ही रखा है।

श्री अर्जुनदास : वह कहां रहा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह मैंने अमेन्डमेन्ट पेश कर दिया है, रीजनेबल टाइम रखा है।

श्री अर्जुनदास: प्रोबेबली, हमारी समझ में नहीं आया या आप समझने की कोशिश नहीं करते। बात यह है कि the case of great urgency, one hour's notice will be given. What is the check on the man to deter him from not calling a meeting at one hour's notice ? Merely by saying that he will not do it, that is no criteria at all, Sir. To say that he will have to put down the reasons on paper, that is no check on him. We cannot expect that only in an emergency he will do it. How do you presume that he will call it only in real emergency? You are not dealing with one man but a big number of persons in whole of Rajasthan. So, let us try to understand the realities of life and should not go just by wishful thinking that he will not do like this and only in case of emergency he will cal

(श्री अर्जनदास)

the meeting. I whould, therefore, request the Hon'ble Member either to defer the Bill and take better counsels and please do not put in any clause for which we may have to repent afterwards or for which the whole of Rajasthan may be sorry later. We want to give him powers to convene a meeting at any place even beyond the municipal areas. (where have you provided that it should be held within the local area) He can even hold a meeting at London or Timbactoo.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : No, no.

श्री अर्जनदास : What 'No, no'? Where is the provision? Please tell me. I say there is no provision and the Hon'ble Minister says 'No, no.' I think it is insult to the whole House even. The Hon'ble Minister should please show it to us.

Therefore, Sir, because there is no provision, we should have it, that meetings should be held in the Municipal areas, Otherwise it can be held even at a distance of 500 miles at Calcutta or Madras.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने अमेन्डमेन्ट रखा ?

श्री अर्जनदास : मैंने रखा नहीं है अमेन्डमेन्ट, रख देता हूँ। That this should be deleted altogether; or if it does not serve the purpose of the Hon'ble Minister, then you may make any other suggestion and we will accept it.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपल एरिया में ही मीटिंग होनी चाहिये यह ठीक है।

श्री अर्जनदास : यह आपने कहां लिखा है? Let us have that agreed solution them

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने कोई अमेन्डमेन्ट नहीं रखा हैं।

श्री अर्जनदास : Shall I move? "Every meeting of the Board shall, except for reasons to be specified in the notice convening the meeting, be held in the building used us Municipal Office by such board or within the Municipal area"

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Agreed.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, what is the version of your amendment?

श्री अर्जनदास : "(6) Every meeting of a board shall, except for reasons to be specified in the notice convening the meeting, be held in the building used as Municipal office by such board or within the Municipal limits atleast,"

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री अर्जनदास : Sir, what about the amendment in sub-clause (5)?

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा:) I am glad that the Hon'ble Member h s accepted the amendment in sub-clause (6). Regarding sub-clause (5)? उसको हालांकि Hon'ble member said that it is

(श्री पी० के० चौधरी)

for emergency even then I am not convinced.

मैं कन्विन्स्ड नहीं हूं कि इसका मिस यूज नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इसका मिस-यूज ज्यादा होगा। या तो सब-क्लॉज (६) बिल्कुल ही नहीं रखते। वैसे आम तौर पर मीटिंगें म्युनिसिपल ऑफिस में ही करेंगे। लेकिन यदि ऐसा प्रोविजन रखते हैं और इमर्जेन्सी हो जाय तो दूसरी जगह जाकर मीटिंग करते 'or except in emergency' यह कर देते। या यह लिख देते, "except for the reasons to be specified in the notice convening the meeting" यानि सिर्फ रीजन देने का है। इस पर कोई भी रीजन दे सकते हैं; चेयरमैन के पैर में चोट आ गयी। There is no reason of the emergency mentioned there. It is 'urgency' फिर से मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि कुछ अमेन्डमेन्ट जरूर होना चाहिये।

श्री अर्जुनदास : I suggest the best thing would be to defer the sub-clauses (5) and (6).

श्री पी० के चौधरी : It should be "...except for reasons of special nature to be specified in the notice convening the meeting..." The words 'of special nature' be added.

श्री उपाध्यक्ष : It is acceptable ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Accepted.

श्री उपाध्यक्ष : That is not contained in your amendment.

श्री पी० के० चौधरी : No sir, I wanted deletion of the words 'excep for reasons to be specified in the notice convening the meeting.' But if that is not acceptable, then it should be '...except for reasons of special nature...' That is new addition.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Both the amendments are acceptable to me in (5) and (6)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो इस बारे में विचार प्रकट किये हैं उस रोशनी में आखिर मुझे अपने संशोधनों को वापिस लेना है। इस सम्बन्ध में मेरा इतना ही निवेदन है कि क्लॉज ६ के लिये जो बात उठाई थी उसका जवाब माननीय मन्त्री महोदय ने नहीं दिया। चेयरमैन इलेक्ट करने के लिये तो कर लेंगे। उसके लिये.... who will count the votes, who will choose and how that meeting will choose ?

सवाल यह है कि कौन चूज करायेगा, कौन वोटों की गिनती करेगा, क्या इस कार्य के लिये कोई भी उछल कर बैठ जायगा ?........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिसकी मेजोरिटी होगी वही चेयरमैन होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेजोरिटी में कौन कौन लोग जायेंगे, इसको कौन देखेगा, कौन आदमी वोट गिनेगा, क्या तीन जने गिनने लगेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सब रूल्स में प्रोवाइड हो जावेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : रूल्स में प्रोवाइड कर देगें तब तो ठीक है।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

दूसरी, आपने १२ घन्टे की बात मान ली है; इसके बारे में मैंने अदब के साथ दरख्वास्त की थी कि यह इमर्जेन्सी मीटिंग का जो अधिकार रखा है उसमें इमर्जेन्सी किन-किन हालतों में हो सकती है, वह डिफाइन कर देना चाहिये। मेरा सजेशन यह था कि ग्रेट अर्जेन्सी इसको डिफाइन कर दिया जाय चाहे वह दो घन्टे के लिये ही हो। चाहे आठ घन्टे हों, जैसा भी माननीय सदस्यों का मत हो, इस मामले को साफ किया जाना चाहिये। मीटिंग के लिये मैं मिनिस्टर साहब की मर्जी पर छोड़ता हूँ। वे भी अलवर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं हालांकि उससे भी ज्यादा समय आप मिनिस्टर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त यह है कि स्पेशल ग्रान्ट अर्जेन्सी कितने पीरियड का नोटिस होना चाहिये यह वे खुद ही तय कर लें, पांच मिनिट से लेकर आठ घन्टे तक कोई भी समय वे चुन सकते हैं। इसके अलावा मैंने यह भी दरख्वास्त की थी कि अगर अमर्जेन्सी में जो मीटिंग कॉल की जाय उसमें जो कोई निर्णय हो वह इन्फोर्मल डिसीजन माना जाय। रेगुलर मीटिंग किन-किन सब्जेक्ट्स पर विचार कर सकती है उन सब्जेक्टस् को भी प्रेस्क्राइब कर दिया जाना चाहिये। इलेक्शन के मामले या बजट सम्बन्धी मामले भी क्या इमर्जेन्सी मीटिंग्ज में डिस्कस हो सकते हैं या नहीं? यदि हो सकते हैं, तो मान लीजिये किसी बोर्ड के बीस मेम्बर हैं उनमें से आठ उपस्थित हुए या पांच आदमी उपस्थित हुए वे भी अपने में से चेयरमैन चुन लेंगे। ऐसी हालत में रूल्स में यह प्रोवाइड कर दिया जाय कि अर्जेन्ट मीटिंग और इमर्जेन्सी मीटिंग किन-किन हालतों में बुलायी जा सकती है, इसका क्लासिफिकेशन होना आवश्यक है, यह रूल्स में कवर-अप कर लें तो ज्यादा मौजूं होगा।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दी जाय कि मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लूं, १२ घन्टे का सजेशन तो मान ही लिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : Which amendment ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : In 63, (5) and (9)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने मूव नहीं किया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६३ के सब-क्लॉज ५ पर जो संशोधन श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ने रखे हैं उन्हें वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अपने संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री-बद्रीप्रसाद गुप्ता ने क्लॉज ६३ पर जो संशोधन रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जब कि माननीय मन्त्री महोदय ने १२ घन्टे की बात मान ली है, वह इन अमेन्डमेन्ट्स में इन्क्लूडेड नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका अमेन्डमेन्ट है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो उसे एग्री करिये।

२ म० प०

अपने आपए क्सेप्ट हो गया या मैंने विद्ड्रा कर लिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसी से ले लिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उसी से ले लीजियेगा तो फिर।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मन्त्री महोदय के संशोधनों को स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने सब-क्लॉज ६ और ९ में रखे हैं, उन्हें स्वीकार किया जाये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ६ का एक तो विद्ड्रा करेंगे और नया जो अमेन्डमेन्ट मूव किया है उसको एक्सेप्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सब-क्लॉज (६) में "......except for reasons of special nature......" this is accepted ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Yes.

श्री उपाध्यक्ष : Part (9), it has to be withdrawn ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : That is also accepted. Only the amendment which was for the deletion of the words "Except for......the meeting" in part (6) is to be withdrawn.

श्री उपाध्यक्ष : Then both are to be put to vote.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ओरिजिनल है (६) में वह तो विद्ड्रा करेंगे और तीन वर्ड एड कराने का जो है, वह पास करेंगे। "of special nature". 'Except for reasons' is already there, while "of special nature" will have to be added.

श्री पी० के० चौधरी : I am withdrawing my amendment to part (6), if this new amendment is accepted.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री पी० के० चौधरी द्वारा प्रस्तुत पार्ट (६) में का संशोधन उन्हें वापिस लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my Amendment.

श्री उपाध्यक्ष : पार्ट नाइन में प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

In clause 63, Sub-clause (6) original amendment is withdrawn.

श्री पी० के० चौधरी : सब-क्लॉज ६ में ओरल अमेन्डमेन्ट रक्खा है।

Page No.58

(श्री पी० के० चौधरी)

Between the words 'except for reasons' and 'to be specified' insert 'of special nature'.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: इसमें आपने तीन शब्द एड कराये हैं। Every meeting of the Board shall, except for reasons of special nature to be specified in the notice......" यह मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष : This is an amendment by ?

श्री पी० के० चौधरी : Moved by me, orally.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज (६) के अन्तर्गत जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया है 'of specil nature' इसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

'or within the municipal limitof...' This is an amendment by Shri Arjun Das ?

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री अर्जनदास ने क्लॉज ६ में पेश किया है उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

Shri Jwala Prasad's amendment on Sub-clause 5.

प्रश्न यह है कि "Two clear days notice" के बदले 'टवेल्व आवर्स वाला संशोधन स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६३, संशोधनानुसार स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ६४

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लॉज ६४ में मेरा लैंग्वेज करेक्शन के लिये एक संशोधन है। 'एनी' शब्द प्रिन्टिंग मिस्टेक के कारण रह गया था, उसे ठीक करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६४ में जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

Page No.59

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६४, संशोधनानुसार, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ६५, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : ६५ में, मेरा अमेन्डमेन्ट है। एक तो यह है :

"Omit sub-clause (9) and (10)."

और दूसरा है :

"2. In sub clause 11, for clause (a) 'or by a majority specified in clause (h) of sub-section (a) of section 57 at the first meeting or at the second meeting' substitute 'sub-section (9) of section 58' and omit the words' or second meeting as the case may be."

उपाध्यक्ष महोदय, इसकी आवश्यकता इसलिये है कि पहले जो प्रोविजन था वह ऐसा था कि दुबारा मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब ऐसा रख दिया गया है कि जब मेजोरिटी से प्रस्ताव पास हो जावेगा तो मान लिया जावेगा। यह एक कॉन्सीक्वेन्श्यल अमेन्डमेन्ट है इसलिये रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : श्रीमान् यह म्युनिसिपल कमेटीज के लिये जो नो-कॉन्फीडेन्स का मसला है उसके ये जो क्लॉजेज़ हैं सिद्धान्ततः सही हैं। अगर बोर्ड के मेम्बरों का किसी चेयरमैन में विश्वास नहीं है तो उसको एक दिन वहां रहना नहीं चाहिये और नो-कॉन्फीडेन्स मोशन का अधिकार मेम्बरों को होना चाहिये। म्युनिसिपल कमेटीज का इतिहास अगर देखा जावे तो राजस्थान में दूसरे प्रान्तों से बहुत नया है और यह म्युनिसिपेलिटी लेजिस्लेटिव असेम्बली या पार्लियामेन्ट के लिये एक स्कूल या ट्रेनिंग सेन्टर की तरह डेमोक्रेसी में मानी जाती है और जब इस तरह माना जाता है तो वहां पर नो-कॉन्फीडेन्स के बारे में यह हमेशा कोशिश होनी चाहिये कि उस बोर्ड की ड्यूटीज और फंक्शन्स को समझकर नो-कॉन्फीडेन्स का मोशन रखने की स्वतन्त्रता मेम्बर को होनी चाहिये।

श्री भानसिंह : माननीय डिप्टी स्पीकर, अमेन्डमेन्ट क्या है उनका, यह तो पहले पढ़ दिया जावे probably the amendment is redundant.

श्री ज्वालाप्रसाद : In 65 "add the following words between the words 'chairman' and 'shall' occuring in lines 2 and 3, "or Vice chairman, president or Vice President." होना चाहिये।

इस अमेन्डमेन्ट के जरिये चेयरमैन के अलावा प्रेसीडेन्ट, वाइस-प्रेसीडेन्ट ये सब होंगे इस एक्ट के जरिये। वहां पर खाली चेयरमैन दिया हुआ है इसलिये यह रखा गया कि यह नो-कॉन्फीडेन्स की बात इन सब पर लागू होगी। इस तरह यह एक फोर्मल अमेन्डमेन्ट है। अगर सरकार इसको मन्जूर करे तो ठीक है, नहीं तो अधिक नहीं कहना है।

(श्री ज्वालाप्रसाद)

"Add the folowing proviso at the end of this clause.. 'provided that no notice of a motion of non-confidence shall be made within twelve months of the assumption of office by a chairman or President."

आप उस काम को, फंक्शन को समझने की कोशिश करें कि किसी शहर को अगर ३२ टुकड़ों के अन्दर या १६ टुकड़ों के अन्दर या २० टुकड़ों में आबादी के लिहाज से बांटा गया है। जहां से जो आदमी चुनकर आते हैं, जो वार्ड के मेम्बर होते हैं वे वार्ड के मेम्बर अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी को या अपने वार्ड को सेफ करने के लिए उसके हित में स्वभावत: काम करते हैं और सारे शहर के अन्दर सारे शहर का टैक्स जहां म्युनिसिपल कमेटीज़ का इकट्ठा होता है वहां पर मैजोरिटी के लिहाज से, उस मैजोरिटी के लिहाज से जो कि अगर बोर्ड के अन्दर ३२ मेम्बर हैं तो १७ मेम्बर इकट्ठे होकर जो भी टैक्स का पैसा प्राप्त होता है, वह अपने ही १७ वार्डस् के अन्दर लगाने से मजबूर हो सकते हैं। निग्लेक्ट कर सकते है कि जैसे मेजोरिटी एक आदमी की होगी तो वह १७ आदमी जो कि इकट्ठा किया हुआ पैसा है, वह १७ आदमी उस बोर्ड के पैसे को अपनी गलियों में या दूसरी जगह में खर्च करके निग्लेक्ट कर सकते हैं शहर के दूसरे वार्डों को। यहां पर भी आपने चीफ मिनिस्टर के लिए कुछ रखा है कि एक सेशन में एक ही मरतबा उसके खिलाफ नो-कॉन्फीडेन्स आ सकता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि बोर्ड की जनरल मीटिंग एक महीने में एक बार बुलानी पड़ेगी वहां इसके लिए कोई क्लॉज़ नहीं है कि वह मीटिंग १० दिन बाद कॉल हुई तो वन थर्ड आदमी उसके खिलाफ नो-कॉन्फीडेन्स ले आयेंगे। इस तरह से थोड़े से लोग जब चाहे मनमाने तरीके से उस चेयरमैन को कभी भी जनता की सेवा के लिए काम नहीं करने की हालत में ला सकते हैं। यह जो वर्तमान धारा है इसके अनुसार तो बोर्ड की स्थिति ऐसी खराब हो जायेगी कि यह वन थर्ड मेम्बर्स उस बोर्ड की वह हालत कर देंगे कि वह पूरी मैजोरिटी को काम नहीं करने देंगे। उसके बाद में इसके अन्दर अगर वन थर्ड मेम्बर्स से दस्तखत करा लिये गये तो उनको विद्ड्रॉ करने की ताकत भी नहीं है। अगर वह वन थर्ड आदमी जो कि एक ओर होते हैं और उनके अन्दर किसी तरह से स्टेबिलिटी नहीं रही और वह विद्ड्रॉ करते हैं तो इसके लिए भी कुछ न कुछ प्रोवीज़न होना चाहिए कि वह वापिस ले सकें। मेम्बर्स को सोचने की ताकत दी जाये कि वन थर्ड आदमी अपने को कैसे विद्ड्रा कर सकते हैं। मान लीजिए की एक चेयरमैन के लिए वोटिंग हुआ जो कि कल ही चेयरमैन हुआ जिसको कि बोर्ड चुनता है तो उस बोर्ड के मेम्बर्स जिम्मेदारी के साथ उसको चुनते हैं तो कम से कम एक साल की सेफ्टी दी जानी चाहिए कि एक साल के अन्दर तो कम से कम उसके खिलाफ कोई नो-कॉन्फीडेन्स नहीं आ सकता........

श्री भैरोंसिंह : चाहे वह ज्यादती करता रहे, मनमानी करता रहे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उस समय बोर्ड के मेम्बर्स क्या करते रहे जिस समय उन्होंने वोट दिया था, तो उस समय आप कहां गये थे। जब आपको बता दिया गया है कि जिसको भी आप चुनते हैं उसको आप जिम्मेदारी से

Page No.61

(श्री ज्वालाप्रसाद)

चुनें। एक मेम्बर के लिए, मोहल्ले मोहल्ले के अन्दर या एम० एल० एज़० की जितनी कॉन्सिट्युएन्सीज़ हैं उसके लोगों को अधिकार दे दिया जाये कि इतने आदमी दस्तखत करके किसी मेम्बर को वापिस बुला सकते हैं, चाहे वह पांच साल के लिए चुने गए हों तब आपको पता चलेगा कि आप यहां पर पांच साल तक किस तरह रहते हैं। जब कि हम को बोर्ड में स्टेबिलिटी लानी है तो इसके लिए हमको कुछ न कुछ समय चेयरमैन की स्टेबिलिटी के लिए रखना होगा। मैं आपको म्युनिसिपेलिटीज़ का इतिहास बताऊं कि सबसे पहले म्युनिसिपेलिटी सन् १८५६ में बॉम्बे में कायम हुई। मैं कहता हूं कि गदर के दो साल बाद म्युनिसिपेलिटीज़ कायम हुई। उसके रेकॉर्ड से पता चलता है कि जब म्युनिसिपेलिटीज़ कायम हुई तो जस्टिस एण्ड पीस की पदवी दी जाती है; जो भी लोकल ऑफिसर्स होते थे वह लोकल टैक्सेज़ को लेते थे और उसके जरिये से इन्तजाम सारे शहर का करते थे। शहर की पुलिस के लिए भी लॉर्ड मेयो और रिपन के टाइम में उसके पैसे काट कर म्युनिसिपेलिटी को पैसे दिया करते थे। इसके लिए जब एजीटेशन हुआ कि जब पुलिस का पैसा ले लेते हैं तो पुलिस उनके अधिकार में होनी चाहिए। इस तरह से उस समय में कौन्सिल्स होती थीं और फिर म्युनिसिपेलिटीज़ कायम की गई। उसके बाद में यह एक्सपेरीमेन्ट चलता रहा म्युनिसिपल कमेटीज़ में। यू० पी० में आप देखेंगे कि जिस समय पंडित विजयलक्ष्मी लोकल सेल्फ मिनिस्टर थीं तो उन्होंने एक एक्ट पास किया और एक्ट में लिखा हुआ था कि चेयरमैन स्वतंत्र रूप से सारे शहर से चुना जाये और अगर उसको हटाने की आवश्यकता पड़े तो सारे के सारे बोर्ड को डिज़ोल्व करके ही उसको हटाया जा सकता है.......

श्री भैरोंसिंह : ऐसा नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ऐसा है। अभी नहीं है, लेकिन उस समय में पंडित विजयलक्ष्मी ने ऐसा एक्ट पास किया और उसके मातहत चुनाव हुए....

श्री अर्जुनदास : Was that Act passed in 1896 ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Not that, I will let you know it.

श्री श्रीभानसिंह : When Vascodigama first visited India.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : १६३७ के बाद में यहां पास हुआ था। तो उसके अन्दर चेयरमैन का डाइरेक्ट चुनाव होता था और म्युनिसिपेलिटीज़ में स्टेबिलिटी लाने के लिए यह प्रोवीज़न रखा गया था कि चेयरमैन का इलेक्शन डाइरेक्ट वोटर्स की तरफ से होगा और खुद चेयरमैन जब चुन कर आजाये और उसके बाद में जो उस कॉर्पोरेटेड बॉडी के मेम्बर्स हैं वह टू थर्ड से नो-कॉन्फीडेन्स करें और तब सारे बोर्ड को डिज़ॉल्व करना होता था......

श्री उपाध्यक्ष : You are referring the enactment which is not before us.

श्री अर्जुनदास : He is again referring......

श्री उपाध्यक्ष : Please refrain from discussing that point. If you have got that Act before you, you can make......

Page No.62

श्री पी० के० चौधरी : If the Hon'ble member has come prepared to tell on Act, the Hon'ble member may be allowed to speak.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उससे मैं सिर्फ यही रेफर कर रहा था कि म्युनिसिपल कमेटीज़ के अन्दर नो-कॉन्फीडेन्स के सिलसिले में और उसका स्थायित्व कायम करने के लिए यह पूरी तरह से जरूरी है कि जैसा दूसरी जगह है उसके अनुसार ही यहां समय दिया जाना चाहिए। उसके बाद में मैं ऐसा मानता हूं कि चुनावों के अन्दर जो लोग भी इन्फ्लुएन्शियल होते हैं मोहल्ले के अन्दर या इन्डीपेन्डेन्ट की हैसियत से हो या किसी भी पार्टी की हैसियत से हो, लेकिन इन्डीविजुअल मैरिट्स बहुत ज्यादा काम करता है। जब वे मेम्बर्स बोर्ड के अन्दर जाते हैं, तो उस इन्डीविजुअल मैरिट्स के लिहाज़ से उनका रॉयेलटीज़ ऑफ डिसिप्लेन इतना ज्यादा होता है कि जिसकी वजह से जो रोज़मर्रा के काम होने वाले हैं आप चेयरमैन को जो ड्यूटीज़ दे रहे हैं उनमें यह भी है कि वह पक्षपात से ऊंचा उठ कर रहे और जब उसको अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं तो उसके बाद में उसे मेम्बरों को नाराज करना पड़ता है और फिर उसके बाद में आप कहते हैं कि हर बार वह नो-कॉन्फीडेन्स पेश करे। इसलिए मैंने सजेशन रखा है कि जिसको भी चेयरमैन चुना जाये उस समय बोर्ड के मेम्बरों को अपनी जिम्मेदारियों का लिहाज़ होना चाहिए; जिसको वे चेयरमैन बनाना चाहते हैं वह उसकी खूबियों और बुराइयों से वाकिफ होने चाहिए और जब एक दफा वोट दे देते हैं तो उसको कुछ न कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए मानना चाहिए कि उस बोर्ड के अन्दर अगर चेयरमैन गड़बड़ करता है तो उसकी जिम्मेदारी मेम्बर्स की है। इसलिए मैं इसके लिए अपील करता हूँ कि मेम्बर्स जिसको भी चुनें उसको अपनी जिम्मेदारियों से चुनें। जो आदमी नाराज होता है, दूसरी पिटी हुई पार्टी में शामिल हो जाता है उसका फेवर नहीं करने की वजह से जब चेयरमैन से नाराज होता है तो वह यही ठीक समझता है not at the mercy of the majority .... आप इसको अमेण्ड कर रहे हैं बल्कि जो दो वोट मेजोरिटी से जीतता है अगर वह उसकी नाजायज़ बात को भी माने तो चेयरमैन रह सकता है। अगर आप इसके लिए राजी हैं तो मैं तो एक साल के लिए नहीं कहता कोई भी पीरयड उचित समझते हों उसे ही रख लीजिए। जो एक ऑथोरिटी आप देते हैं, कोई काम करने के लिए आप उसको चुनते हैं, तो कम से कम बराबर ६ महीने तक उसकी अच्छाई की जांच की जानी चाहिए। साल भर, ६ महीने या ८ महीने कुछ सांस लेने का टाइम तो चेयरमैन को मिलना चाहिए जिससे कि पब्लिक वर्क्स की तरफ वह ध्यान दे सके। इसलिए मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस तरह से एक तरफ तो नो-कॉन्फीडेन्स का प्रावधान रखा जाय उसके पीरियड के साथ, तो आप कल्पना कर लें इस बात की कि वन-थर्ड आदमियों से एक चेयरमैन चुन कर आया है और हारा हुआ चेयरमैन भी वहीं बैठा हुआ है। वह दो वोटों से या एक वोट से जीत सका है, तो एक आदमी डाइरेक्शन करता है इन्डिविजुअली क्योंकि एक इन्डिविजुअल की मेजोरिटी से वह जीता है। वह एक वोट की मेजोरिटी है। १६ और १५ का जहां कॉन्टेस्ट है तो एक आदमी की मेजोरिटी है तो वह एक आदमी उसकी ईज्जत खराब कर सकता

(श्री ज्वालाप्रसाद)

है। हर एक आदमी अपने ढंग से सोच सकता है। १६ अपने को एक रूप से नहीं सोचते हैं कि चेयरमैन को हटा देंगे। हर इन्डिविजुअल सोचता है कि हमारा वोट नहीं आयेगा तो इस चेयरमैन को अपने पद से उतार देंगे। चेयरमैन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रेसफुल्ली इस बात को चलाये जैसे कि उसको कोई चिन्ता नहीं है और मेरिट ही सब कुछ डिसाइड करते हों। मेरिट के बजाय उसको अपनी मेजोरिटी रखने के लिए ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, वह उसको इतना करना पड़ता है जितना कि सरकार को अपनी मेजोरिटी को रखने के लिए भी नहीं करना पड़ता है। जहां कि म्युनिसिपल बोर्ड जो कि बिल्कुल बच्चा है उसके लिए इस बात की स्टेबिलिटी हो कि वह स्थायी रूप प्राप्त कर ले, इसलिए मैंने यह संशोधन पेश किया है। मैं सोचता हूं कि सदन इसके व्यावहारिक रूप को सोचेगा, तो हर एक मेम्बर महसूस करेगा कि चेयरमैन के चुनने के बाद में मेम्बर्स की भी जिम्मेदारी हो जाती है कुछ अर्से के लिए चेयरमैन को यह साबित करने का कि वह किस तरह से उसके काबिल है, यह सोचने का पूरा मौका दें, नहीं तो वह काम नहीं कर सकेगा। जिस दिन चेयरमैन चुना गया है और वह दो वोट से जीता है तो दो वोट के लिए वह उस दिन से भागदौड़ शुरू कर देगा। वन-थर्ड से दस्तखत कराने की स्थिति एक महीने के बाद हो सकती है। यह मेरा रीडिंग है; मैं यह फोरकास्ट करता हूँ। मैं समझता हूं कि इस तरह से जो हम चल रहे हैं वह व्यावहारिक रूप में नहीं चलने वाली है। इसका मैं आपको फोरकास्ट करता हूँ। आप नोट कर लें कि राजस्थान भर में पहले इलेक्शन के बाद इस एक्ट के मातहत एक महीने के अन्दर अन्दर सब बोर्डों के अन्दर नो-कॉन्फीडेन्स आ जायगा, जो चेयरमैन चुने जायेंगे उनके खिलाफ। मेरा यह फोरकास्ट है। आपको बचाना है तो बचा लें स्वायत्त शासन को। आप स्वायत्त शासन नहीं बल्कि लड़ने के लिए, बंट-बांटने के लिए उनको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इन शब्दों के साथ बड़े नम्र ढंग से व्यावहारिक रूप से सोचने के लिए सदन से अपील करूंगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जो अमेंडमेंट्स ये क्लॉज ६५ पर, उनमें से सिर्फ दो अमेंडमेंट्स ही मूव कर रहा हूं; एक सब-क्लॉज (२) में और दूसरा सब-क्लॉज (४) में है। दूसरे अमेंडमेंट मैं मूव नहीं कर रहा हूं। (६), (१०) व (११) पर जो अमेण्डमेंट्स हैं वे माननीय मंत्री महोदय ने मूव कर दिये हैं।

सब-क्लॉज (२) पर मेरा जो अमेंडमेंट है वह यह है :—

'At the end add the words 'if the prescribed authority does not call the meeting, or fails to call the meeting within the specified time the members requisitioning the meeting may convene the meeting for consideration of the motion."

और सब-क्लॉज (४) पर मरा अमेंडमेंट है :—

"The phrase says at the end—'the meeting shall stand adjourned to the date and the time to be appointed and notified to the members'. This may be replaced by the words 'the

Page No.64

(श्री पी० के० चौधरी)

members shall choose from amongst themselves to preside over the meeting."

उपाध्यक्ष महोदय, सब-क्लॉज (२) में यह रखा गया है कि नो-कॉन्फीडेन्स के नोटिस मिलने के बाद प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी मीटिंग कॉल करेगी। It shall call the meeting, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी इसको एवॉइड किया जाता है। और मान लीजिये कि मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा है; that if the prescribed authority does not call the meeting what is to be done? यह कुछ प्रोविजन नहीं रखा है। और ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी जो प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी है वह किसी म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन से मिल जाती है If there is a collusion between the prescribed authority and the Chairman.

यह ऑथोरिटी और चेयरमैन जिस ग्रुप का हो, उस ग्रुप के साथ मेल जोल बैठ जाता है तो प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी इस नो-कॉन्फीडेन्स की मीटिंग को बुलाने में देरी कर सकते हैं। तो इसलिये मेरा यह अमेंडमेंट है वह सिर्फ इस बात का है, क्योंकि इस बिल में यह तो उनके लिए मेन्डेटरी है सब-क्लॉज (२) में कि he shall call the meeting, उसमें मेन्डेटरी होने के बाद नहीं बुलाता है तो मैंने रखा है कि जिन्होंने मीटिंग को रिक्वीज़िशन किया है वह मीटिंग को बुला सकते हैं :

"The prescribed authority who shall thereupon convene a meeting for the consideration of the motion to be held at office of the board on the date and at the time appointed by him, which shall not be earlier than 20 or later than 30 days from the date of the receipt of the notice."

मेन्डेटरी है उसके लिए बुलाना, इन केस यदि नहीं बुलाता है तो उसको सेफगार्ड करने के लिए मैंने अमेंडमेंट रखा है और मैं मानता हूँ कि मंत्री महोदय उसको मन्जूर करेंगे। यह कोई ऐसा सीरियस एमेंडमेंट नहीं है कि जिससे कुछ हो सकता है। सिर्फ प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी और म्युनिसिपल चेयरमैन का कॉल्युजन नहीं हो, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकें या इनाइत करके चेयरमैन के खिलाफ नो-कॉन्फीडेन्स को डिले नहीं कर सकें, इसलिए एक सेफगार्ड की तरह इस अमेंडमेंट को मैंने मूव किया है।

जहां तक सब-क्लॉज (४) है तो सब-क्लॉज (४) में यह लिखा गया है :

"The prescribed authority or his nominee shall preside at such meeting and if within half an hour from the time appointed for the meeting such authority or nominee is not present or if such authority is unable for any unavoidable cause to preside at the meeting, the meeting, shall stand adjourned to the date and the time to be appointed and notified to the members."

इसका मतलब यह होता है कि किसी कारण से जब प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी मीटिंग में न जाय आधा घन्टे के अन्दर अन्दर, या नोमीनी नहीं पहुँचे तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाती है, मीटिंग चल नहीं पाती है और जो अमेंडमेंट है वह यह है कि एडजॉर्न करने

(श्री पी० के० चौधरी)

का प्रोविज़न रखा गया है 'that the meeting shall adjourned.' वह मैं पूरा फ्रेज डिलिट करना चाहता हूं और सब्स्टीट्यूट करना चाहता हूं 'They shall choose from amongst themselves to preside over the meeting.'

उपाध्यक्ष महोदय, आज दिन कई म्युनिसिपेलिटीज़ में ऐसा हम देखते हैं कि जो अक्सर पावर में रहता है ग्रुप वह हर ऑथोरिटीज़ से मिल जाता है या हर ऑथोरिटीज़ को मना लेता है या किसी तरह से समझा देता है; जिससे ऐसे मौके पर हर ऑथोरिटीज़ की तरफ से यानी इस क्लॉज़ के मुताबिक जो प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी रहेगी उनकी तरफ से डिले होने की संभावना है। और जो ग्रुप पावर में है, म्युनिसिपेलिटी में they always will have the goodwill of the prescribed authorities. ऐसे मौके पर आपने यहां प्रोवाइड कर दिया है कि आधा घन्टे के अन्दर अन्दर वह काम चालू हो जाना चाहिए और प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी ही के नहीं जाने की वजह से मीटिंग पोस्टपोन हो जाती है।

प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी कलेक्टर रहेगा या कोई एस० डी० ओ० रहेगा और उनकी ओर से आने जाने में डिले होना स्वाभाविक है। मैं नहीं मान सकता हूँ कि बिल्कुल पन्क्चुअल मीटिंग शुरू हो जायेगी। आधा घन्टा लेट हो गये और किसी तरह से भी मीटिंग चलेगी तो भी रिट पैदा हो सकता है और कोर्ट में जा सकते हैं कि मीटिंग की कार्यवाही नल एन्ड वॉयड हो सकती है। दूसरी बात यह है कि रिट नहीं हुई, लेकिन किसी भी प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी ने जान बूझ कर ५ मिनिट की भी देरी की, ३० मिनिट के बजाय ३५ मिनिट में पहुंचे तो मीटिंग पोस्टपोन हो सकती है। तो उसके लिये यह क्लॉज रखा गया है कि अगर प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी नहीं पहुंचती है तो वह मीटिंग पोस्टपोन कर दी जाय। यह मेन्डेटरी प्रोविज़न है, 'The prescribed authority shall convene a meeting and shall preside over it......'

इस प्रकार से यह मेन्डेटरी प्रोविज़न होते हुए भी प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी नहीं जाता है, तो वैसी हालत में मेम्बर्स को अधिकार हो कि अपने में से किसी को चेयरमैन चुन कर सभा का कार्य चलावें। मैं यह नहीं कहता कि नो-कॉन्फीडेन्स की मीटिंग में मेम्बर लोग अपना चेयरमैन चुनकर मीटिंग चलावें। मेरा तो सिर्फ यह निवेदन है कि अगर प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी मौजूद नहीं हो, एस० डी० ओ० हो या कलेक्टर या उसके नीचे का ऑफिसर भी कोई उपस्थित न हो, यह बात समझ में आने वाली नहीं है। जब कि एक तारीख मुकर्रर की जाती है और नोटिस इस प्रकार का शाया होता है कि फलां तारीख, फलां समय पर मीटिंग होगी फिर भी आध घण्टे के अन्दर मौजूद नहीं होता है, तो वैसी हालत में मीटिंग ऑटोमेटिकली एडजॉर्न हो जायगी। ऐसी सूरत में होगा क्या कि जो नो-कॉन्फीडेन्स का मोशन मूव करने वाले हैं वह हो नहीं सकेगा, वह कितने दिन तक मूव नहीं हो सकेगा यह प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी पर निर्भर करता है। ऐसा हो सकता है कि प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी किसी सवारी पर आने वाली हो और वह सवारी बीच में खराब हो जाय या टूट जाय, गाडी लेट हो जाय तो यह कारण माने जा सकते हैं। मैं मानता हूं कि यह प्रोविज़न्स 'wilfully absence from the meeting' होगा।

Page No.66

(श्री पी० के० चौधरी)

आधे घण्टे से पांच मिनट भी ज्यादा हो गये तो वैसी हालत में कोई मीटिंग कर दी गई तो वह गैरकानूनी मानी जायेगी। यदि उस समय की मीटिंग चालू मान ली गई, तो कोर्ट में जाने की पोसीबिलिटी हो सकती है। इसलिए यह जो आधे घन्टे का प्रोविजन रखा है वह प्रोविज़न नहीं रखना चाहिये। आगे पीछे जाकर के भी मीटिंग चला सकते हैं। स्ट्रिक्ट टाइम का जो प्रोविजन रखा है तो वैसी हालत में मेम्बर्स को भी अधिकार होना चाहिये कि प्रेसक्राइब्ड आॅथोरिटी अगर समय पर नहीं पहुँचती है, तो वैसी हालत में जो मेम्बर्स मौजूद हों वे अपने में से किसी को चेयरमैन चुन सकते हैं और मीटिंग का जो एजेन्डा है उसको ले सकते हैं। म्युनिसिपल सदस्यों को भी जनता ने चुना है, अतः वे अपने में से किसी को चेयरमैन चुन लेते हैं, तो कोई एतराज नहीं होना चाहिये। अपन भी तो चीफ मिनिस्टर और स्पीकर का चुनाव करते हैं, जनता को पूछते नहीं, अपन लोग ही चुन लेते हैं, उसी प्रकार प्रेस्क्राइब्ड आॅथोरिटी समय पर नहीं पहुंचती है तो यह उसकी गलती है। मुझे तो यह चीज खटकती है, इस प्रकार का प्रोविज़न रखना ही नहीं चाहिये।

दूसरी बात नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने रखी। उनका अमेंडमेंट बड़ा इम्पोर्टेन्ट अमेंडमेंट है। उन्होंने अपने संशोधन में यह बात कही कि अगर किसी म्युनिसिपल चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ जाये, अगर वह उस समय पास नहीं होता है, तो साल भर तक उसके खिलाफ नो-कॉन्फीडेन्स का मोशन नहीं आना चाहिये। मेरा जहां तक ख्याल है म्युनिसिपेलिटीज़ का तीन साल के लिये चुनाव होता है। अगर नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार हो जाता है तो उसके मुताबिक अगर एक साल नो-कॉन्फीडेन्स मोशन फेल हो जाता है, तो उसके खिलाफ फिर नो-कॉन्फीडेन्स आ नहीं सकता। और इस तरह से चेयरमैन साहब आराम से बैठेंगे। यह मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने अपने एक्सपीरियेन्स के आधार पर संशोधन रखा है। जहां म्युनिसिपेलिटी के ३२ सदस्यों में जिनके फेवर में २७ थे आज वहां १६ ही रह गये हैं, इसलिये वे चाहते हैं कि इस प्रकार का प्रोविज़न रहे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : For the information of the Hon. member, I am no more a Chairman. My resignation has been accepted. I am not going there......

श्री पी० के० चौधरी : When it has been accepted ?

श्री ज्वालाप्रसाद : It has been accepted on 18th.

श्री पी० के० चौधरी : On 18th of December ?

श्री ज्वालाप्रसाद : Yes.

(अट्टहास)

श्री पी० के० चौधरी : यह जो क्लॉज जिसमें नो-कॉन्फीडेन्स का मोशन लाने का प्रोविजन रखा गया है, उसमें इनका संशोधन लाने से यह जरूर होगा कि म्युनिसिपेलिटी में स्टेबिलिटी जरूर आयगी। एक दफा जो चेयरमैन बन गया फिर तीन साल तक वह बना ही रहेगा। हर साल की शुरूआत में एक नो-कॉन्फीडेन्स का मोशन इन्जीनियर करेंगे

(श्री पी० के० चौधरी)

और फिर साल भर के लिये निश्चिन्त हो जायेंगे। वहां भी कानून बनते हैं.........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वहां कानून नहीं बनते बल्कि वहां वक्त पास होता है।

श्री पी० के० चौधरी : मैं इस साल भर की स्टेबिलिटी का विरोध करता हूं। मै समझता हूं कि स्टेबिलिटी आप अगर रखेंगे तो म्युनिसिपेलिटी का वर्क एफीशियेन्टली नहीं चल सकेगा। डेमोक्रेसी की स्प्रिट का जो रिफलेक्शन आप चाहते हैं वह नहीं मिलेगा, इसलिये मैं इस सुझाव का विरोध करता हूँ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Sir, I also move an amendment to sub-clause (4) of Clause 65.

I suggest that for the words 'the meeting shall stand adjourned to the date and the time to be appointed and notified to the members' the following be substituted—

'The members present shall elect a Chairman for the meeting'.

(2) The second amendment of mine is that in sub-clause (7) the following sentence be added at the end—

'No member shall be allowed to speak for more than 20 minutes'.

Sir, so far as the first amendment is concerned, it is practically the same as the one tabled by the Hon'ble member coming from Phulera. I believe, it is absolutely necessary that we should have a provision like that. We got to make a provision for a certain situation that the Hon'ble member-in-charge of the bill may not think. He may have to say here after that—'I could not imagine of the situation like this'. Atleast we are able to imagine from our best experience and our fertile brains. I, therefore; suggest that it is also possible that the prescribed authority or his nominee may for any reason best known to him fail to convene the meeting. You might take any action and you may give him a warning. It is, therefore; the Hon'ble member from Phulera has tabled the amendment that if the prescribed authority fails to convene the meeting then the members who have requisitioned the meeting should have a right to conclude. On receipt of the requisition the Chairman if refuses to convene a meeting then the members of the Board, who have sent their requisition, have a right to convene a meeeting, if they have already given a sanction on the failure of the prescribed authority' to convene the meeting, it is absolutely.........

श्री उपाध्यक्ष : What is the wrong ?

श्री अर्जुनदास : The Hon'ble member does not hear.

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : We have got four ears to hear.

श्री अर्जुनदास : So on the failure of the Chairman to convene a

(श्री अर्जुनदास)

meeting, the members seeking no confidence should have an opportunity to convene a meeting if and when the prescribed authority forgets to convene a meeting. They are concerned with the removal of the Chairman and not by the action taken by the Government. Similarly if the prescribed authority's proposal fails to come up or the person indicated by him fails to come up what is going to happen ? He might say that he is himself ill. He might say that he has got a trunk call from the Hon'ble Minister, Local Self from Jaipur. We are not concerned with any practice. We are concerned with the concrete results that are achieved......

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : Please continue.

श्री अर्जुनदास : If the prescribed authority mischievously fails to turn up why should the Members suffer ? Why should the Chairman, who has no confidence of the House, continue? I think, we can add it otherwise you will have to say hereafter that such situation occure in Rajasthan. Let us use our own brain and lay down a provision that if the prescribed authority fails to turn within half an hour the members should have an opportunity to elect from amongst them their Chairman and preside over the meeting.

Another suggestion of mine is that no member shall be allowed to speak for more than 20 minutes. The discussion may continue for 24 hours if we don't lay down any regulation and it is possible that one man may continue talking and another man may not get an opportunity to speak. It will have to be regulated either through the Bill or through the Rules. But the provision will have to be made for regulating the speeches. With regard to the amendment moved by the Hon. member coming from Nasirabad when I got his first amendment I thaught the other amendment would also be as intelligent as the first one. As such I did not care to read them. But after he read it over on the floor of this House I was really surpirsed to see what the amendment is. The first amendment is that add the following words between the words 'Chairman and 'shall' occuring in lines 2 and 3 'or vice Chairman, President or Vice President'. It is acceptable. But so far as the other amendment is concerned and the arguments advanced by the Hon'ble member coming from Nasirabad they are all fabulous. Once elected is elected. Give him a patta, give him two years and let him collect money by illegal means.

श्री ज्वालाप्रसाद : The Hon'ble member has got a patta for five years.

श्री अर्जुनदास : I have got the patta for my whole life. But I am not a man to chage my constituency every now and then. I will stick to

(श्री अर्जुनदास)

my own constituency. This is my record. We should not take it personal. Let us not feel excited.

श्री उपाध्यक्ष : Please stick to the question.

श्री अर्जुनदास : So then, Sir, the Hon'ble member suggested that once elected, he should have a full patta for one year. From where he got the figure? I cannot understand, Why give him a patta for one year? At least he should have given us reasoning why he should fix up the figure of one year. If at all he presses to give him a patta for one year, let us also imagine. If practically all the members find him to be a dishonest person what are they going to do? Why conceive of one situation? You have got to consider all the aspects. This is no question of one fact. This is the question of usage. A period of limitation or the period of his life cannot be fixed by this use 'for a period of one year'. You have got to say them that so long as he has the majority he will hold it. As soon as he feels that he is not worthy of continuing in the office of the Chairman, I cannot conceive of any Chairman who should really be allowed to continue when he has no confidence of the House. Especially I will give my own arguments. If, he, the Chairman, places the budget before the House, when the members are against him they don't pass the budget even. They don't pass any resolution moved by the Hon'ble member, Chairman. That becomes the deadlock. So he has got to consider all these things and come to a conclusion. I feel that the amendments tabled by the Hon. member from Nasirabad are not democratic at all and we stand for Democracy today. As such I will request the House and the Hon'ble members, through you, Sir, that they may reject the last amendment of the Hon'ble member from Nasirabad.

श्री उपाध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अर्जुनदास : Other members will also like to speak......

श्री दयाकृष्ण विजय : अध्यक्ष महोदय, मैं........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक अमेन्डमेंट रह गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑलरेडी मूव्ड है, नम्बर २५ का है ।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : कौन सी लिस्ट है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फर्स्ट लिस्ट में है । वह अमेंडमेंट इस प्रकार है । "In sub clause (2) substitute 'at the office for 'at office' यह

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

लेंग्वेज के करेक्शन् के बारे में है, और कोई खास बात नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): माननीय उपाध्यक्ष, जो संशोधन श्री अर्जन-दासजी ने और श्री पी० फ़े० चौधरी ने प्रस्तुत किये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

जो संशोधन फुलेरा से आने वाले मान-नीय सदस्य ने रखा है, कि ६५ के सब-क्लॉज़ सेकन्ड में कि बाद में ये शब्द जोड़े जाय: 'if the prescribed authority does not convene the meeting the members requisitioning the meeting may convene the meeting......

इसमें सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि जैसा कि माननीय सदस्य ने अपना संशो-धन प्रस्ताव रखते समय अपनी भावना व्यक्त करते हुये बताया है कि प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी मेजोरिटी से प्रभावित रहती है और और जिस तारीख को अविश्वास का प्रस्ताव लिया जाने वाला हो, किसी कारणवश वे न पधारें और एडजोर्नमेंट करना पड़े, इस प्रकार उनके नहीं आने से अविश्वास के प्रस्ताव के पास होने में बहुत देर की जा सकती है, इसके लिये यह होना आवश्यक है कि जिन सदस्यों ने अवि-श्वास का प्रस्ताव रखा है उनको अधिकार दिया जाय कि २।३ सदस्य आ जाते हैं तो उनको अधिकार होना चाहिये कि उनमें से किसी एक सदस्य को उस समय का प्रेसिडेन्ट चुन लें और अविश्वास का प्रस्ताव पास करलें; यह एक वैधानिक तरीके की बात है कि यदि किसी कारण से प्रेस्क्राइब्ड ऑथो-रिटी नहीं आती है तो २।३ में से ही जो अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव प्रकट करते हैं वे खुद आपने उस समय के अध्यक्ष अपने बीच में से निर्वाचित करके उसकी अध्यक्षता में इस तरह का प्रस्ताव पास करें यह न्यायोचित बात है। यदि पास नहीं करते हैं तो एक निरंकुश व्यक्ति के हाथ में हम सत्ता सौंप देते हैं जो स्वेच्छा से जैसा उसके दिल में आयेगा वैसा करेगा। इस तरह २।३ सदस्यों की इच्छा दब जाती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हम प्रजातन्त्र में जीवित रहना चाहते हैं, प्रजातान्त्रिक अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं तो उन प्रजातान्त्रिक अधिकारों का इस प्रकार के नियम बना कर हनन नहीं कर दें कि जिनके आधार पर स्वायत्त शासन संस्थाओं को चलाना चाहते हैं, उस स्वायत्त शासन पर कोई ऐसी बात न आ जाय कि उसका हनन कर दें। प्रजातान्त्रिक रूप से इन स्वायत्त शासन संस्थाओं को चलाने के लिये प्रजातान्त्रिक नियम हों और प्रजातान्त्रिक अधिकार ही हमारे हाथ में हों।

यह प्रस्ताव, इस प्रकार जो एक प्रेस्क्रा-इब्ड ऑथोरिटी के हाथ में हमारे हाथ बांध रहे हैं उन हाथों को लूज़ करता है। जो मेम्बर्स आये हुये हैं, २।३ सदस्य उस मीटिंग में वहां आये हुए हैं, वे ही अपने में मे अध्यक्ष चुन कर अविश्वास का प्रस्ताव पास करें। यही प्रजातान्त्रिक तरीका है।

दूसरा संशोधन श्री अर्जनदास ने क्लॉज़ ६५ के सब-क्लॉज़ (४) में रखा है कि यह क्लॉज़ हटा दिया जाना चाहिये, मूल इस प्रकार है :

"The prescribed authority or his nominee shall preside at such meeting and if within half an hour from the time appointed for the meeting such

(श्री दयाकृष्ण विजय)

authority or nominee is not present or if such authority is unable for any unavaoidable cause to preside at the meeting, the meeting shall stand abjo-urned to the date and the time to be appointed and notified to the members'

इसमें लिखा है कि :

'the meeting shall stand adjourned' यह हटा दिया जाना चाहिये, मैं इसके पक्ष में हूँ। इस तरह एडजोर्न करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिये।

यह दूसरा है : 'A written notice of intention to make a motion of non-confidence in the Chairman, signed by such number of members of the board as constitute not less than one third of the whole number of such members, together with a copy of the motion which it is propo-sed to make, shall be sent to the prescribed authority, who shall there-upon convene a meeting for the con-sideration of the motion to be held at office of the Board on the date and at the time appointed by him which shall not be earlier than 20 or later than 30 days from the date of there receipt of the notice.'

तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि, चेयरमैन किसी प्रकार से सब-क्लॉज २ के अन्तर्गत मीटिंग बुलाता है तो अधिकार दिया है, यह जो रखा है : "The meeting shall stand adjourned" इसको हटा देना चाहिये : "The member persent shall elect fpr their Chairman for such meeting" यह रखना चाहिये। दोनों में एक ही भावना है। चेयरमैन के पास अविश्वास का प्रस्ताव रखते हैं, वह अगर मीटिंग नहीं बुलाता है तो मेम्बर्स अपने में से किसी को अध्यक्ष इलेक्ट कर लें, दोनों की समान भावना है, दोनों प्रजातान्त्रिक भावना पर आधारित हैं। यदि इस प्रकार के संशोधन नहीं माने गये तो एक तरफ तो चेयरमैन के हाथ में और प्रेस्काइब्ड ऑथोरिटी के हाथ में ऐसी सत्ता दे देते हैं कि वह चाहे जब एक, दो, या तीन मीटिंगों को कोई छोटे से छोटे बहाने पर एडजॉर्न कर देगें। इसके कई उदाहरण पेश किये जा सकते हैं। इस प्रकार के कई म्युनिसिपेलिटियों के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। कोटा म्युनिसिपैलिटी का उदाहरण हमारे सामने है, कोई प्रस्ताव रखा गया, मेजो-रिटी पार्टी उसके उसूलों और सिद्धान्तों से सहमत होते हुए भी उसको पास नहीं कराना चाहती तो चेयरमैन कोई बहाना बना कर कि जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है या उन्हें कहीं बाहर जाना है, मीटिंग एडजोर्न की जाती है। और कई मर्तबा ऐसा होता है कि सभी सदस्य नगरपालिका के भवन में पहुँच जाते हैं और सेक्रेटरी आकर कहता है कि चेयरमैन साहब को जुकाम हो गया है इस लिये मीटिंग एडजोर्न की जाती है। इस प्रकार की निरंकुश सत्ताओं को चेयरमैन या प्रेस्काइब्ड ऑथेरिटी के हाथ में देंगे तो हमारे सामने ऐसे नजारे आ सकते हैं, जो प्रजातन्त्र का हनन करने वाले हों। हमें चाहिये कि हम इस संशोधन को पास करें। मैं इन दोनों संशोधन का समर्थन करता हूं।

३ म० प०

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनू) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I heard with rapt attention the speech delivered on the amendment tabled by the Hon'ble Member coming from Nasirabad.

Page No.72

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

While I agree with him for the procedure to be adopted with regard to the no-confidence motion against the Chairman and Vice-Chairman, I fail to understand the logic which he has advanced for retaining the Chairman for one year. It is difficult to understand the reasons that he has advanced. The Chairman is there not by the quality, or the competence or by his qualifications but by the majority of votes. This is the main and fundamental principal of democracy. The day he looses his majority he ceases to remain Chairman of that Board In proviso which the Hon'ble member has tried to be inserted by way of amendment it is desired that for one full year no notice of motion of no-confidence can be tabled against the Chairman or the President of the Municipal Board. The Hon'ble member says that the stability is necessary in the smooth running and functioning of the Municipal Board and while pleading his case he has advanced an argument that the Municipal Chairman must get a security for one year. He says that as the members of this House have the security for five years. But Hon'ble member fails to conceive that the Municioal members, they have a security for three years according to the present rule and for three years unless they are covered by other disqualifications-they continue to be the members of the Municipal Board. But the condition requisite for the Chairman is different and the day he looses the majority, he ceases to be a Chairman.

So I don't agree with him when he says that it is necessary for the smooth running of the Board or for the Chairman to show his competence or his capability to function as Chairman. It is the majority of votes which places him on the chair of the Chairman of the Municipal Board. The other amendment which has been tabled by the Hon'ble member coming from Ajmer is very significant, and that is that if the prescribed authority does not reach there, does not go to preside over the meeting, the meeting should not be adjourned. The members of the Municipal Board should be given an opportunity to choose their own Chairman. This has happened in various cases in my knowledge when on a particular day which was fixed by the Collector or the S.D.O. had received secret instructions not to go and preside and so election of the Chairman was postponed. That ought not to be. If the prescribed authority does not reach there a rider clause should be provided and the members should be entitled to choose their own Chairman, and that will be the only apprehension by which the prescribed authority will try his utmost to reach the place and the majority will have its way. I, therefore, think it very necessary that some rider clause should be inserted in case the prescribed authority does not reach there. There may be cases of re-petitions where the prescribed authority may not reach to preside

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

over the meetings of no-confidence so many times. I think this clause is very necessary and this should be passed while I oppose the amending proviso to Clause 65.

श्री ज्वालाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं........

श्री भैरोंसिंह : आप किस क्लॉज़ पर बोल रहे हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद : दूसरे सदस्यों ने जो एमेन्डमेंट मूव किये हैं उन पर ।

श्री भैरोंसिंह : इस तरह की अपने यहां परम्परा रही है कि....

श्री उपाध्यक्ष : He is opposing the amendment moved by some other members.

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि रूल्स में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है । उस क्लॉज़ में जितने क्लॉजेज़ हों उनके समर्थन में अपनी विचार धारा एक ही बार में रख सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने अपना अमेन्डमेंट मूव किया था । उसके बाद दूसरे सदस्यों ने जो अमेन्डमेंट मूव किये उनके समर्थन में बोलने का या उसके विरोध में बोलने का अधिकार है ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य जिस समय अपना अमेन्डमेंट मूव करते हैं उसी समय दूसरों के अमेन्डमेंट्स पर भी फोर या अगेन्स्ट में बोल सकते हैं, irrespective of the amendment moved lateron इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फोर एन्ड अगेन्स्ट में बार बार नहीं बोल सकते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद : माननीय उपाध्यक्ष, इस बारे में मेरा यह निवेदन है कि कुल लिस्ट सक्युलेट हुई है । उस वक्त अमेन्डमेंट के पक्ष में बोलना है तब तक सारी बातों का विचार बनाना उचित नहीं होता और अगर यह चीज़ की जावे तो हर एक क्लॉज को अलग अलग लिया जावे और उस पर हमको बोलने का राइट रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी व्यवस्था मैं यह देता हूं कि दूसरे ही मूवर थे । दूसरा संशोधन.......

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Before the Chairman gives its decision, I would like to say that because of the procedure adopted by the House all the amendments be moved first and then the Minister will reply. The Hon'ble Member if he does not get an opportunity than of course he can speak but when he has moved his amendment, after the Minister has spoken, he can speak. He can rather oppose or support the amendment which has been tabled after he has tabled his own motion. He cannot speak thrice. We should have taken every clause and this procedure suggested by the Hon'ble member would be better.

श्री भैरोंसिंह : अगर इस तरह से चलता रहेगा तो इसका कोई अन्त नहीं होगा । कई माननीय सदस्य कहेंगे कि वे भी बोलेंगे और अगर सभी इसी तरह से करेंगे तो इसका कोई एन्ड नहीं होगा । जो प्रीवि-

(श्री भैरोंसिंह)

यस कन्वेन्शन्स पड़े हैं उसके आधार पर जो पहले व्यवस्था थी उसको रखा जाये।

श्री ज्वालाप्रसाद : मुझे इस बारे में व्यवस्था तो दी जा चुकी है और मुझे बोलना तो नहीं चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : I have considered the issue. I entertained the objection. The Hon'ble member may avail the chance at the time of the withdrawal of his amendment.

श्री ज्वालाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं......

श्री भैरोंसिंह : किस सम्बन्ध में बोलना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने जो व्यवस्था दी है उस पर ही बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह : हम नहीं सुनेंगे। We are not prepared to hear......

श्री उपाध्यक्ष : You are not allowed.

श्री भैरोंसिंह : हम उन्हीं परम्पराओं का अनुकरण करेंगे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I have got a submission that suppose the Hon'ble member wants to throw certain light on the amendment Subsequent to his amendment, the member inchareg of the Bill.......

श्री उपाध्यक्ष : Is the placing some proposition before him ?

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, I was simply......

श्री उपाध्यक्ष : No. We will proceed on.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय श्री बद्रीप्रसादजी, स्वायत्त शासन मंत्री ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। यह जो अविश्वास के प्रस्ताव का क्लॉज है यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में कुछ इस प्रकार की शंकाएं प्रस्तुत की गई हैं कि जो प्रेसाइडिंग ऑथोरिटी होगी, वह समय पर नहीं पहुंचेगी और इस प्रकार की अड़चनें करेगी या हो सकेंगी जिससे कि जो प्रस्ताव किया जावे उसके बारे में लोग अपनी राय प्रस्तुत न कर सकें। मैं नहीं समझ सका कि उस व्यक्ति को किस तरह का इन्ट्रेस्ट होगा। सर्विस को इससे क्या इन्ट्रेस्ट है ? कोई भी व्यक्ति चेयरमैन हो या न हो। इसके लिये सरकार ने सबसे बड़ी व्यवस्था यह रखी है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को इसके लिये निश्चित करेगी। उस अविश्वास के प्रस्ताव को वह प्रेसाइड करेगा और जो प्रेसाइडिंग ऑथोरिटी होगी वह एस. डी. ओ. या कलेक्टर की हैसियत के नियुक्त होंगे। फिर यह समझ में नहीं आया कि शंका क्यों उत्पन्न हुई ? उसके बाद जो डिलीट करने वाली बात है वह बहुत महत्वपूर्ण है और हम पिछली धाराओं में पास कर चुके है कि जो मेजोरिटी से प्रस्ताव पास होगा उस पर दुबारा विचार नहीं किया जावेगा। इसलिए मंत्री महोदय ने संशोधन रखा है, उसको पूर्णतया स्वीकार करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के सम्बन्ध

(श्रीभैरोंसिंह)

में कुछ संशोधन विचारार्थ सदन में प्रस्तुत हुए हैं। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जिनको सौभाग्य से अजमेर की नगरपालिका के चेयरमैन होने का अवसर मिला है।

श्री ज्वालाप्रसाद : आप सिर्फ एम. एल. ए. की हैसियत से रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सौभाग्य बताया है, दुर्भाग्य नहीं बताया है। उन्होंने भी एक प्रस्ताव संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उनके प्रस्ताव की मंशा है वे यह व्यवस्था चाहते हैं कि किसी चेयरमैन में यदि अविश्वास लाने की स्थिति पैदा हो तो वह अविश्वास बहुमत के आधार के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाय, ऐसी व्यवस्था न हो। अब चूंकि वह जो मूल धारा थी जिसमें बाई मेजोरिटी नो-कॉन्फिडेन्स मोशन केरिड-आउट हुआ है, ऐसा समझा जायगा कि वह सदन ने पास कर लिया। उसके बाद यह प्रश्न तो अपने आप समाप्त हो गया कि अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा २।३ मतों की आवश्यकता थी या बहुमत के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव आ जाय तो वह पास हो गया, ऐसा माना जायगा। जब यह धारा पास हो गई, बहुमत के आधार पर अविश्वास का प्रस्ताव पास हो यह व्यवस्था सदन ने स्वीकार कर ली, माननीय सदस्य ने एक संशोधन पेश करके इस क्लॉज़ का जो अर्थ था उसको समाप्त करने की चेष्टा की है। उन्होंने संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की है कि अविश्वास के प्रस्ताव में कम से कम उस चेयरमैन को एक वर्ष की छूट रहनी चाहिये कि उस एक वर्ष के समय में वह उस पद से हटाया नहीं जा सकता।

श्री ज्वालाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह चार्ज लगाया जा रहा है, वह गलत है। पिछले सैशन में भी अमेन्डमेन्ड मूव हो चुका था। परसों और कल ही उन्होंने इस पर सोचा होगा। यह सोचना कि जो चीज़ पास हो गई है उसको नलीफाइड करने के लिये मैं अमेन्डमेन्ट लाया हूं वह गलत है।

श्री भैरोंसिंह : मुश्किल तो यह है कि जो बातें में कहूंगा उनका बार बार स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। इसलिए उचित तो यही होगा कि उनको चाहिये कि जिस समय वे अपना राइट ऑफ रिप्लाई एक्सर्साइज़ करें उस समय उन सारी चीजों की वे सफाई पेश कर दें।

श्री ज्वालाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं..,

श्री उपाध्यक्ष : Order order Unless the Hon'ble member yields the floor...

श्री ज्वालाप्रसाद : He should be asked to yield.

श्री उपाध्यक्ष : No, he should not.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने यह संशोधन पेश कर दिया और बहुत लम्बा-चौड़ा और यह कहना चाहिये कि एक भावनात्मक भाषण एक प्रकार का दिया जिसमें आज से सौ वर्ष पूर्व की कथाओं का उल्लेख हो गया और पहलेवाली बातों को सामने लाकर सदन का ध्यान इस ओर लाने की चेष्टा की कि पहले भी ऐसी व्यवस्था थी। उन व्यवस्थाओं में आवश्यक परिवर्तन,

(श्री भैरोंसिंह)

परिवर्द्धन करना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि...

श्री उपाध्यक्ष : सीधी ही बात कर लें ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : समय बदल गया है और हम बहुत आगे आ चुके हैं। जिस जमाने से आप प्रेरणा लेना चाहते है या सदन के माननीय सदस्यों से उस जमाने से प्रेरणा लेने के लिए अपेक्षा करते हैं उस जमाने को हमने अच्छा नहीं समझा, उसकी आलोचना की है और उसको समाप्त करने की चेष्टा की है, उसको समाप्त किया है। उससे प्रेरणा ले नहीं सकते और प्रेरणा लेते हैं तो उन कामों से प्रेरणा न लें जिन चीजों ने डेमोक्रेसी को खत्म किया, जिन चीजों से डेमोक्रेसी हमारे देश में आ नहीं सकती थी, जिन चीजों से देश पर दूसरों ने आधिपत्य किया उन चीजों का तो, उनसे प्रेरणा लेना तो दूर रहा, नष्ट किया जा सकता है । लेकिन पिछली कार्यवाही को उसी रूप में स्वीकार करें या थोड़ा संशोधन रख कर स्वीकार करें, ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो आर्ग्युमेन्ट्स दिये, उन्होंने जिस प्रकार भाषण दिया उस पर मुझे तरस आता है । लेकिन उनका ऐसा अनुभव था । अजमेर नगरपालिका के अध्यक्ष के नाते अविश्वास का प्रस्ताव तो नहीं आया, लेकिन उनको अनुभव कई प्रकार के हुए हैं । मैं समझता हूं मुझे इसमें कोई जलन नहीं है कि नगरपालिका का अनुभव उन्हें है, लेकिन अजमेर के और भी लोग हैं जिनको अजमेर नगरपालिका के कटु अनुभव हैं और उन अनुभवों के आधार के ऊपर मैं ऐसा समझता हूं कि यदि जिस चेयरमैन के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव है उसके लिए यह व्यवस्था कर दें या जिसके पक्ष में बहुमत नहीं है उसके लिए यह व्यवस्था करदें कि वह एक वर्ष के लिए कन्टीन्यु करेगा तो फिर इसके लिए एक आदमी को यह कहा जाय कि एक वर्ष उसको और रहना है, रहा नहीं है वह बहुमत से, लेकिन वह और इसके द्वारा रह सकता है, वह अविश्वास एक वर्ष बाद आयगा, इस एक वर्ष की अवधि के अन्दर म्युनिसिपेलिटी की जितनी प्रोपर्टी है, धन है या और बाकी चीजें जो उसको एन्ट्रस्ट कर रखी हैं जितना मन चाहे उतना उनका दुरुपयोग करे । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की मंशा एक सर्टिफिकेट लिख देने की है कि चेयरमैन में अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाय, लेकिन उसको टिकाये रखने के लिए राज्य सरकार की इस कानून की यह क्लॉज है संशोधन होने के बाद, इसके द्वारा सरकार ने उसको एक प्रमाणपत्र दे दिया है, एक ताम्र-पत्र दे दिया है, जितनी ज्यादती वह करना चाहे करें, जितनी प्रोपर्टी का दुरुपयोग वह करना चाहे करें । जब हम उनका भाषण सुनते हैं, उसके भाषण में जब प्रजातन्त्र की दुहाई की बातें आती हैं, मेम्बरों का नहीं प्रश्न आता हैं, मैं उन बातों की ओर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहूंगा जो उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में कही थी, लेकिन एक बात कहूंगा । जब हम मोटे सिद्धान्तों पर चलते हैं, चेयरमैन वही हो सकता है जो मेजोरिटी मत के आधार पर निर्भर हो, दूसरी तरफ चेयरमैन वह नहीं रह सकता जिसमें मेजोरिटी का विश्वास न हो। यही व्यवस्था हम पास कर चुके हैं फिर यह बात किस प्रकार समझ में आ सकती है कि वह एक

(श्री भैरोंसिंह)

वर्ष की अवधि तक चेयरमैन बना रहे। अवि-श्वास उसमें दो दिन बाद चाहे तो आ सकता था। वे जानते होंगे कि पिछले समय में राज-स्थान में कितनी नगरपालिकाओं की आम-दनी की जमीन को बेचने का अधिकार मिला था और उन्होंने उन अधिकारों का किस प्रकार से दुरुपयोग किया था। राजस्थान में ऐसी नगरपालिकाएं भी हैं कि एक लाख की आमदनी की जमीन उस नगरपालिका को दी थी कि कायदे से उस जमीन का वितरण करें और इस जमीन से जितनी आमदनी कायदे से हो सकती थी, उतनी प्राप्त करें। लेकिन उस एक लाख की जमीन को दस हजार में डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। इस संशोधन के द्वारा माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि एक लाख की प्रोपर्टी दस हजार में डिस्पोज ऑफ की जाय और उस चेयरमैन को बारह महीने के लिए एक सर्टिफिकेट दे दिया जाय ताकि वह जो आयन्दा प्रोपर्टी हो उसको भी मर्जी के अनुसार डिस्पोज ऑफ कर सके। मुझे तो यह दलील समझ में नहीं आयी कि वे किस तरह से चाहते हैं कि अजमेर के कानून के अन्दर भी, उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था थी कि अगर चेयरमैन इस्तीफा देना चाहें तो उसे सरकार मंजूर नहीं करे बल्कि मेम्बरों द्वारा वह मंजूर हो। उस समय म्युनिसिपेलिटी के भूतपूर्व चेयरमैन ने इस क्लॉज़ का फायदा उठाया। फायदा इस तरह से उठाया कि उन्होंने अपना रेज़िग्नेशन मेम्बरों के सामने रख दिया और फिर मेम्बर्स को परसुएड किया गया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I never persuaded the members that they should not......

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रश्न से अलग हटकर अपना वक्तव्य दें।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : It isvery clear.

श्री भैरोंसिंह : मैं अभी तक यह समझ नहीं पाया कि आप इस प्रसंग से सम्बन्धित हैं क्या? मेरा मतलब तो अजमेर म्युनिसिपल कमेटी के भूतपूर्व चेयरमैन से है......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इफेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं वह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका संकेत बिल्कुल स्पष्ट है। आप इस प्रश्न के अतिरिक्त अपना वक्तव्य रक्खें।

श्री पी० के० चौधरी : What is the......

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी तक यह समझ नहीं पाया कि भूतपूर्व अजमेर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन का जब मैं जिक्र करता हूँ तो माननीय सदस्य उसमें कैसे आते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो बिल्कुल साफ है और आपको और सबको यह विश्वास है कि आप किस सम्बन्ध में बोल रहे हैं।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : हम तो नहीं जान रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं अर्ज वह कर रहा था कि यह जो रेज़िग्नेशन के लिए क्लॉज़ है, उसके अनुसार इस्तीफा राज्य सर-

(श्री भैरोंसिंह)

कार मंजूर नहीं कर सकती; मेम्बर्स के द्वारा वह स्वीकृत होना चाहिये इसके कई मतलब निकलते हैं । एक तरफ जो चेयरमैन काम करना नहीं चाहता और जबरदस्ती जिससे काम लिया जाता है तो वह एक तरह से बेगार है, तो इस तरह की बेगार का गलत अर्थ निकल सकता है । एक वर्ष के लिये किसी व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आये इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि वह चाहे जिस प्रकार की ज्यादती करता रहे । म्युनिसिपल कमेटी के मेम्बर उसको साल भर तक तो हटा नहीं सकते, तो इस प्रकार की क्लॉज़ रखकर हम उसको इस प्रकार के कार्य करने का एक प्रकार से सर्टिफिकेट देते हैं ।

३. २३. म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

दूसरा प्रस्ताव जो अविश्वास प्रस्ताव के संबन्ध में है उसका सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है । इसमें जो अविश्वास के प्रस्ताव की व्यवस्था की गई है वह प्रस्ताव किस तरह से आयेगा, उसकी कार्यवाही को कौन चलायेगा, किसकी अध्यक्षता में मीटिंग होगी; यह सब प्रेसक्राइब किया गया । या तो प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी या उनका कोई नोमीनी ये दोनों पहुंचते हैं तो इनकी अध्यक्षता में इस प्रकार की मीटिंग शुरू होगी । ये दोनों अगर नहीं पहुँचते हैं और आध घण्टे में नहीं पहुंचते हैं, तो उसका तात्पर्य यह होगा कि वह मीटिंग पोस्टपोन हो जायगी और फिर किसी दूसरे दिन के लिये उसकी तारीख निश्चित करेंगी । इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही पहले की जा चुकी है, वह कार्यवाही दुबारा करनी पड़ेगी । सभापति महोदय, मैं फिर निवेदन करूंगा इससे नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य फिर नाराज़ होंगे । मैं यह निश्चित तौर से कह सकता हूं कि इस प्रकार की क्लॉज़ का दुरुपयोग हुआ है और वह दुरुपयोग उन्होंने नहीं किया है बल्कि इस प्रकार का दुरुपयोग कई म्युनिसिपेलिटियों में हुआ है.......

श्री हरिदेव जोशी : आपने किया है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : मैं तो म्युनिसिपल क्षेत्र का रहने वाला नहीं हूँ । लेकिन प्रश्न यह है कि अगर एक आदमी चेयरमैन है और चेयरमैन होने के नाते उसका इनफ्लुएन्स है । हम इस बात को भूल नहीं सकते कि नगरपालिकाओं के चुनाव भी दलबन्दी के के आधार पर और राजनैतिक दलबन्दी के आधार पर होते हैं । कहीं कांग्रेस पार्टी चुनाव में आती है तो कहीं जनसंघ, कहीं कम्युनिस्ट, कहीं सोशलिस्ट तो कहीं रामराज्य-परिषद् वाले । जहां तक मैं समझ पाया हूं विरोधी दल का सरकारी अधिकारियों पर असर हो, इसकी किसी प्रकार भी कल्पना नहीं की जा सकती और न करनी ही चाहिये । सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति अगर किसी नगरपालिका का चेयरमैन है उसके विरुद्ध यदि अविश्वास का प्रस्ताव आता है, तो इस प्रकार के नोटिस के इश्यू होने के बाद जो तारीख उस अविश्वास पर मतदान लेने की निश्चत की गई है और समय निश्चत किया गया है बैठक का तीन बजे का, समय भी दिया गया है । वैसी स्थिति में जब कि सब मेम्बर्स उपस्थित हैं उस हालत में सत्तारूढ़ दल से सम्बन्धित चेयरमैन है, वह प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी पर दबाव डाल कर उसको समय पर न पहुँचने के लिए बाध्य कर सकता है । और जब प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी समय

(श्री भैरोंसिंह)

पर नहीं पहुँचती है तो जो अविश्वास का प्रस्ताव आना चाहिये वह आ नहीं पाता। इस तरह से वह चेयरमैन बना रह जाता है और फिर उसको नेक्स्ट तारीख की इन्तजार करनी पड़ेगी और इस प्रकार से मैन्योरिंग हो सकता हैं। प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी कलेक्टर हो सकता है। आपने उसके लिये डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जज को नहीं, किसी जुडिशियल ऑफिसर को नहीं रखा। गवर्नमेंट मान लिजिये कि किसी तहसीलदार को अपॉइन्ट करती है। मैं, सभापति महोदय, यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि उस हालत में नगरपालिका का चेयरमैन जो सत्ता रूढ़ दल से सम्बन्धित व्यक्ति होगा तो वह इस तरह से मैन्योर कर सकता है जिसके कारण उसके खिलाफ आये हुए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने से रुक जाय 'उसके बाद वह मेम्बरों को डरा सकता है, धमका सकता है और उनको खरीद भी सकता है और प्रलोभन देकर भी काबू में कर सकता है। आज बच गये तो हमेशा के लिये बच गये। ऐसी हालत में मैंन्योरिंग का जो स्कोप है उसके कारण सर्विसेज को भी डिमोरेलाइज़ कर सकते हैं। उसमें इस प्रकार की व्य स्था हो सकती है कि एक तहसीलदार या एस० डी० ओ० इस कार्य के लिये ऑथोरिटी नियुक्त की जाती है, उसको दूसरी जगह से आना होता है। उसमें हो सकता है, गाड़ी लेट हो जाय या गाड़ी खराब हो जाय तो इस हालत में पोस्टपोन किया जाता है तो यह समझ में आ सकती है। अविश्वास के प्रस्ताव पर क्या होना चाहिये इस बारे में फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है कि प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी के स्थान पर यदि कोई और नोमीनी हो या उसे स्वयं आने में आध घन्टे से ज्यादा देर हो जाती है और वे उपस्थित नहीं होते हैं तो वैसी स्थिति में म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों को यह अधिकार होना चाहिये कि वे अपने में से किसी सदस्य को चेयरमैन की जगह काम करने के लिये चुन सकते हैं और उसकी अध्यक्षता में अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है। मैं मानता हूँ कि इस संशोधन को अस्वीकार कर लेना चाहिये इसमें प्रेक्टिकल डिफीकल्टी हो सकती है वह, यह कि अविश्वास का प्रस्ताव आता है वहां एक व्यक्ति के अस्तित्व का प्रश्न है, वह रहता है या नहीं यह उस मीटिंग में तय होने वाला हैं, वैसी स्थिति में सरकारी अधिकारी पहुँचता नहीं वैसी हालत में आपस में ही मेम्बरों में से चेयरमैन का चुनाव करना होता है वैसी स्थिति में यह सदन के माननीय सदस्यों का एप्रीहेन्शन हो सकता है कि आपस में अन प्लेजेन्ट अटमोस फियर क्रिएट हो जाय और जो काम होना चाहिये वह न हो। उसके लिये, सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि मेम्बर्स को करेक्टर पर सन्देह नहीं करना चाहिये, उनमें नैतिकता और जिम्मेदारी होती है इसीलिये तो जनता उनको म्युनिसिपेलिटी का काम सौंपती है। जहां हम उन पर इतना उत्तरदायित्व निभाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं वहां हमें उन पर कुछ विश्वास करना पड़ेगा और यह मानकर चलना पड़ेगा जैसा कि नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य कई बार जोर जोर से कहा करते हैं कि आखिर हमने चुना है, एक व्यक्ति को अधिकार दिया है वहां हमें उनके बारे में सन्देह नहीं करना चाहिये। वैसी सूरत में मेम्बर्स लोग अपने में से किसी सदस्य को चेयरमैन बना कर अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकते हैं। अगर हम उन्हें केवल एप्रीहेन्शन के आधार पर ही कार्यवाही नहीं करने देते हैं, उनको अधिकार नहीं देते हैं तो यह मेरे खयाल में उचित नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

होगा। इसलिये प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी और नोमीनी के सम्बन्ध में जो प्रोविज़न्स रखे हैं वह जो वर्ड्स रखे गये हैं उससे केवल यही मतलब निकलेगा कि उनका दुरुपयोग करना है और अपनी पार्टी को जीताना और जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है उससे उन लोगों को बचाये जाने की मन्शा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर उनको यह अनुभव नहीं है तो इस प्रकार का प्रोविज़न रखकर उनको अनुभव प्राप्त करना चाहिये, उन्हें मेम्बर्स को केवल इल्लीट्रेट और जाहिल नहीं समझना चाहिये। वे भी डेमोक्रेसी के बेसिक इन्स्टिट्यूशन के आधार स्तंभ हैं। उन लोगों के लिये केवल कल्पना के आधार पर ही कि अगर हम उनको अधिकार देते हैं तो वे आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, केवल इसी आधार पर उनको अधिकार नहीं देना मेरी समझ में उनके लिये अनुपयुक्त चीज होगी राजस्थान में जहां १४५ नगरपालिकाएँ हैं उन नगरपालिकाओं में एक चेयरमैन को बचाने के लिये अगर सरकारी अफसर इस प्रकार की कार्यवाही करता है, उसको बचाने के लिये, तो यह किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिये माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं, मंत्री महोदय और सदन दोनों से निवेदन करूंगा कि कानून बनाते समय इस प्रकार के शब्द नहीं रखने चाहिये, मेम्बरों की इन्टेग्रिटी को डाउट नहीं करना चाहिये और उस हद तक नहीं करना चाहिये कि आपस में निर्णय ही नहीं कर सकेंगे।

ऐसी स्थिति में जो संशोधन इस भावना का पेश किया गया है, फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य द्वारा, उसका मैं समर्थन करता हूँ और नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य के संशोधन का बार बार विरोध करता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय चेयरमैन महोदय, जो संशोधन नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसको सपोर्ट करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ और जो संशोधन माननीय फुलेरा से आने वाले सदस्य ने रखा है उसका भी सपोर्ट करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ, इस संशोधन के खिलाफ जो दलीलें दी गई वे ऐसी थीं कि जिनको अगर देखा और गहराई से सोचा जावे तो यही मालूम पड़ेगा कि हम यह चाहते हैं कि जिस चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव एक बार आ गया और वह पास नहीं होता है तो उसको हम दुबारा दूसरे रोज़ ही रख दें क्योंकि बाद में वह शायद मेम्बर्स को करप्ट कर देगा या किसी तरह वह म्युनिसिपल प्रोपर्टी का दुरुपयोग करेगा। मगर इसमें न प्रश्न यह आता है कि वह म्युनिसिपल मेम्बर को करप्ट करेगा, न यह प्रश्न आता है कि वह म्युनिसिपल प्रोपर्टी का मिसयूज़ करेगा पर प्रश्न यह है कि हम एक चेयरमैन को चुनते हैं और चुनने के बाद वह तीन साल तक रह सकता है तो हम उसको कुछ रेस्पोन्सिबिलिटी या भार देते हैं। मैं यह मानता हूँ कि इसमें कई पार्टियां आवेंगी। इनमें नो-कॉन्फीडेन्स का पर्पज यह है कि कभी मेजोरिटी या सत्तारूढ़ दल बिजिलेन्ट न रहा हो या पॉलिसी का ड्रॉ बैक हो तो उसको करेक्ट करने के लिये यह डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है उसका यह भी पर्पज़ है कि जो अगर सत्तारूढ़ दल माइनोरिटी में आ गया है तो

Page No.81

(श्री श्रीभानसिंह)

उसे रिमूव करके पॉवर को कैन्चर किया जावे। इन तीन बातों को हम एक जनरल सिद्धान्त मान लें। इन सिद्धान्तों पर नो-कॉन्फीडेन्स का फ्रीक्वेन्ट पॉवर किसी के पास अगर नहीं हो तो उस हालत में यह जनतन्त्र चल नहीं सकता, यह भी मैं मानता हूं। पर यह एक अलग बात है।

म्युनिसिपेलिटियों में बहुत सी जगह अगर देखें तो चेयरमैन नोमीनेटेड होते हैं, बहुत सी जगह इलेक्टेड होते हैं, बहुत सी जगह सर्विसेज के व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं, बहुत सी जगह म्युनिसिपेलिटीज का, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का और ऑर्गनाइजेशन का जो मॉडल है वह इंग्लैण्ड के जैसा है; कहीं मैनेजर प्लान है, कौंसिल प्लान है जो कि अमेरिकन मोडल कहलाता है और तीसरा मोडल जर्मनी का है और चौथा मोडल है फ्रांस का। तो इन चार जगहों को देखें तो इन सब जगहों में विलायत में मेयर्स को गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। बहुत सी जगह मेयर इलेक्ट होता है पर मेयर के पॉवर्स, उसके फंक्शन्स और ड्यूटीज और उसको सेफ गार्ड जो दिये हैं वे ऐसे दिये हैं कि कम से कम उसे जो पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से या द्वेषभाव की वजह से जो बात बनती है, उससे वह एब्व हो क्योंकि म्युनिसिपेलिटी का एक लेजिस्लेचर फंक्शन नहीं है। यह हमें यदि रखना पड़ेगा कि उसका एग्जीक्युटिव फंक्शन है, पॉलिसी ले डाउन करने का फंक्शन है और इनको चलाने की रेस्पोन्सिबिलिटी मेम्बरों की उतनी नहीं है जितनी चेयरमैन या मेयर की है। वह इस तरह की अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने में और सिविक रेस्पोन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने में और डे–टू–डे के वर्क को अंजाम देने में गलती कर सकता है, इससे कोई मेम्बर नाराज हो सकता है पर चेयरमैन को सभी तरफ देखना पड़ता है। एक तरफ आपने नो-कॉन्फीडेन्स का प्रोविजन रक्खा, उसको ठीक मान लेते हैं तो दूसरी तरफ हमें उस चेयरमैन को कुछ स्टेबिलिटी की गारन्टी भी देना होगी। तो हम इस नो-कॉन्फीडेन्स मोशन को एक इस तरह की फेबुलस चीज न बना दें कि वह अपने वर्क को अपनी रेस्पोन्सिबिलिटीज का अंजाम ठीक तरह से न दे सके और हर वक्त उसको यही डर बना रहे कि कब नो-कॉन्फीडेन्स का मोशन आ जाय और मैं यहां से चलता बनूं। इससे म्युनिसिपेलिटी का वर्क सफर करेगा। एक तलवार उसकी गरदन पर हर वक्त लटकती रहे। वर्क करने की सिक्योरिटी उसको मिलनी चाहिये, काम में स्टेबिलिटी आनी चाहिये और यह तभी आती है जब उस पर बराबर यह नो-कॉन्फीडेन्स वाली तलवार न लटकती रहे। नो-कॉन्फीडेन्स के राइट से मैं इन्कार नहीं कर रहा हूं। इसको बदस्तूर मेम्बर को दिया जाना चाहिये। यह विजिलेन्ट रखने के लिये डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी, है यह मैं मानता हूं। मगर साथ में इस राइट को मिसयूज भी मत करिये, यह भी कहूंगा।

आप उसे तभी टेबल करिये कि जब आपको यह सिक्योरिटी और श्योरटी हो जाय कि मेजोरिटी आपके साथ में है। अगर साथ में नहीं है तो आप चेयरमैन को रिमूव नहीं कर सकते। आपने तीन मीटिंगें बुलाईं और उनकी सब की शुरुआत ही अगर नो-कॉन्फीडेन्स से होती है, तो यह एक ट्रायल ऑफ स्ट्रेन्थ का अखाड़ा बन जावेगा और ट्रायल ऑफ स्ट्रेन्थ ही एक बोर्ड को चलाने का बेसिस बन जावेगा और इन हालतों में कोई

(श्री श्रीमानसिंह)

भी चेयरमैन सुरक्षित और निश्चित रह कर काम नहीं कर सकेगा। परिणाम यह होगा कि म्युनिसिपेलिटी का काम सफर करेगा और जनता को कष्ट होगा। अगर यह डेमोक्लेज-रिंग हैंग करेगी तो चेयरमैन का क्या होगा? जो आॅग्युमेन्ट्स दिये हैं माननीय सदस्यों ने तो वह मेम्बरों को करप्ट करेगा और उसमें म्युनिसिपल प्रोपर्टी को भी मिसयूज करेगा। यह उस स्थिति में नहीं होगा, इसको सम्भावना उस स्थिति में नहीं रहेगी जब एक बार नो-कॉन्फीडेन्स के आने के बाद और उसके फेल हो जाने के बाद दूसरे ही दिन न रिपीट किया जाकर साल भर बाद कम से कम रक्खा जावे। अगर एक बार के नो-कॉन्फीडेन्स मोशन के फेल हो जाने के बाद वह साल भर चेयरमैन रहता है, तो उसे मेम्बर को करप्ट करने की जरूरत नहीं होगी, न म्युनिसिपेलिटी के पैसे को मिसयूज करेगा। बल्कि वह यह करेगा कि जिन कारणों से उसके खिलाफ नो-कॉन्फीडेन्स का मोशन लाया गया था, उन कारणों को वह दूर करने की कोशिश करेगा। वह सोचेगा कि मेरे वर्क को इम्प्रूव करने की जरूरत है। जो नो-कॉन्फीडेन्स के वक्त ड्रा बैक्स नोट कराये गये उनको दूर करने की तरफ वह ध्यान देगा, उसको उनको दूर करने का मौका मिलेगा। अपनी एफीशियेन्सी, अपना एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज को एग्ज़ीक्यूट करने में जो ड्रा बैक्स रह गये हैं और जो चार्जेज लगाये हैं उनको ठीक करने का, उनको इम्प्रूव करने का उसको मौका मिलेगा। मगर वह नो-कॉन्फीडेन्स में सब चार्जेज भी लगाये गये, सभी तरह से क्रिटिसाइज भी किया गया, पब्लिक चार्जेज भी लगाये गये, पर फिर भी अगर वह पास नहीं हो सका और रोज रोज आपको उसे टेबुल करने दिया जाता है तो फिर ऐसी हालत में चेयरमैन क्या वर्क करेगा, क्या पॉलिसी को एग्ज़ीक्यूट करेगा? तो करप्ट करने के चान्सेज किसको ज्यादा होंगे, उसको जो साल भर तक अपनी खामियों को इम्प्रूव करने का मौका पावेगा या वह जिसके लिये रोज़ नो-कॉन्फीडेन्स मोशन टेबल किया किया जाता रहेगा? उसको ज्यादा चान्सेज हैं जिसको सिक्योरिटी है या उसे जो अनसिक्योर्ड है? मेरी यह मान्यता है कि जिस ऑफिस की सिक्योरिटी नहीं है जिसकी इनसिक्योरिटी रहती है जिसको फेबुलसली नोकॉन्फीडेन्स मोशन फेस करना होता है, तो वह करेप्ट करेगा और अगर म्युनिसिपल फाइनेन्स का उसे दुरुपयोग करना होगा तो वह करेगा। हम यह देखें कि जब हम ट्रायल ऑफ स्ट्रेन्थ का एक चार्ज देते हैं तो यह जब उसको करना चाहिये जब कि उसकी मैजोरिटी हो और अगर मैजोरिटी नोकॉन्फीडेन्स नहीं कर सकती तो उसको नोकॉन्फीडेन्स टेबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर वह दूसरी पार्टी पॉवर कैप्चर करना चाहती है और वह पॉवर भी कैप्चर करना चाहती है डेमोक्रेटिक मैथड्स से तो पॉवर कैप्चर करने का वही टाइम है कि जब उसके साथ में मैजोरिटी हो और मैजोरिटी के लिए एक दफा हो सकता है कि पार्टी बेसिस पर जैसा माननीय सदस्य ने कहा पार्टी बेसिस पर कोई मैजोरिटी नहीं होती हैं। पार्टी बेसिस पर सोलिड वर्किंग होता है और जो पार्टी के सदस्य टूटते हैं वह एक दो ही टूट सकते हैं। लेकिन जहां पार्टी के सदस्य होते हैं वह किसी एक आइडियोलोजी को लेकर आते हैं वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर नहीं बल्कि पार्टी की पॉलिसी को लेकर जिसको जनता के हित में समझते हैं उसको इम्पलीमेंट करने के

(श्री श्रीमानसिंह)

लिए बोर्ड में जाते है जब वह इसके लिए जाते हैं तो पार्टी जो इन् पॉवर है या चेयरमैन जिस पार्टी का है तो दूसरी पार्टी जो पॉवर में नहीं है उसको पॉवर कैप्चर करने का राइट तभी है और पॉवर कैप्चर करने का राइट तभी उस पार्टी को एक्सरसाइज करना चाहिये जब कि उनकी श्योर मैजोरिटी हो। यह तो जनतंत्र का सिद्धांत समझ में आता है। उसकी सिक्योरिटी, गारन्टी करके यह सिद्धांत लागू नहीं कर सकते क्योंकि वह आदमी मेम्बर्स को करप्ट करेगा। जो आर्ग्युमेन्ट्स माननीय सदस्य ने दिये इस अमेन्डमेंट के अगेन्स्ट कि चेयरमैन के अगेन्स्ट डेली नो कॉन्फीडेन्स का मोशन आना चाहिए। एक ओर आप तीन साल में चाहते हैं कि वह कुछ रिजल्ट्स बताये, जितनी पॉवर्स आप उसको एन्टरस्ट करते हैं उनसे वह कुछ काम करे और कुछ काम करके बतायें। आज क्या हो रहा है, क्योंकि आपने टाइम लिमिट नहीं रखी, तो मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं कोई नाम तो नहीं लेना चाहता हूं कि बोर्ड के बनने के बाद सबसे पहले झगड़े नो कॉन्फीडेन्स के लिए शुरु होते हैं और उनको इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है कि चेयरमैन नो कॉन्फीडेन्स मोशन की वजह से वर्क ही नही कर पाता है या फिर वह चेयरमैन इस डर से कि कहीं नो कॉन्फीडेन्स न आ जाये बोर्ड की मीटिंग ही बुलाना छोड़ देता है। इसका नतीजा यह होता है कि जो भी कार्य होते है वह सारे एग्जीक्युटिव ऑफिसर्स ही करते हैं। इसलिये मीटिंग नहीं बुलाते हैं कि नो कॉन्फीडेन्स टेबल न हो जाये और जो अगर मीटिंग बुलाते हैं, तो नो कॉन्फीडेन्स टेबल हो जाता है फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगा फिर नैक्सट वन-थर्ड सदस्य खड़े होंगे और फिर रख देंगे। याने आप डेली ट्रायल रखते हैं। बोर्ड को कुछ काम करने को होता है, दोनों पार्टीज अपने व्यूज को रखें। अगर आपने बोर्ड को इस तरह नो कॉन्फीडेन्स का अखाड़ा कर दिया तो यह म्युनिसिपल बोर्ड चलने का नहीं हैं और जब नहीं चलेगा तो चाहे यह जनतंत्र का सिद्धांत हो तो कम से कम हम ऐसा जनतंत्र तो नहीं लाना चाहते हैं। आखिर हम कोई चीज कॉपी करना चाहते हैं, तो जो आइडिया होता है उसको राजस्थान की सोइल के साथ अकोमोडेट तो करें। चाहे कही से हम ले आयें उसको हम एडजस्ट नहीं कर सके, तो हमको उस आइडिया को नहीं लाना चाहिए। अगर इस तरह के तरीके से कॉपी करेंगे तो इससे हमारे इन्स्टिट्युशन्स नहीं चलेंगे। हमारे यहां जनतंत्र पनप रहा है और अभी तक हम अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाये हैं। अगर डेली नो कॉन्फीडेन्स मोशन लाये जावेंगे तो कैसे हमारे यहां बोर्ड का काम होगा। हमारे यहां दूसरी तरह के इन्स्टिट्युशन्स हैं, हमारा जो मेन्टल मेक-अप है वह दूसरे तरीके का है। हमें देश में ऐसी चीज लाना चाहिए जिसमें हमारी ओरीजिनेलिटी हो। अगर कोई चीज हमारी सोइल को सूट करती है, तो मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि जनतंत्र हमारा सक्सेस होगा। आपके जो सिविक इन्सिट्युशन्स हैं यह सक्सीड करेंगे। अगर नहीं तो जिस तरह से आप कॉपी कहते गये, मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, मगर जिस तरह से कॉपी किये गये और लागू किये गये, तो आगे जनतंत्र राज्य नहीं होगा कोई दूसरा ही राज्य होगा। अब मैं जो माननीय सदस्य ने यह रखा कि नो कॉन्फीडेन्स के टाइम में अगर प्रेस्काइब्ड ऑथोरिटी या उनका नोमीनी नहीं आता है, तो मैं यह मानकर चलता हूं कि

(श्री श्रीमानसिंह)

कुछ ऐसी ओपीनियन ऑसीलेट करती है। एक टाइम जब चेयरमैन स्तीफा देता है तो वह मजिस्ट्रेट से अरेस्ट कराये। कहीं तो हम चेयरमैन को मिसट्रस्ट कर देते हैं और ऑफिसर्स को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। फिर कभी ऐसा होता है कि हम ऑफिसर्स को मिसट्रस्ट करते हैं और चेयरमैन को ट्रस्ट करते हैं। याने इलेक्टेड बॉडी या रिप्रेज़ेन्टेटिव ऑफ पीपुल्स को हम ट्रस्ट करते हैं और जो सिविल सर्विसेज़ हैं उनको हम मिसट्रस्ट करते हैं। तो यह देखते हुए भी हो सकता है कि कोई कारण, जो माननीय सदस्य ने दिये हैं वह भी हो सकते हैं और भी कारण इसके अलावा हो सकते हैं, मैं डिटेलवाइज़ तो कारण नहीं बताना चाहता, लेकिन ऐसा है कि अगर किसी टाइम पर प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी नहीं पहुंचती, मैं यह नहीं कह सकता कि चेयरमैन इतनी बड़ी ऑथोरिटी है एक म्युनिसिपल बोर्ड की कि वह कलेक्टर को इन्फ्लुएन्स कर दे या जो परमानेन्ट सिविल सर्विसेज़ के आदमी हैं उनको इन्फ्लुएन्स कर दे या उनका कोई नोमीनी हो उसको इन्फ्लुएन्स कर दे, लेकिन और कारण हो सकते हैं, अन्फोर्सीन सर्कमस्टान्सेज़ हो सकते हैं कि जिसके कारण आपकी प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी या नोमीनी नहीं पहुंचे तो फिर हमें प्रोविज़न रखना पड़ेगा कि वह किसी भी हालत में मीटिंग कन्वीन हो। क्योंकि वह मीटिंग होता है नो-कॉन्फीडेन्स के लिए और जब मीटिंग होती है तो नो-कॉन्फीडेन्स की मीटिंग होनी चाहिए अन्डर ऑल सर्कमस्टान्सेज़ और जब मीटिंग होनी चाहिये तो उसके अन्दर अगर कोई आदमी नहीं पहुंचता है तो उनको हाफ एन ऑवर का टाइम दे दिया। अगर उसके अन्दर नहीं पहुंचते हैं, तो यह मीटिंग होनी ही चाहिए ताकि यह कहने का मौका नहीं मिले कि मीटिंग नहीं हुई इसलिए नो-कॉन्फीडेन्स पास नहीं हुआ। दोनों पार्टीज़ जो हैं they must try their strength और उसका जो नतीजा होता हैं उसको भुगतना चाहिए। एक दिक्कत जो मुझे मालूम होती है, वह यह है कि उस टाइम पर चेयरमैन का सवाल आयेगा कि वह किस पद में रहे। और नो कॉन्फीडेन्स के टाइम पर चेयरमैन किस को चुना जाये। हो सकता है जो मौजूदा चेयरमैन हो वह एक से ज्यादा वोटिंग रखता हो या एक दो ज्यादा एक्सीड करता हो। ऐसी हालत में सभी यह कन्वाइन करते हैं कि हम तो इन्हीं के ग्रुप के आदमी को चेयर में बैठाते हैं या फिर किसी तरह ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मैजोरिटी के आदमी को चेयर पर बैठने से मैजोरिटी माइनोरिटी में आ जाये, तो ऐसी हालत में चेयर पर किस को बैठायेंगे। यह प्रेक्टिकल डिफिकल्टी आ सकती है। तो जहां पर यह दिक्कत आये और यह होगा कि चेयर में उसको बैठायेंगे जिसको कि वोट दिलाना नहीं चाहेंगे। तो यह प्रोविज़न रखा जायेगा कि जो चेयरमैन होगा उसको वोटिंग राइट होगा और एग्जिस्टिंग वोट का राइट नहीं देंगे क्योंकि चेयरमैन बैठाया ही इसलिए जायेगा कि उसका राइट करटेल किया जावे जिस आदमी को देखेंगे कि इसका बहुमत कम हो सकता है तो वह प्रेक्टिकल डिफिकल्टी जरूर आती है। लेकिन यह जो संशोधन है यह बड़ा वेग है, इसलिए मैं इसका समर्थन करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, यह नगरपालिका विधेयक के क्लॉज ५३ में दो संशोधन पेश हुए हैं। एक तो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

किया है और दूसरा नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने ......

डॉ॰ बहादुरसिंह : मिनिस्टर सहाब का भी है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उनका भी हो है। लेकिन इस समय इन दो के संबंध में ही अपने विचार प्रकट कर रहा हूं ......

श्री सोहनलाल भटनागर : क्यों उनका अमेन्डमेन्ट ठीक नहीं है क्या ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ठीक तो है, लेकिन इन्हीं दो के बारे में अपने विचार रख रहा हूँ। इन इन दो में से एक अमेन्डमेन्ट फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका तो पूरी हद तक समर्थन करता हूं, लेकिन नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उसका मैं आधे हद तक समर्थन करता हूँ। उसका कारण यह है कि जैसा पहले फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उसमें तो स्पष्ट है कि यदि किसी अधिकारी को सरकार नियुक्त करती है और वह समय पर नहीं पहुंचता और उस दिन निश्चित कर दिया कि अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा तो इसके लिए मेरा मत है कि उस दिन वह अविश्वास का प्रस्ताव रख ही देते हैं, उसका चाहे जो परिणाम हो और जब अधिकारी स्वयं अनुपस्थित है, तो उस दशा में जितने भो सदस्य वहां रहते हैं, वह अपने तरीके से प्रस्ताव को ला सकते हैं और उसके लिए अपने में से किसी को भी सभापति नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन जो नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह १२ महीने की अवधि दी है, मैं समझता हूं कि यदि वे ६ महीने की अवधि कर दें, तो मेरे लिए वह स्वीकार्य होगा और वह इस विधेयक तथा हमारी इस प्रकार की संस्थाओं के जो नियम हैं उनके सर्वथा अनुकुल भी होगा।

इसी विधेयक में आगे चलकर यह जो ग्यारहवीं उप-खण्ड है उसमें यह है कि अगर इस प्रकार का मोशन उस बार पारित नहीं होता है, तो ६ महीने तक उनको दूसरा मौका नहीं मिले, और ६ महीने के बाद ही इस प्रकार का दूसरा अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय, तो इसका मतलब यह है कि ६ महीने की अवधि तो उसके बाद ही मिलती है। इसके अन्दर भी इस प्रकार का प्रावधान हो कि एक बार यदि कोई अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है और उस समय वह गिर जाता है तो ६ महीने की अवधि तक दूसरा प्रस्ताव नहीं लाया जाय। मैं समझता हूं, इसमें यह इसलिए रखा गया है, जैसा कि कितने ही माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान में बतलाया कि, आम तौर पर यह होता है कि किसी भी एक चेयरमैन को किसी दल विशेष का होने की वजह से या और कोई व्यक्तिगत कारण से, आम तौर से दूसरे सदस्य नहीं चाहते कि वह अपना काम ठीक तरह से कर सके। इसलिए इसको एक प्रकार का अविश्वास का प्रस्ताव ही लेते हैं, तो ऐसी दशा में जब कि ६ महीने का इतना मौका बाद में दिया जा सकता है तो पहली बार भी वह एक तरह का ट्रायल ऑफ स्ट्रेंग्थ तो है ही जब कि पहले पहल चेयरमैन चुना जाता है, तो उस दिन कुछ उसके पक्ष में और कुछ दूसरे के पक्ष में दोनों ओर हो जाते हैं, उस दशा में वह ऐसा ही मौका है कि

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

नो कॉन्फीडेन्स का ही दिन समझ लिया जाय जैसे कि उसी दिन एक अविश्वास का प्रस्ताव सा आ रहा हो और उसमें एक हारता है और एक जीतता है और एक के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्त व पारित नहीं होता है तो फिर ६ महीने का समय दिया जाता है। इसलिए पहिले से ही इस नियम को क्यों नहीं चालू करें ?....

श्री सभापति (श्री ज्वालाप्रसाद व मंत्री महोदय के बात-चीत करने पर): ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज़।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जब कोई अध्यक्ष चुना जाता है तो ६ महीने तक काम करने का अवसर उसको दिया जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं और मुझे इस बात का अनुभव है कि आजकल जनतन्त्र में दल के आधार पर संस्थाओं का काम चल रहा है, लेकिन उसकी भावना तो यह रहे कि एक दल को कुछ दिन मौका दिया जाय। लेकिन आम तौर पर, शायद हमारा जनतन्त्र नया है, कोशिश यह की जाती है कि पहिले ही दिन से दूसरे विरोधी दल का अध्यक्ष बना है, चेयरमैन बना है, तो प्रयत्न यह करता है कि दूसरा दल जल्दी से जल्दी उसको अपदस्थ करे। और इस दुविधा में उसको न तो पूरा अवसर ही मिलता है कि अपना कुछ काम दिखला सके। तो मैं यह समझता हूं कि यह भी आवश्यक है कि महीने-पन्द्रह दिन के बाद दूसरे विरोधियों को इतना मौका न दिया जाय कि उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लायें; साथ ही साथ इतना लंबा समय भी न दें कि जो आगे चलकर हमारी जो भावना है उसके विपरित पड़े। इसलिए दोनों का सामन्जस्य करने के लिए मैं उचित समझता हूं, यदि माननीय सदस्य संशोधनकर्त्ता को यह सुझाव मन्जूर हो...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मन्जूर है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कि १२ महीने के स्थान पर ६ महीने कर लें तो यह प्रस्ताव सर्वथा समीचीन सिद्ध हो सकता है।

श्री रामचन्द्र (डग) : सभापति महोदय, म्युनिसिपल बिल की क्लॉज़ ६५, जिस पर बहुत देर से वाद-विवाद हो रहा है, एक बड़ा ही विचारणीय विषय है। वैसे आज की सभा की बैठक में आरम्भ में ६५ से पहले वाली धाराओं में अधिक समय न देकर जल्दी, जल्दी विचार कर लिया गया। कारण इसका यह है कि उन धाराओं में विशेष ऐसी बातें भी नहीं हैं जिनका इस म्युनिसिपल बोर्ड तथा म्युनिसिपल कौन्सिल के संगटन और कार्य के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ रहा हो। लेकिन क्लॉज़ ६५ में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और इस धारा में म्युनिसिपल कमेटी के मुख्य प्रबन्धक चेयरमैन के अपदस्थ करने के विषय के विचार करने के लिये कहा गया है इसलिये ऐसे गम्भीर विषय पर हम बहुत छान-बीन करके अपने विचार प्रकट करें तो बहुत हद तक ठीक है।

इसमें माननीय सदस्यों ने अपने कई प्रकार के विचार प्रकट किये हैं और व अपने अपने अनुभव पर निर्भर हैं। और जिनको म्युनिसिपल बोर्ड का ज्यादा अनुभव है उन्होंने ज्याद बातें कहीं क्योंकि उनका समय समय पर ऐसे अनुभवों का आभास होता रहा है। मैं तो यह चाहूंगा कि इस डेमोक्रेसी के युग में हम ऐसा नियम बनालें कि १२ महीने तक

Page No.87

(श्री रामचन्द्र)

किसी म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को अपदस्थ करने के लिए कोई विचार न किया जाय तो इस प्रकार की छूट दे देना वैसे तो डेमोक्रेसी के नियम के विरुद्ध हैं, लेकिन ऐसा मान करके कि हमको अपने म्युनिसिपल बोर्ड और म्युनिसिपल कौन्सिल्स का काम चलाना है, और वह भी एक स्थायी रूप से. तो अगर हम इस प्रकार का संशोधन इसमें रख लें कि एक बार नो- कॉन्फीडेन्स प्रस्ताव आने के बाद यदि वह नो कॉन्फीडेन्स प्रस्ताव असफल रहे तो उसी चेयरमैन के विरुद्ध कम से कम एक साल भर के लिए फिर दुबारा नो-कॉन्फीडेन्स का प्रस्ताव न रखा जाय, तो यह बहुत ही उचित होगा। क्योंकि इस छूट के समय में वह अपने कार्य में संलग्न रहने की व्यवस्था करेगा और साथ ही साथ उसके जो विरोधी हैं उनको मालूम हो जायगा कि १२ महीने तक अपने प्रबन्धक के साथ कुछ नहीं कर सकते तो वे शान्ति के साथ बैठ जायेंगे और बहुत मुमकिन है कि इस काल में उनका आपस में समझौता हो जाय और समझौता होने पर म्युनिसिपल बोर्ड का काम सुचारु रूप से चलने लगे। इसलिए महज अपने म्युनिसिपल बोर्ड का काम सुचारु रूप से चलाने के वास्ते यदि उसमें यह संशोधन रख दिया जाय कि १२ महीने तक म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को अपदस्थ करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाय, तो बहुत सुन्दर होगा। इससे यह होगा कि म्युनिसिपल बोर्ड का कार्य सुचारु रूप से चलेगा और आगे चलकर सदस्यों की आपस में सद्भावना बढ़ेगी। इसलिए नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय चेयरमैन, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसके विरोध में मैं बोल रहा हूं। सभापति महोदय, यहां मैंने अभी अभी सुना कि दो प्रकार की विचार धाराएं यहां पर चल रही हैं। कुछ सदस्यों का यह ख्याल है कि यदि चेयरमैन को किसी प्रकार की सिक्योरिटी होगी और उसका स्थायित्व होगा तो वह उचित ढंग से काम करेगा और यदि ऐसा नहीं होगा तो वह उचित ढंग से काम नहीं कर पायेगा इसलिए १२ महीनों का टाइम रहने देना चाहिये।

सभापति महोदय, जहाँ तक मैं सोचता हूं यहां पर उचित ढंग से काम करने या न करने का प्रश्न नहीं है, लेकिन यह एक सिद्धान्त का प्रश्न है और यदि हम सिद्धान्त पर जाते हैं और यदि हम जनतंत्र के सिद्धान्त को पूर्णतः मानते हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि चाहे चेयरमैन उचित ढंग से काम करें, चाहे काम कर सके या न कर सके और चाहे मेम्बर्स उसको रोज तंग करें, लेकिन यदि मेजोरिटी उसके विपक्ष में है तो १२ महीनों तक उसको चेयरमैन रहने का कोई अधिकार नहीं है। सभापति महोदय, जैसा कि अभी अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जहां स्थायित्व होता है वहां भ्रष्ट कार्यवाही नहीं होती। मैं इस सिद्धान्त को नहीं मानता। सभापति महोदय, जहां पर चेयरमैन को थोड़ा डर रहेगा कि मेम्बर्स कभी भी मेरे खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं, तो इससे हर वक्त वह अपने साथियों का, वार्ड का, सिटी का और मेम्बर्स की भावनाओं का पूर्णतया ध्यान रखेगा और जहां चेयरमैन के दिमाग में यह चीज आयेगी कि १२ महिनों तक तो मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो

(श्री गिरधारीलाल)

सकती और मेम्बर्स केवल मेम्बर्स ही हैं, जो कुछ मैं कहूँगा वह होगा और एक तरह से मैं डिक्टेटर हूँ तो, सभापति महोदय, इससे नाजायज कार्यवाही हो सकती है। अभी अभी मेरे माननीय मित्र कह रहे थे कि जनतंत्र में हमारे यहां हम इतने आगे नहीं बढ़े है जिससे कि शासन में स्थायित्व रहस के हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते है। यह बात दूसरी ओर भी लागू होती है आपका चेयरमैन भी मेम्बर है वह भी उचित ढंग से काम नहीं कर पाता, उसके दिमाग में भी पार्टी पोलिटिक्स है, ग्रुप का ख्याल है और भ्रष्ट कार्यवाही भी कभी कभी कर लेता है इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि जब जब कोई चेयरमैन अपने रास्ते से डिगे उस समय स्थानीय म्युनिसिपल मेम्बर्स का यह कर्त्तव्य हो जाता है और राइट हो जाता है कि उस चेयरमैन के खिलाफ वे अविश्वास का प्रस्ताव रखें। अभी अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि न तो मेजोरिटी होती है और न कोई और बात होती हैं, मेम्बर्स चेयरमैन को रोज तंग किया करते हैं क्योंकि वह दूसरी पार्टी का होता है या अन्य किसी कारण से तंग करते हैं। सभापति महोदय, यह पहले कौन तय करेगा कि जो अविश्वास का प्रस्ताव रखने वाले मेम्बर्स हैं, उनकी मेजोरिटी है या नहीं? यह बात पहले तय नहीं होती है। म्युनिसिपेलिटी क्या और अन्य जगह क्या, हमारे यहां भी अविश्वास का प्रस्ताव रखा जाता है और वह गिर भी जाता है फिर भी हमारा फर्ज हो जाता है क्योंकि जनतंत्र का सिद्धान्त है कि जो जिम्मेदार आदमी हैं उनके प्रति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के ग्रुप को विश्वास नहीं हो तो वे अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते हैं। यदि यहां भी आप इस तरह की बात करें कि जो बन गया है और जिस के हाथ में सत्ता आ गई है वह चार या पांच साल तक रह सकता है, क्योंकि इसमें स्थायित्व रहता है और उसमें अविश्वास करना उचित नहीं होता है, इसलिए उचित है कि अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लावें। लेकिन, सभापति महोदय, यह जरूर है कि हम राजस्थान रियासत का शासन संभालते हैं और वे काम करते हैं एक सिटी का, लेकिन बात एक ही है, बिल्कुल एक ही बात है; वे भी जनतंत्र के प्रतिनिधि हैं और उनका भी फर्ज और कर्त्तव्य है। उनकी और हमारी एक ही बात है इसलिये मैं सोचता हूं कि जो इस तरह की बात करते हैं कि स्थायित्व रहना चाहिये और शासन में स्थायित्व से अच्छा काम हो सकता है वे इस तरह की बात करते हैं जैसे कोई कहे कि आज की वर्तमान व्यवस्था से राजाओं की व्यवस्था ठीक थी क्योंकि वहां स्थायित्व था और यहा नहीं है। लेकिन जनतंत्र में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, यदि किसी मेम्बर या मेम्बर्स के ग्रुप को चेयरमैन में विश्वास नहीं है तो १२ महीनों तक या एक साल या कम या ज्यादा टाइम में उसको रहने का एक मिनिट के लिये भी अधिकार नहीं है।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि ६ महीनों का समय रखा जावे, लेकिन वह तो एक ही बात है, प्रश्न टाइम का नहीं है, सिद्धान्त का है। यदि एक चेयरमैन के साथ मेजोरिटी नहीं है तो क्या कारण है कि वह ६ महीनों तक या १२ महीनों तक चेयरमैन रहे। इसलिये, सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मंत्रीजी से और सदन से निवेदन करूंगा कि छोटी मोटी बातों को न लेकर केवल जनतंत्र के सिद्धान्त में विश्वास रखेंगे, तो मैं समझता हूं इस तरह का प्रस्ताव जो कि

(श्री गिरधारीलाल)

नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है वह उचित नहीं है और जनतंत्र के सिद्धान्त के खिलाफ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री): सभापति महोदय, इस धारा पर यहां काफी वाद-विवाद हुआ और वह दिलचस्प भी रहा। प्रश्न है पहला तो यह कि अविश्वास का प्रस्ताव आने के लिये मियाद रखी जाय या नहीं। एक चेयरमैन का यदि चुनाव हुआ है तो उसको कितने दिन तक काम करने का मौका दिया जाय और उस बीच में कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आवे और दूसरा सवाल यह है कि यदि एक बार अविश्वास का प्रस्ताव आ गया है और वह गिर गया है तो दुबारा कितने अर्से तक अविश्वास का प्रस्ताव न पेश किया जाय। एक समस्या तो यह है और दूसरी यह है कि अविश्वास का प्रस्ताव यदि आ गया है और उसके बारे में मीटिंग बुलाई जाने वाली है तो उस मीटिंग के कंडक्ट करने के लिये कौन अधिकारी होना चाहिये और वह अधिकारी यदि समय पर नहीं पहुंच सके तो क्या व्यवस्था की जाय ? सभापति महोदय, उसूल तो बिल्कुल स्पष्ट है कि म्युनिसिपल बोर्ड का काम ठीक तरह से चलना चाहिये, यह एक मोटा उसूल है और इस उसूल को यदि हम मानते हैं तो बोर्ड का जो अध्यक्ष है या चेयरमैन या वाईस-चेयरमैन है उसके खिलाफ बार बार अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आना चाहिये और इस प्रकार की व्यवस्था हमने सब-क्लॉज (११) में की है कि एक बार अविश्वास का प्रस्ताव आया और गिर गया या मीटिंग का कोरम पूरा नहीं हुआ तो फिर ६ महीने से पहले अविश्वास का प्रस्ताव दुबारा नहीं लाया जाय। मैं समझता हूं इस प्रोविजन को देखते हुए इस बात की शंका बार बार नहीं आवेगी और हर रोज अविश्वास का प्रस्ताव लाया जायेगा इस प्रकार की आशंका नहीं रहेगी।

अब सवाल यह रहा कि चेयरमैन का चुनाव होते ही कितने रोज तक के लिये यह पाबन्दी लगानी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह मान कर चलना चाहिये कि एक बार इलेक्शन हुआ चेयरमैन का और मेजोरिटी ऑफ मेम्बर्स ने उसमें अपना विश्वास जाहिर किया और वह चुन लिया गया और आम तौर से उसके खिलाफ अविश्वास की बात तभी होती है या तो उसकी शिकायत होती है या मेजोरिटी दूसरी तरफ तब्दील हो जाती है ये दो बातें होती है। जब उसने चार्ज लिया है और अधिकतर लोगों ने उसमें अपना विश्वास जाहिर किया है तो फिर अचानक बिना किसी वजह के अविश्वास का प्रस्ताव आने की आशंका न हो, इसलिये मैं समझता हूं टाइम प्रेस्काइब्ड करने की आशंका नहीं है....

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : इसमें क्या आशंका होती है कि नो-कोन्फीडेन्स मोशन फेल हो गया तो उसमें ६ महीनों का टाइम रखने की क्या आवश्यकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपकी दलील बहुत तसल्ली से सुनी, थोड़ी तसल्ली रखिये और मैं जो दलील रख रहा हूं उससे तसल्ली न हो तो फिर कहिये। मैं अर्ज कर रहा था कि आम तौर से आशंका नहीं रखनी चाहिये कि जब एक आदमी की मेजोरिटी हो जाय, उसके बारे में सदस्यों ने विश्वास जाहिर किया हो, उसे काम करने का मौका नहीं मिला है कि उसके खिलाफ अविश्वास

Page No.90

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

का प्रस्ताव आ जायगा। इस प्रकार की आशंका नहीं रखनी चाहिए। इसलिए इस कानून में व्यवस्था नहीं की है कि चुनाव होने के कितने दिन बाद तक अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर बिला वजह अविश्वास का प्रस्ताव कोई लाता है, तो फिर उसको छः महीने तक अविश्वासी का प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं है। मैं समझता हूँ यह सेफ गार्ड रखा है, इससे पूरी तरह समस्या हल हो जाती है। अगर कोई बिला वजह अविश्वास का प्रस्ताव लाता है और वह प्रस्ताव गिर जाता है, तो छः महीने तक प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं रहता। इसी प्रकार कोई अचानक परिस्थिति पैदा नहीं हुई होगी तो प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं होगी। इन दोनों सूरत में, जो माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्ताव रखा है, जो अमें-डमेंट रखा है, उसको वे वापिस लेने का कष्ट करें ...

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जब पहले वाले विश्वास के प्रस्ताव से नया चेयरमैन चुना गया, तो उसके बाद अविश्वास के प्रस्ताव के लिए दूसरे लोगों को मौका दिया जाय, छः महीने के बाद देना चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विश्वास के प्रस्ताव और अविश्वास के प्रस्ताव में फर्क है। विश्वास के प्रस्ताव से चेयरमैन इलेक्ट किया है, अविश्वास का प्रस्ताव जब होता है जब उसने काम किया हो। एक दिन आप कहेंगे कि विश्वास जाहिर करते हैं, इसमें विश्वास जाहिर करने की बात नहीं है क्योंकि बिना काम किये आपने उसे इलेक्ट किया है, आपको मालूम नहीं कि क्या काम करेगा। तो अवि-श्वास के प्रस्ताव की परिस्थिति जब पैदा होती है जब जिसको आपने इलेक्ट किया है, उसको कहते हैं कि काम खराब है, फलां फलां काम जनता के हित में नहीं किया, इसलिए अवि-श्वास का प्रस्ताव लाना चाहते हैं। इन दोनों में फर्क है इसलिए इसमें जो व्यवस्था रखी है वह उचित मालूम पड़ती है........

श्री पी० के० चौधरी : मीटिंग कन्वीन करने की बात ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दूसरा सवाल है मीटिंग कन्डक्ट करने के बारे में। जो मोजूदा कानून है उसमें प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी की बात नहीं है। उसमें बोर्ड के मेम्बर्स पर छोड़ दिया है। अगर बोर्ड के प्रेसीडेन्ट के खिलाफ अवि-श्वास का प्रस्ताव है तो वाइस प्रेसीडेन्ट कन्वीन करता है, चुनाव कराता है। इसमें प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी की बात नहीं है। लेकिन इस बात का अनुभव हुआ है कि आम तौर मीटिंग होती हैं, उनके खिलाफ शिकायतें आती हैं और बोर्ड के मेम्बर्स को तसल्ल नहीं होती; या तो मीटिंग नहीं बुलाई गई, चेयरमैन आम तौर पर मीटिंग नहीं बुलाते और अगर बुलाते हैं तो आम तौर पर मेम्बर्स में आपस में गड़बड़ी हो जाती है और मीटिंग एड्जोर्न हो जाती है और फिर एडजोर्न मीटिंग बुलाई जाती है। इस तरह की घपलेबाजी होती है, इसलिए यह सोचा गया कि एक ऑथोरिटी प्रेसक्राइब कर दें; जब कभी अवि-श्वास का प्रस्ताव होगा तो वह मीटिंग कन्वीन कर देगा। मैं समझता हूं इस प्राविजन के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का एतराज उसूलन नहीं है। लेकिन अगर ऑथोरिटी समय पर न पहुंचे तो फिर यह व्यवस्था कर दें कि वे चेयर-मैन इलेक्ट करलें। जिस बात को हम अवॉ-इड करना चाहते हैं, बोर्ड के मेम्बर्स के सामने

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जो अविश्वास के प्रस्ताव के समय परिस्थिति पैदा हो जाती है, जो एब-नॉर्मल परिस्थिति पैदा होती है, उस सूरत पर विचार करके एक ऑफिसर को अपॉइन्ट करने की बात कही है कि वह जाकर प्रेसाइड करेगा। अब यह बात मानी जा सकती है कि उसे एक घन्टे, आधे घंटे की देरी हो गई तो बोर्ड चेयरमैन इलेक्ट कर लेगा. यह आप चाहते हैं। इससे तो यह अच्छा रहे कि जो अब तक नॉर्मल कोर्स में होता रहा है, वह होता रहे। मैं समझता हूँ कि ऑफिसर के बारे में कहा गया कि सत्तारूढ़ दल अपने आदमियों को बचाने की गर्ज से यह क्लॉज़ रखना चाहता है और अगर इनके आदमी के खिलाफ प्रस्ताव आयेगा तो ऑफिसर को कह कर मीटिंग एडजोर्न करा देंगे। मैं समझता हूँ कि इस बात को कहना अनुचित है। इस तरह की रिपोर्ट कोई नहीं है कि इस तरह चेयरमैन को बचाने की गर्ज से, जो इस पार्टी का हो, ऑफिसर ने इस प्रकार की बात की हो, ऐसा नहीं है। ऑफिसरों के बारे हम कह सकते हैं कि ऑफिसरों ने जिम्मेदारी के साथ अच्छी तरह से काम को निभाया है। जिस ऑथोरिटी को प्रेस्काइब कर देंगे, वह ऑथोरिटी कलेक्टर है। अगर वह प्रेसाइड नहीं कर सकेगा, वह नहीं जा सकेगा तो वह अपने नोमीनी को भेज सकता है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस बात की हिदायत जरूर कर देंगे कि कलेक्टर या उसका नोमीनी जरूर पहुँच जाय। कलेक्टर ने अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए डेट फिक्स की है, वह नहीं पहुँचता है तो उसके नोमीनी को पहुँचाना होगा। इस बात से किसी को शिकायत नहीं होगी कि वह टाइम पर नहीं पहुँचता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह जो अमेंडमेंट रखा है कि मान लीजिये कि वह आधे घन्टे में न पहुंचे, जहां आपने आधे घन्टे की बात कही है, वहां मान लीजिये कि वह ३५ मिनिट देर से पहुंच जाय, तो उसमें टाइम प्रेसक्राइब करने से दिक्कत होगी। इससे तो वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाय कि चेयरमैन खुद आकर प्रेसाइड करे। लेकिन इससे मेम्बर्स को शिकायत रहेगी और मैं जानता हूँ कि कई जगह ऐसी हालत पैदा हो गई कि मेम्बर्स रेकॉर्ड छीन छीन कर ले गये और मीटिंग नहीं हुई; ऐसे कई केसेज मालूम हैं। इसलिए अगर आप यह करेंगे तो बोर्ड में घपले पैदा करने के लिए छोड़ देंगे इसलिए जो बात इसमें रखी गई है वह उचित होगी। अगर अविश्वास का प्रस्ताव आये तो प्रेसक्राइब्ड ऑफिसर प्रेसाइड करे और मीटिंग आराम से हो जाय, यह व्यवस्था की है। अब आप कहें कि उस ऑफिसर में विश्वास नहीं है तो हम और ऑथोरिटी प्रेसक्राइब करने वाले नहीं हैं। आप कहें कि यदि कहीं सरकारी पक्ष का मेम्बर होगा तो वहां ऑफिसर उस चेयरमैन को बचाने की कोशिश करेगा और जो कलेक्टर हमारे कहने को नहीं मानता है, वह नहीं करेगा। यह ठीक नहीं है। हम राजस्थान के लिए एक ऑफिसर प्रेसक्राइब कर देंगे तो एक आदमी का हर जगह जाना मुश्किल हो जायगा। इसलिए यह दलील देना कि इसमें बड़ी गड़बड़ी हो जायगी, गवर्नमेंट पक्ष के चेयरमैन बच जायेंगे, मैं समझता हूं कि इसकी गुंजाइश नहीं है। कहीं न कहीं पर हमें विश्वास रख कर चलना पड़ेगा। आप चेयरमैन में विश्वास रखिये, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। आप चेयरमैन के लिए कहें कि वह प्रेसाइड करेगा, तो उसमें मुझे आपत्ति नहीं है कहीं कहीं आप विश्वास रखिये या तो इलेक्टेड चेयरमैन में विश्वास रखिये या प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी में विश्वास रखिये........

श्री गिरधारीलाल : सभापति महोदय, कोरम की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कोरम नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोरम पूरा है।

(श्री सोहनलाल भटनागर के जाने पर)

श्री गिरधारीलाल : वे जा रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने अपने आपको नहीं गिना।

श्री गिरधारीलाल: मैंने गिन लिया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अर्ज कर रहा था कि कानून बनाते समय इमर्जेन्सी को भी देख लेना चाहिए, जिसकी वजह से गड़बड़ी होगी। आपको कहीं न कहीं किसी न किसी ऑथोरिटी पर विश्वास रखना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट की बात आती है तो माननीय सदस्य कहते हैं कि गवर्नमेंट को अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि पार्टी बेसिस पर गवर्नमेंट चलती है। जब इलेक्टेड चेयरमैन का सवाल आता है तो कहेंगे कि बड़ा जुल्म हो जायगा, ऐसे मामले हैं जिनमें गड़बड़ी हुई है। जब ऑफिसरों पर विश्वास रखने की बात आती है तो कहते हैं कि ऑफिसर रियायत कर देंगे। तो इस प्रकार तो अंग्रेजों का राज्य हिन्दुस्तान में लाना पड़ेगा, उस पर अविश्वास करने की बात नहीं रहेगी। इसलिए माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि यह बहुत सोच समझ कर प्रोविजन रखा गया है और इस पर काफी बहस मुबाहिसा कर लिया है। मैं समझता हूँ यह क्लॉज़ जैसा है, उसी तरह इसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, वाइस-प्रेसीडेन्ट इसमें शामिल है या नहीं। मैं अर्ज करूंगा कि डेफिनेशन में एक्स्प्लेनेशन दिया है। कौंसिल की डेफिनेशन में दिया है। क्लॉज़ दो के सब-क्लॉज़ (७) में दिया हुआ है, उसकी वजह से चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन, प्रेसीडेन्ट और वाइस-प्रेसीडेन्ट शामिल हो जाते हैं। इसलिए इसकी भी आवश्यकता नहीं है। जिन माननीय सदस्यों ने अमेंडमेंट रखे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे संशोधन वापिस लेने का कष्ट करें।

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : चेयरमैन महोदय, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 'मुझसे ला हासिल है, मेरी हसरतों का पूछना। तुम वही आखिर करोगे, जो तुम्हारे दिल में है।'

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुकर्रर इरशाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :

मुझसे ला हासिल है मेरी हसरतों का पूछना।
तुम वहीं आखिर करोगे जो तुम्हारे दिल में है॥

एक माननीय सदस्य : क्या कहने हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल यह है कि इससे पहले कि मैं इसको वापिस लूं मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब मैं पहले खड़ा हुआ था कुछ संशोधन के बारे में बोलने के लिए तब कहा गया था कि जब आप जवाब देंगे तो सबके बारे में बता सकते हैं। मैं समझता हूं कि क्लॉज़ बाई क्लॉज़ जब विचार किया जाय तो यह सबको अधिकार है, जिन्होंने अमेंडमेंट रखे हैं,......

श्री सभापति : Decision has already been given; please speak on the subject.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्लॉज बाई क्लॉज की बात कह रहा हूं, उस

(श्री ज्वालाप्रसाद)

रूलिंग के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ मेरे साथियों ने इसके सिलसिले में कुछ कहा है मैं सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि जो हर प्रकार से हर जगह जो लोग ऐसे अमेंडमेंट्स का विरोध करते हैं और हर जगह जो सरकार का विरोध करते हैं वे इस समय सपोर्ट करते है सरकार का तो सरकार को उन्हें पहचानने की तो कोशिश करनी चाहिये। मैं देख रहा हूं कि इस अमेंडमेंट पर बोलने वालों की ओर गौर किया जाय तो जितने विरोधी हैं, उन्होंने सरकार का समर्थन किया है और जो सरकार चलाने वाले हैं उन्हें मैंने अपनी नाकिस राय दी कि ६ महीने बाद नो- कॉन्फीडेन्स मोशन लाने का प्रोविजन रहे, जो पहले दिन फर्स्ट सिटिजन चुना जाता है, उसको दूसरे ही दिन नो- कॉन्फीडेन्स मोशन लाकर बेइज्जत न किया जाय इसके लिये मैंने ६ महीने का अमेंडमेंट रखा है। ६ महीने का अमेंडमेंट मान लेने के बाद वह एनोलोजी नहीं आती है। और फरमाया यह जाता है कि नो-कॉन्फीडेन्स में और चुने जाने में बहुत फर्क है। चेयरमैन कोई आदमी चुन जाता है, फर्स्ट सिटीजन सिटी का चुना जाता है, उसको पहले दिन फूलों की माला पहना कर दूसरे ही दिन जूतों की माला पहनाना उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है, इसीलिये मैं फिर रेकॉर्ड कराता हूं कि इस संशोधन को न माना गया तो ९५ पर्सेन्ट म्युनिसिपेलिटियों में चेयरमैन का इलेक्शन होते ही दूसरे रोज ही नो-कॉन्फीडेन्स का मोशन आयेगा और उनके साथ जो पहले दिन फर्स्ट सिटीजन चुना गया, इस तरह का खिलवाड़ किया जायगा, चुने जाते समय जितनी खुशी उनको नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा दुख दूसरे ही रोज उनको होगा। इस लिए मैं फिर ६ महीने के अमेंडमेंट को स्वीकार करने के लिये कहता हूं। इसके बाद इक्लेशन पिटिशन रख दी, पिटिशन के बगैर तो कुछ नहीं रखा, उस चेयरमैन में नो–कॉन्फीडेन्स करने का अधिकार रखा है तो पिटिशन की क्या आवश्यकता है ? एक तरफ उस चेयरमैन को दबाया जा रहा है कि उसमें नो-कॉन्फीडेन्स मोशन दूसरे रोज ही आ सकता है, जो फर्स्ट सिटीजन शहर का चुना जाता है, उसको जो इज्जत मिलती है वह नहीं रहने वाली है, उसको हमेशा यह डर बना रहेगा कि दूसरे ही रोज उसके खिलाफ नो- कॉन्फीडेन्स मोशन आ सकता है। जब जनता में यह भावना पैदा होगी कि जो फर्स्ट सिटीजन सिटी का बनने की इज्जत उसे मिली है, वह दूसरे ही रोज छीनी जा सकती है, तो जनता उसको कोऑपरेट नहीं करेगी। लॉ मेकिंग के लिये यहां आते हैं, वहां सिवाय एक्जीक्युटिव बात के और कोई बात नहीं, वहां हर जगह जनता का सपोर्ट चाहिये, जिस चेयरमैन के अन्दर नो-कॉन्फीडेन्स होने की बात चल जाती है, वहां जनता का कॉन्फीडेन्स नहीं मिलेगा, जनता का जहां कॉन्फीडेन्स नहीं मिलेगा तो सिविक लाइफ आगे नही बढ़ सकती।

माननीय सदस्यों का कहना है कि नो-कॉन्फीडेन्स लाने का माननीय सदस्यों को अधिकार है, जिस रोज चुनते हैं, उनको अधिकार है उसे चुनने का फिर चुनने के बाद ही दूसरे रोज उसकी इज्जत छीनने का खिलवाड़ किया जाय यह कहां तक उचित है ? इसके साथ ही आप देखेंगे कि कोई भी आदमी, ईमानदार या बेईमान एक दिन में नही बन जाता है, एक दिन में एक बेईमान आदमी है वह ईमानदार नही बन सकता, अगर उसकी बेईमानी की रेपुटेशन है तो

Page No.94

(श्री ज्वालाप्रसाद)

चुनने वाले सदस्यों ने ग़लती की है। अगर वह ईमानदार है तो दो दिन में बेईमान नहीं बन सकता इसलिये जिस दिन उसे चुनते हैं उसकी स्टेबिलिटी ६ महीने की कर दी जाय शहर की जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये उसको मौका मिल जाय तो आप उसे समझ रहे हैं कि जनतंत्र की हत्या हो जायगी। गौ को आगे रख कर, गुरु नानक का नाम आगे रख कर लोग इस तरह दिमाग बदलने की कोशिश करते हैं। अपने फर्स्ट सिटीजन को देख कर बच्चे उसकी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने अनुभवी चेयरमैन को सेवा करते हुए देख कर शहर को सेवा करना बच्चे सीखें। ऐसा शहर का वातावरण करना है तो जो पहले दिन फर्स्ट सिटिजन सिटी का चुना जाता है उसको दो महीने, तीन महीने, चार महीने तक सेवा करने का मौका दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि सरकार थर्ड रीडिंग के समय इसको मान ले। मेरे लिए कहा गया है परन्तु मेरे लिये तो प्रश्न ही नहीं उठता, मैं तो ओवरवेल्मिंग मेजोरिटी से हमेशा रहा हूं...

श्री गिरधारीलाल : यह आपके लिये नहीं....

श्री ज्वालाप्रसाद : दूसरे मेम्बरों ने कहा था कि बाद में बोलें इसलिये मैं कह रहा हूं। मैं एम. एल. ए. कभी नहीं चुना गया, जिस कान्स्टीट्युएन्सी में वे शामिल हैं मैं एम. पी. था...

श्री गिरधारीलाल : यहां आपका जिक्र नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद : मैंने जवाब में कहा है इन्हीं शब्दों के साथ कि हाउस थर्ड रीडिंग के वक्त इसको सोचेगा और इसके अन्दर दिक्कत आने वाली है, उसको दूर करके, मैं कह रहा हूँ उस तरह का प्रोविजन करेगा। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूं...

श्री तनसिंह : अनुमति तो मांगिये।

श्री ज्वालाप्रसाद : मुझे अपना अमेंडमेंट वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री ज्वालाप्रसाद ने क्लॉज़ ६५ में रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मेरे दो अमेंडमेंट्स थे, एक तो सब-क्लॉज़ (२) में और दूसरा सब-क्लॉज (४) में। सब-क्लॉज (२) में मेरा अमेंडमेंट मेन्डेटरी प्रोविजन है, इसको मान कर उसे वापिस ले सकता हूं। पर जहां तक सब-क्लॉज (४) का अमेंडमेंट है इसके लिये रखा था कि जो प्रेस्काइब्ड ओथोरिटी है गवर्नमेंट की वह तारीख मुकर्रर करने के बाद हाजिर नहीं रहती और मीटिंग एडजोर्न हो जाती है इस परिस्थिति को अवोइड करने के लिये रखा था।

सभापति महोदय, हमेशा नो-कॉन्फीडेन्स के मौके पर मीटिंग बुलाई जाती है तो मेम्बरों

(श्री पी० चौधरी)

में काफी टेन्शन होता है और काफी दौड़धूप भी होती है। ऐसे मौकों पर सिर्फ प्रेस्काइब्ड ओथोरिटी ही नहीं जाती है तो उसके लिये मीटिंग एडजोर्न हो जाती है इसके कॉन्सीक्वेन्सेज अच्छे नहीं होते। अमेंडमेंट को मूव करते समय मैंने शंका प्रकट की थी कि कई मौकों पर प्रेस्काइब्ड ऑथोरिटी चेयरमैन से मिल जाती है और उनके ऊपर, ऊपर से प्रेशर आ सकता है कि फलां चेयरमैन को हम रखना चाहते हैं, वह अगर ३५ मिनिट लेट पहुंचता है तो वह स्टेचुटरी प्रोविजन के बाद इल्लीगल माना जायगा।

(कई माननीय सदस्यों के परस्पर बातें करने पर)

श्री सभापति : Silence please.

श्री पी० के० चौधरी : यह जो अमेंडमेंट रखा गया है, यों ही रखा गया हो ऐसी बात नहीं है, इसका एक्सपीरियंस कई जगह हुआ है और होता है, हम देखते हैं कि एक्जीक्युटिव काफी इन्ट्रेस्ट लेती है म्युनिसिपेलिटीज में। आज तक का इतिहास है, हमने देखा है कि किस तरह एक्जीक्युटिव इन्ट्रेस्ट लेकर मेजोरिटी को माइनोरिटी बना देती है। और माइनोरिटी को मेजोरिटी बना देती है इसकी मिसालें म्युनिसिपेलिटीज में कम नहीं हैं।

इस पर सदन में काफी वाद-विवाद हुआ है। यह कहा गया है कि नो कॉन्फीडेन्स मोशन इस तरह दिया जाय कि चेयरमैन को स्टेबिलिटी दी जाय....जहां जो मेजोरिटी पार्टी हो वह स्टेबल रहे और अपना फंक्शन करे, लेकिन हम प्रेक्टिस में देखते हैं कि जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसको माइनोरिटी में लाया जाता है और ऐसे लोग नोमिनेट किये जाते हैं जो माइनोरिटी से मेजोरिटी में बन जाते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद : आप ये बातें तो जिस समय नोमिनेशन की बात आवे उस समय कहें।

श्री पी० के० चौधरी : आप मेरी बात सुन लीजिये। मैं यहां पर यह कह कर इस बात को साबित कर रहा हूँ कि एग्जीक्युटिव इसमें इन्ट्रेस्टेड हो जाती है कि उसका कौन चेयरमैन बने। अगर एग्जीक्युटिव आपकी किसी भी व्यक्ति में इन्ट्रेस्टेड नहीं होती तो वह उसी व्यक्ति को जो मेजोरिटी से चेयरमैन होना चाहिये क्यों नहीं एपोइन्ट करती। आपका प्रेसाइडिंग ऑफिसर या ऑथोरिटी इसमें इन्ट्रेस्टेड होते है। आप उनको किसी तरह से इस तरह के मेसेज पहुँचा देते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आप हाइपोफेथेटिक बात क्यों कहते हैं ? आप साफ ही क्यों नहीं कहते।

श्री पी० के० चौधरी : आप जब नहीं पहुंचाते तो.......

श्री बद्रीप्रसाद : आपको तो जो मैंने उत्तर दिया उस पर ही कहना चाहिये। आपको कोई नई बात नहीं कहनी चाहिये; टेलीफोन आदि की बात।

श्री पी० के० चौधरी : यह नई बात नहीं है। जब हम अमेंडमेंट लाते हैं, तो हमें शक होता है कि जिस ढंग से हमें चलाना चाहिये था उस ढंग से नहीं चलते हैं आज यह नो-कॉन्फीडेन्स का प्रोविजन इसलिए रखा है कि म्युनिसिपल बोर्ड की मेजोरिटी किसी

(श्री पी० के० चौधरी)

चेयरमैन को नहीं चाहे तो उसको जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिये, उसके लिये आपने यह प्रोविजन रखा है। जब आप उसकी अर्जेन्सी को मानते हैं तो फिर आप उसकी मीटिंग २० दिन से एक महीने के अन्दर बुलावेंगे आपको तो जब नो-कॉनफीडेन्स का मोशन आवे तो जल्दी से उसको ठीक करना चाहिये ताकि ऐसा चेयरमैन हो जो बराबर अपना काम अच्छी तरह से चला सके। लेकिन यह जो डिले करने की नीयत रहती है वह इसी लिये हो सकती है कि वह व्यक्ति कुछ दिनों तक के लिये चेयरमैन बना रहे। परन्तु इससे म्युनिसिपल बोर्ड के फंक्शन्स एपीलिंग नहीं हो सकते। आखिर में कोई बात पास करनी है या कोई भी डिसिज़न लेना है तो उसको बोर्ड की मेजोरिटी से पास करना होगा। हम किसी तरह से किसी को चेयरमैन बना कर रख सकते हैं तो बोर्ड के फंक्शन्स ऐफिसियेन्टली और स्मुथली नहीं हो सकते। और मैं समझता हूँ कि आपने यहां पर अर्जेन्सी को माना है। इस अर्जेन्सी को मानते हुए भी आपने २० दिन से ३० दिन में नोटिस मीटिंग का दिया जावेगा। उसमें आपने आध घन्टे का समय रखा है। यदि आपका आफिसर आध घन्टे में नहीं जाता है, हम पार्टिकुलरली देखते हैं कि आध घन्टे में एग्ज़ेक्टली at the stroke of the cloak वह आपकी प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी है जिनके लिये ५० प्रतिशत केसेज़ में ऐसा हुआ कि exactly at the stroke of the cloak he will not be able to reach there. वे जो पहुँचते नहीं है, तो मान लें थोड़ी देर के लिये कि अनइन्टेन्सली सही, यदि उन्होंने तीन बजे का मीटिंग का समय दिया और ३॥ बजे तक नहीं पहुंचे और ३ बज कर ३५ मिनिट पर पहुँचते हैं तो भी वह मीटिंग रहेगी या नहीं रहेगी। जो हार जावे वह अपनी रिट इस बेसिस पर कर सकता है। आप जब यहां पर स्टेचुअरी प्रोविज़न रख रहे हैं; इसलिए मेरी यह राय है कि आप इस तरह की सिचुएशन नहीं करें। जहां इन्टेन्शनल डिले हो उसको एवोइड करने के लिये कोई प्रोविज़न होना चाहिये वह नहीं रखा है। आपने मीटिंग करने की ऑथोरिटी दी है। आपको चाहिये कि पहले से आप अपनी डायरी में देख कर समय तय करें कि जिस दिन आपके कोइ प्री-एरेंज्ड प्रोग्राम न हो उस दिन मीटिंग रखें। आप खुद आपकी डायरी देख कर मीटिंग तय कर सकते हैं। यदि मीटिंग तय करने के बाद वहां पर नहीं जाते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को नोमिनेट कर सकते हैं। वह कलेक्टर हो तो एस० डी० ओ० या एस० डी० एम० को मुकर्रर कर सकता है। जब आप किसी भी व्यक्ति को नोमीनेट कर सकते हैं तो फिर हम क्यों ऐसी सिचुएशन पैदा करें कि हमको मीटिंग पोस्टपोन करने की बात पैदा हो। मेरे दिमाग में ऐसी बात नहीं बैठती है। आप सीरियस होंगे he can nominate any person जो कॉन्फीडेन्स मोशन हैं हो सकता है एक व्यक्ति जो मुकर्रर किया हुआ है किसी कारणवश नहीं जा सकता है तो उसके लिये आपने उसको ऑथोरिटी दी है कि वह दुनियां भर में से किसी भी आदमी को पकड़ कर भेज सकता है if you are sanguine about it जब इतनी वाइड पॉवर्स हैं तो हम ऐसा क्यों करें कि आधा घन्टे के अन्दर अन्दर नहीं पहुँचता है तो केन्सिल। he has been given powers. He can nominate anybody. दूसरी यह है कि जिस समय नो-कॉन्फीडेन्स का मोशन आता है उस समय काफी हीट सदस्यों में पैदा हो जाती है, काफी टेम्पो पैदा होता

(श्री पी० के० चौधरी)

है। आप क्या यह चाहते हैं कि एक घन्टा ही हो उसके बाद दुबारा भी एक घन्टा हो? क्योंकि आपने यह प्रोविजन रखा और उससे यह साफ जाहिर होता है कि नो-कॉन्फीडेन्स का जो प्रोसिजर है उससे लोगों को बार बार आप इस प्रकार का मौका देना नहीं चाहते meeting shall not be adjourned in any other circumstances. यहां आपने इस बात को जानकर कि बार बार नो-कॉन्फीडेन्स को करना उचित नहीं है, इससे आपने नीचे के क्लॉज़ में कहा है 'meeting convened for the purpose of considering the moton under this section shall not for any reason be adjourned. आपने यह क्लॉज़ क्यों रखा है? इसलिये रखा है कि नो-कॉन्फीडेन्स के समय बिटरनैस पैदा होती है, सदस्यों में होती है और उनके सपोर्टर्स में भी होती है। उस समय एक प्रकार की मोर्चेबन्दी होती है और मोर्चे बराबर होते रहना किसी शहर में ठीक नहीं रहता है। इसलिये आपने यह प्रोविजन सब-क्लॉज़ ५ में रखा है। इसका यह इन्टेन्शन है कि इस प्रकार का बार बार नमूना आप शहर के लोगों के सामने रखना नहीं चाहते और इसी लिये आपने यह प्रोविजन रखा है कि आपस में ज्यादा बिटरनैस न हो इसलिये आपने समय मुकर्रर कर दिया है 'the meeting will not prolong for more then four hours.' ४ घन्टों से अधिक नहीं चले। यदि चार घन्टों से ज्यादा चलेगी तो आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे और उनको सब लोग सुनेंगे। इस चीज को रोकने के लिये आपने यह तय कर दिया है कि चार घन्टों से ज्यादा प्रोलोंग नहीं करे। यदि रात और दिन चलने देंगे तो आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे इसीलिये आपने चार घन्टे का समय रखा है, उसके बाद वोटिंग हो जावे। मेरी समझ में क्यों ऐसा क्लॉज़ आपने रखा है कि मीटिंग को एडजोर्न कर दिया जावे यदि प्रेसाइडिंग ऑथोरिटी कोई भी हो चाहे एक्स, वाई, जेड एनिबाडी हो, आध घन्टे में नहीं पहुँचे। तो यह जो प्रोविजन आप रखते हैं तो हमारा एप्रीहेन्शन होता है कि यह प्रोविजन आप क्यों रखते हैं? इतनी सख्ती रखते हैं कि चार घंटे से अधिक मीटिंग नहीं चलनी चाहिये, यह एप्रीहेन्शन क्रियेट करता है, यह क्या बात है; पीछे से तो और कोई राज नहीं है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राज है।

श्री पी० के० चौधरी : यह नहीं होना चाहिये। इसको खुल्लम-खुल्ला आप कर लीजिये। You can choose from anywhere एक कोई बीमार पड़ जाय, रेस्ट्रिक्शन्स नहीं है। ज्वालाप्रसादजी कर लेंगे You can choose it from anywhere. Shri Jwala Prasad can send Shri ArjanDas or anybody.

इतनी ज्यादा इम्पोर्टेन्स दिया है, वह मेरी समझ में नहीं आता है और उसमें एप्रीहेन्शन क्रियेट होता है। इसलिए फिर से मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि सब-क्लॉज़ ४ में जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसको मंजूर कर लें और सब क्लॉज़ २ के अमेन्डमेन्ट को विद्ड्रा करने की इजाजत दी जाय। मंत्री महोदय सब-क्लॉज़ ४ के संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हों तो ठीक है, नहीं, तो उसको भी विद्ड्रा करने की इजाजत दी जाय।

४-४२ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : श्री अर्जनदास।

(अनुपस्थित)

श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद : Permission has been given.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो शसंोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखे हैं उनको विद्ड्रा करने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

विद् ड्रॉ करने की इजाजत दी जाती है।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw it.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री अर्जनदास ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन मंत्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६५, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६५ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ६६

डॉ० बहादुरसिंह : अब कल के लिए रख दीजिये।

श्री पी० के० चौधरी : अब कल ले लीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सदस्य चाहते हैं तो कल के लिए रख दीजिये।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४. ४० बजे दिनांक ३ दिसम्बर १९५८ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार २ दिसम्बर, १९५८)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

अर्द्ध सरकारी तथा निजी संस्थाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन ।

कमिश्नर जोधपुर द्वारा जालौर के इन्सपेक्टरों का इन्टरव्यू ।

जिलों में हाउस लोन के लिए स्वीकृत धनराशि ।

जिला जालौर के सब-डिवीज़नल ऑफिसरों का शुतरों पर दौरा ।

आदर्श पीचगा बनाने के लिए सहायता ।

कब्रिस्तान के लिए भूमि का अलॉटमेंट ।

खनिज क्षेत्रों का दौरा करने की जीपें ।

समाज कल्याण विभाग, चित्तौड़गढ़ के इन्सपेक्टर द्वारा अपने क्षेत्र का दौरा ।

नायब-तहसीलदार बनाने के लिए विभागीय कर्मचारियों के नामों की सूची ।

मारवाड़ सिरेमिक इन्डस्ट्रीज़ लि०, जोधपुर में बकाया रकम ।

ग्राम के मवेशियों की बैठने की भूमि को खाते बन्धवाना ।

प्रोफेसर एम० सी० गुप्ता, वार्डन, महाराजा कॉलेज होस्टल ।

दौसा में शीतला माता के मन्दिर की नाल व बरामदा टूटने की जांच ।

गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर के प्रोफेसर श्री मोहम्मद इलियास ।

तहसील किशनगढ़ के नरवर तफे में पटवारी का अभाव ।

बेरांवास काना, तहसील पदमपुर का मु० नं० २५ बिना मंजूरी के काश्त ।

एस० डी० आई० द्वारा प्राथमिक स्कूलों का निरीक्षण ।

ग्राम काठोदा, तहसील रूपनगढ़ (अजमेर) में खातेदारी अधिकार ।

जिला अजमेर में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम ।

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का उद्घाटन ।

काकड़ू काश्त करने वाले किसानों को खातेदारी अधिकार ।

सोजत में गाडोलिया लुहारों को बसाने हेतु मकान ।

झुंझुनू जिले में विकास खंडों की संख्या ।

नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफिकेट बेचने के लिए एजेन्ट ।

स्कम्भ

तहसील राजगढ़ (चूरू) में खातेदारी अधिकार के दावे।

बोर्डिंग हाउस सांचौर की मरम्मत पर खर्च।

ढानी बड़ी ग्राम की जमीन।

अकाल ग्रस्त क्षेत्र ग्राम-जिला चूरू।

विधायी कार्य

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७

(अग्रेत्तर खण्डशः विचार-विमर्श)

उपरोक्त विधेयक पर आज भी

स्कम्भ

खण्डशः विचार जारी रहा।

खण्ड ५९, ६०, ६३, ६४ व ६५ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड ६२ बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

खण्ड ६१ स्थगित किया गया।

४७०१ **मंगलवार, दिनांक ३ दिसम्बर, १९५८ की कार्य-सूची**

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७

(अग्रेत्तर खण्डशः विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ९६४ का उत्तर देखिये)

STATEMENT OF LOANS UNDER THE LOW INCOME GROUP HOUSING SCHEME.

S. No.	District.	1955-56	1956-57	1957-58	1958-59
1.	Jaipur	16,72,400	12,46,450	11,54,200	7,53700
2.	Jodhpur.	4,47,450	3,74,955	3,73,020	3,50,000
3.	Bikaner.	5,00,000	1,88,100	3,75,000	2,00,000
4.	Udaipur.	11,23,050	4,77,240	3,75,000	2,00,000
5.	Kotah.	3,00,000	1,72,100	1,40,000	75,000
6.	Alwar.	3,22,280	1,19,000	86,950	75,000
7.	Bharatpur.	2,68,120	1,73,580	75,000	75,000
8.	Bhilwara.	3,30,000	1,00,000	95,000	75,000
9.	Ganganagar.	1,37,900	1,20,100	82,200	75,000
10.	Pali.		50,000	58,500	50,000
11.	Chittorgarh.	50,000	1,51,520	39,000	75,000
12.	Sikar.	14,600	61,160	96,240	50,000

13.	Nagaur.	25,520	74,000		50,000
14.	Dungarpur.		50,000	57,660	50,000
15.	Ajmer.	1,49,300	2,00,000	1,53,700	3,46,3000
16.	Bundi.				47,000
17.	Churu.				47,000
18.	Sirohi.				72,000
19.	Jhalawar.				47,000
20.	Banswara.				47,000
21.	Barmer.				47,000
22.	Tonk.				47,000
23.	Jhunjhunu.				47,000
24.	Jalore.				47,000
25.	Sawai Madhopur.				47,000
26.	Jaisalmer.				30,000
	TOTAL.	54,30,620	35,58,205	32,01,470	30,25,000

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६० का उत्तर देखिये)

सूची ग्राम जहां वसूली हो चुकी है।

नं० शुमार	नाम ग्राम	तहसील
१.	हरदेसर	सरदारशहर
२.	मोतासर	,,
३.	सोमासर	,,
४.	आसपाल कुन्तलसर	,,
५.	आसपालसर मुगलेरिया	,,
६.	चैनपुरा	रतनगढ़
७.	हारसासर	,,
८.	जगनिया विदावतान	,,
९.	लाछड़सर	,,
१०.	लूंछ	,,
११.	मोलीसर	,,
१२.	दाऊदसर	,,

शुद्धि–पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २ दिसम्बर, १९५८)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४६४६	अन्तिम से ४	क्या यह है	क्य यह सही है
४६७४	६	छोटी सी स्कूल	छोटे से स्कूल
४६७७	२३	सादियों	सदियों
४६८७	६	बताने की कृप करेंगे	बताने की कृपा करेंगे
४६८७	अन्तिम	कार्यवाही चालू है ?	कार्यवाही चालू है।
४६८८	१७	किया है ता	किया है तो
४६८८	अन्तिम	है त क्या स पर	है तो लगा उस पर
४६८६	१२	स्वीकृति	स्वीकृत
४६६२	४	उसके ाधार	उसके आधार
४६६२	अन्तिम	श्री आनन्दसिंह कछवाह	श्री आनन्दसिंह कछवाहा
४७००	११	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
४७०२	७	S r,	Sir,
४७०३	११	(1) Sebsti iute	(1) Substitute
४७१३	अन्तिम से ३	दस्वत	दस्तखत
४७१४	६ व १०	कॉस्टिट्यूशनल	कॉन्स्टिट्युशनल
४७१६	अन्तिम से ३	municipal Ioard	municipal board
४७२८	२०	hairman	chairman
४७२६	२५	lejtimately	legtimately
४७३२	शीर्ष	(स्वीकृत) (विराम) क्लॉज़ ६२ विधेयक का अंग बना।	(स्वीकृत) क्लॉज़ ६२ विधेयक का अंग बना। (विराम)

१	२	३	४
४७३६	८	deened	deemed
४७३९	४	in Cases oc	in cases of
४७४०	११	चाहे आपका पसन्द होवे	चाहे आपको पसन्द होवे
४७४१	५	ovisions	Provisions
४७५०	१२	ऑर्डनरी	ऑर्डिनरी
४७५०	२२	मान ले की	मान ले कि
४७५०	२४	म्युनिसिपल	म्युनिसिपल
४७५१	अन्तिम से ७	इमरजेंन्सी	एमर्जेन्सी
४७५२	२६	hve to	have to
४७५२	२४	not caling	not calling
४७५२	२७	at al, Sir	at all, Sir
४७५२	अन्तिम से ५	Rajsthan	Rajasthan
४७५२	अन्तिम	will cal	will call
४७५४	६	Soluticn them	Soluthon then
४७५६	शीष पक्ति	'excep	'except
४७६०	२३	my Amend ment	my amendment
४७६५	१३	कॉन्स्टीस्यूएन्सी	कॉन्स्टिट्युएन्सी
४७६५	अन्तिम	एक बर	एक बार
४७६७	अन्तिम से ४	और एक्ट में	और उस एक्ट में
४७७०	१४	पीरयड	पीरियड
४७७१	२०	तो छर एक	तो हर एक
४७७२	अन्तिम से ७	मरा	मेरा
४७८७	४–५	abjourned	adjourned
४७८७	अन्तिम से २	elec-ofpr	elect for
४७८८	२०	जना है	जाना है,
४८९०	१८	Muncipal	Mnnicipal

१	२	३	४
४८०७	६	नो मीनेटेड	नोमीनेटेड
४८१०	१३	तो वह करप्टे	तो वह करप्ट
४८१०	१६	ट्यल ऑफ स्ट्रेन्थ	ट्रॉयल ऑफस्ट्रेंग्थ
४८११	अन्तिम से २	डिस्क्शन	डिस्कशन
४८१२	१७	हम अपती	हम अपनी
४८१५	१२	रखा रहा हूं	रख रहा हूं
४८१७	५	प्रस्तव	प्रस्ताव
४८१८	३	स्थयित्व	स्थायित्व
४८२६	११	मोजूद	मौजूदा
"	१८	आम तौर	आम तौर से
"	१९	आतीसे	आती
"	२०	तसल्ल	तसल्ली
४८३७	२५	पार्टिकुलरली	पर्टिकुलरली
४८४१	७	शंसोधन	संशोधन